लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12—गुरुवार, 28 नवम्बर, 1974/7 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 12—*Thursday, November* 28, 1974/*Agrahayana* 7, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
246	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के प्रबंध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व	Representation of Workers in Management of Public Sector Steel Plants. . . .	1
248	लौह अयस्क के मामले के संयुक्त क्षेत्र प्रबंध	Joint Sector Management in Iron Ore	6
249	श्रीलंका के प्रधान मंत्री का दौरा	Visit by Prime Minister of Sri Lanka	7
251	बोकारो इस्पात परियोजना को हानि	Loss to Bokaro Steel Project .	8
252	मजूरी नीति संबंधी चक्रवर्ती प्रतिवेदन	Chakravarty Report on Wage Policy	11

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता०प्र०सं० *S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
245	दिल्ली में नकली हींग का तैयार किया जाना	Preparation of Spurious Asafoetida in Delhi . . .	13
247	चिकित्सा शिक्षा के सुधार के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें	Recommendations of Expert Committee on Reform of Medical Education . .	13
250	भारत के प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की प्रस्तावित यात्रा	Proposed visit to USSR by Prime Minister of India . . .	14
253	सिरसा को गंगानगर से मिलानेवाला राष्ट्रीय राजमार्ग	National Highway Linking Sirsa with Ganganagar . .	14
254	नेपाल के साथ संबंधों का पुनर्मूल्यांकन	Reappraisal of Relations with Nepal	15
255	सिक्किम के चोग्याल द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां	Anti-Indian Activities by the Chogyal of Sikkim . .	15

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा म उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—40 LSS(ND)/74

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
256	श्रम कानूनों का पुनर्विलोकन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त समिति	Committee appointed by Gujarat Government for Review of Labour Laws	15
257	पश्चिम बंगाल में औषधियां का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Drugs in West Bengal	16
258	देश में महामरियों का फैलना	Mass Epidemics in the country	16
259	'मजगांव डाक' को जहाजों के निर्यात के लिए मिले क्रयादेश	Export Orders for Ships with Mazagaon Docks . . .	17
260	गढ़ाई संयंत्र (मसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड) का विस्तार	Expansion of Forge Plant (Mysore Iron and Steel Ltd.) .	17
261	थल सेना में पदों का क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण	Regional Reservation of Posts in Army	17
262	गुजरात में एल्यूमिनियम परियोजना	Aluminium Projects in Gujarat .	18
263	केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र को अनुदान	Grants to Maharashtra from Central Road Fund . .	18
264	वर्ष 1974-75 के लिए इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Steel Production Target for 1974-75	19
अता०प्र० संख्या U.Q. Nos.			
2403	भारत में अल्प-पोषित बच्चे	Under-nourished Children in India	19
2404	बोकारो कारखाने का विस्तार	Bokaro Expansion .	20
2405	भारत स्थित सोवियत दूतावास द्वारा भारतीय कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Indian Employees by Soviet Embassy in India	20
2406	हिन्द महासागर में विभिन्न देशों के सैनिक अड्डे	Bases of various Countries in Indian Ocean	21
2407	विदेश मंत्रालय में कल्याण-एककों का कार्यकरण	Functioning of Welfare Unit in Ministry of External Affairs .	21
2408	लोहे तथा इस्पात की कमी के कारण प्रभावित पंजाब के लघु उद्योग कारखाने	Punjab Small Scale Units affected by shortage of Iron and Steel	21
2409	भारत स्थित विदेशी मिशनों को निमंत्रण पत्र जारी करना	Issue of Invitations by Foreign Missions in India . .	22
2410	रक्षा मंत्रालय की पत्रिकाएं	Journals of Ministry of Defence	22
2411	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा स्विझरलैंड से प्राप्त निर्यात आदेश	Export Order from Switzerland obtained by Bharat Electronics Limited	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2412	अपमिश्रण के दोषी होटल	Hotels charged with Adulteration	23
2413	बोकारो मिल्स कम्पलैक्स	Bokaro Mills Complex . .	23
2415	कलकत्ता में मलेरिया उन्मूलन सम्मेलन	Conference held at Calcutta to Combat Malaria . .	24
2416	उड़िसा के सम्बलपुर जिलों में पाई गई सोने की परतें	Gold starta Discovered in Sambalpur District of Orissa .	24
2417	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन भवन निर्माण	Construction of Buildings under Family Planning Programme .	24
2418	मिलावटी ओषधियों के इंजैक्शन लगाने के कारण हुई मौतें	Deaths occurred due to Administering Spurious Drugs/Injections	25
2419	विभिन्न देशों में हिन्दी का पढाया जाना	Teaching of Hindi in various Countries	25
2420	रेल कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Railway Employees	27
2421	अमरीका द्वारा उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers by USA	27
2422	खानों तथा कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accidents in Mines and Collories	27
2423	हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड में श्रमिकों का दमन किया जाना	Victimization of workers in Hindustan Levers Limited	28
2424	वर्ष 1966 में हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट जारी किया जाना	Issuing of passport to Haji Mastan Mirza in 1966 . .	28
2425	परिष्कृत इस्पात का आयात	Import of Finished Steel	29
2426	संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्य सहायता	Food aid from USA .	30
2428	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	Hindustan Copper Limited	30
2429	विदेशी दूतावासों द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	Publications brought out by Foreign Embassies	30
2430	मिलावट करने के लिये 'आंसुका' तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तारी	Arrest under MISA and DIR for Adulteration .	31
2432	'सुचकांक घोटाला'	Index fraud	31
2433	कोलार स्वर्ण खानें	Kolar Gold Mines .	31
2434	परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों लड़खड़ाता है	Why Family Planning Fumbles	32
2435	हाल्दिया बंदरगाह के निर्माण कार्य में प्रगति है ।	Progress of Haldia Port .	33

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2436	कलकत्ता, पारादीप, बम्बई और मद्रास पत्तनों को लाभ	Profits by Calcutta, Paradip, Bombay and Madras Ports .	33
2437	श्रीलंका से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of people repatriated from Sri Lanka . .	34
2438	गोआ शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-डि-गामा का कार्यकरण	Working of Goa Shipyard Limited, Vasco-da-gama . .	34
2439	नेपाली पुलिस कर्मचारियों द्वारा भारतीय कर्मचारी की हत्या	Indian Employees killed by Nepalese Policemen . .	35
2440	वाणिज्यिक संगठनों द्वारा घटिया रक्त की सप्लाई	Supply of sub standard blood by Commercial Organisations	35
2441	थल सेवा तथा वायु सेना में अफसर रैन्क में पदोन्नति	Promotion to officers Rank in the Army and Air Force .	35
2442	संतति निग्रह के लिये टीका	Birth controlling Vaccination .	36
2443	पारदिप पत्तन पर हुए व्यय की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति पूर्ति	Reimbursement of expenditure on Paradip Port by Central Government . . .	36
2444	माना शिबिर में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of refugees in Mana Camp	37
2445	बिहार एलाय स्टील लि०	Bihar Alloy Steels Ltd. .	37
2446	"पाक डज नाट रूल आउट वार" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	Pak does not rule out war .	38
2447	कर्नाटक और केरल में बीड़ी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Beedi Workers in Karnataka and Kerala	38
2449	इस्पात टयूब निर्माता एककों को इस्पात की सप्लाई	Steel Supply to Steel tube manufacturing units . . .	39
2450	खम्पा लोगों का भारत में प्रवेश	Khampas crossed over to India	39
2451	ब्रिटिश सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भारत के वाणिज्य मंत्री से परिचय पत्र दिखाने की मांग किया जाना	Indian Commerce Minister asked to show Identity by British Customs Authorities . .	39
2452	भारत विरोधी तत्वों द्वारा नेपाल में नैशनल फ्रंट की स्थापना की योजना	Plan for national front by anti-Indian elements in Nepal .	40
2453	भारत-अमरीका आर्थिक तथा व्यापार सहयोग	Indo-U.S. Economic and Trade Co-operation . . .	40
2454	भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by Shipping Coporation of India . .	41

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2455	मोजाम्बिक में अफरीकी बैकलेश द्वारा भारतीयों को परेशान किया जाना	Victimisation of Indians by African Backlash in Mozambique	41
2456	हिन्दुस्थान स्टील लिमिटेड द्वारा हरियाणा में एक जाली कारखाने को इस्पात की कथित सप्लाई	Alleged supply of Steel by HSL to a non-existent factory of Haryana	42
2457	श्रीलंका की तीन परियोजनाओं के लिए भारतीय सहायता के बारे में समझौता	Agreement for Indian Assistance to three projects in Sri Lakha	42
2459	नेपाल के साथ मैत्री सुदृढ़ करना	Strengthening of Frendship with Nepal . . .	43
2460	विश्व संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं	Health problem in villages as surveyed by W.H.O. .	43
2461	गोदी श्रम बोर्ड के पास अनिर्णीत पड़े गोदी श्रमिकों के दावे	Pending claims of dock Labourers with Board .	44
2462	राजस्थान में पास बुकों पर इस्पात का कोटा	Steel quota on Passbooks in Rajasthan	44
2463	झांसी छावनी के कमांडेंट के विरूद्ध शिकायत	Complaint against Commandant of Jhansi Cantonment .	45
2464	नये इस्पात पुनर्वेलन एकक	New Steel Re-rolling units	45
2465	हिन्द महासागर में आंग्ल-अमरीकी अड्डे का आधुनिकीकरण	Modernisation of Anglo American base in Indian Ocean	45
2466	इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी में कथित अनियमितताएं और अन्य गलतियां	Alleged Irregularities and lapses in I.I.S.Co. . . .	46
2467	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापार को अश्वेत उपनगरीय क्षेत्रों में ले जाया जाना	Removal of Indian business to non white suburb in South Africa	46
2468	भारतीय चिकित्सा पद्धती के चिकित्सकों की नियुक्ति	Appointment of practitioners of Indian System of medicine .	46
2469	विश्व की जनसंख्या पर आयोजित अंतराष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on World population . .	47
2470	हाल्दिया में एक पोत निर्माण यार्ड बनाने की योजना	Plan for Ship-building Yard at Haldia	48
2471	रक्त दाताओं को धन का भुगतान	Payment to Blood Donors .	48

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2472	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर टोरसा पुल	Torsa Bridge on National Highway No. 31 . . .	49
2473	बिहार में दरभंगा से फोरबिसगंज तक सड़क का निर्माण	Construction of Road from Darbhanga in Bihar to Forebesganj	49
2474	श्री राम रेयन्स, कोटा के कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ	Gratutity Benefit to Employees in Sri Ram Rayons, Kota .	49
2475	इस्पात का चोर बाजार में बेचा जाना	Steel sold in Blackmarket	50
2476	जबलपुर और ग्वालियर में नए स्टील यार्ड	New Steel Yards at Jabalpur and Gwalior	50
2477	भारतीय चिकित्सा में डिग्री तथा डिप्लोमा धारियों को समान माना जाना	Treating at par Degree and Diploma Holders in Indian Medicine	51
2478	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवावधि समाप्त होने के उपरांत भारत वापिस जाने के लिए मना करना	Refusal by Employees in Indian Missions abroad to return to India on expiry of Tenure .	51
2479	गैर-सरकारी लोह अयस्क की खानों का विकास	Development of Private Iron Ore Mines	52
2480	केरल सरकार का पुल निर्माण कार्य प्रस्ताव किया जाना	Proposal of Kerala Government regarding execution of bridge workers	52
2481	रूस द्वारा भारत को मिग विमान के फालतू पुर्जों की सप्लाई	Supply of Spare Parts IG's to India by USSR .	53
2482	उद्योगों में कानूनी सहायता निधि बनाया जाना	Setting up of Legal Aid Fund to Industries	53
2483	अनिवार्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	Compulsory Rural Health Services	54
2484	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore .	54
2485	दिल्ली में प्लास्टिक और पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा की स्थापना	Setting up plastic and Reconstructive Surgery in Delhi .	55
2486	सैनिक अस्पताल, दिल्ली में ग्लूकोज के टीके से हुई मृत्यु	Death due to Glucose Injection at Army Hospital. Delhi .	55
2487	मोजम्बीक में भारतीय दुकानों को कथित लूटपाट	Reported looting of Indian shops in Mozambique . . .	56
2488	हैदराबाद में लोहे तथा इस्पात व्यापारी का पकड़ा जाना	Iron and Steel Merchant apprehended in Hyderabad . .	56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2489	रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों का उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग	Utilisation of Defence Industrial Establishment for Producing Consumer Goods . . .	56
2490	भारत में जीवन-काल में वृद्धि	Increase in Span of Life in India	57
2491	दिल्ली परिवहन निगम की 'सुगम सेवा'	Sugam Seva Service by DTC .	58
2492	भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Indian Personnel by Foreign Embassies in India	58
2493	वातानुकूलन का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव	Harmful effects of Air Conditioning on Human Being .	59
2494	बड़े उद्योगों का मजूरी सर्वेक्षण	Wage Survey of Major Industries	59
2495	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का विस्तार	Expansion of Hindustan Latex Limited, Trivandrum . .	60
2496	कोचीन में शिपयार्ड परियोजना की प्रगति	Progress of Cochin Ship Yard Project	60
2497	सिक्किम विधान सभा के निर्णय के विरूद्ध सिक्किम के चोग्याल का अभ्यावेदन	Representation from the Chogyal of Sikkim against decision of Assembly of Sikkim . .	61
2498	मनीपुर, त्रिपुरा, मेघालय में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Manipur, Tripura and Meghalaya .	61
2499	भारत-रूसी आर्थिक आयोग	Indo-Soviet Economic Commission	62
2500	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने वाले अन्य व्यक्तियों को भी योगाभ्यास सुविधा	Extension of Yogic exercise facility to other C.G.H.S. beneficiaries	62
2501	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सर्वोच्च प्रबंधमंडल में परिवर्तन	Overhaul of Top management of Durgapur Steel Plant .	62
2502	गुजरात राज्य को इस्पात की सप्लाई	Steel supply to Gujarat State .	63
2503	भारतीय शिष्टमंडल द्वारा रुमानिया का दौरा	Visit by Indian delegation to Rumania	63
2504	छोटे इस्पात संयंत्रों के नये उद्यमकर्ताओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन	Government incentives to new entrepreneurs of Mini Steel Plants	63
2505	प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश का चुनाव दौरा	U.P. Election Tour of Prime Minister	64
2506	भारत-बंगला देश सीमा पर सीमा-स्तम्भ स्थापित करना	Erection of boundary pillars on Indo-Bangladesh border . .	64

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2507	कच्चा लोहा निर्यात करने वाले अन्य देशों के साथ समझौता	Agreement with other countries for export of Pig Iron . .	64
2508	जान्स हाफकिन्स विश्वविद्यालय को चिकित्सा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुमति	Permission for Medical Research and Training granted to Johns Hopkins University . .	65
2509	अविलंबन (सुपरसेशन) के कारण उच्च श्रेणियों के सैनिक अधिकारियों द्वारा त्याग-पत्र	Resignation of high ranking military Officers due to supersession	66
2510	लोहे का मूल्य	Prices of Iron .	66
2511	बैंकिंग उद्योग में कर्मचारियों के लिए बोनस	Bonus for employees in Banking Industry . . .	67
2512	वर्ष 1973-74 के दौरान निगम कर्मचारियों द्वारा भरे गये नमूनों में अपमिश्रण	Adulteration in samples taken by the Civic Staff during 1973-74	67
2513	नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री	Manufacture and sale of spurious drugs	68
2514	विदेश विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दौरा	Visit by Foreign Dignitaries .	69
2515	नेपाल में त्रिशुली पत-बिजली परियोजना पर कार्य कर रहे भारतीयों को पुलिस संरक्षण	Police protection to Indians at Trishul Hydro-electric project in Nepal	69
2516	सरकारी क्षेत्र में कम्पनियां और निगम	Companies and corporation in Public Sector . . .	69
2517	हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के उत्पादों का न लिया जाना	Rejection in taking products of Hindustan Latex Limited, Trivandrum . . .	70
2518	राजेन बाबू टी०बी० हास्पिटल, किंग्जवे कैंप, दिल्ली द्वारा संदिग्ध सौदे	Shady deals by Rajen Babu T. B. Hospital, Kingsway Camp, Delhi	70
2519	खास जोयरामपुर कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Khas Joyarampur Colliery	70
2520	मेसर्स वंशीधर एंड संस तथा विजय टाकिज, मुंगेर के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत अपराधिक मामले	Criminal cases under E.P.F. Act against M/s Banshidhar & Sons and Vijoy Talkies, Monghyr	71
2521	हजारीबाग के मेसर्ज नवरंगलाल अगरवाला के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आपराधिक मामले	Criminal cases under E.P.F. Act, 1952 against M/s Nawrang Lal Agrawala of Hazaribagh	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2522	कटिहार, बिहार में कालाज़ार रोग को फैलने में रोकना	Break out of Kalazar Disease in Katihar, Bihar . . .	71
2523	भारतीय नौवहन निगम को जहाजों की आवश्यकता	Requirement of attacks by Shipping Corporation of India .	72
2524	1000 लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करना	Setting up of 1000 mini steel plants	72
2525	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन	Amendment of Prevention of Food Adulteration Act . .	72
2526	सिंगापुर में भूतपूर्व आजाद हिन्द अंतरिम सरकार के मुख्यालय की इमारत का अधिग्रहण	Acquisition of Headquarters Buildings of Earstwhile Free India Provisional Government in Singapore	73
2527	गंगा से पानी न मिलने के कारण कलकत्ता पत्तन में जहाजरानी में कठिनाई	Difficulty in Navigation to Ships in Calcutta Port for want of water from Ganga . .	73
2528	काश्मीर की सीमा पर चीन-पाकिस्तान की सैनिक तयारियां	Sino-Pak Armed build up along Kashmir Border . . .	74
2530	गुट निरपेक्ष नीति की सफलता	Success of Non alignment Policy	74
2531	किसानों को सस्ती दर पर लोहे की उपलब्धता	Availability of Iron to farmers at cheap rate . .	75
2532	उत्तर बिहार में महामारियों को रोकने के लिये सहायता	Assistance for checking Epidemics in North Bihar . .	75
2533	उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छे औद्योगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव	Proposal for better Industrial relations to increase production	75
2534	मजूरी पुनरीक्षण के लिए सांविधिक अंतराल में कमी करने के बारे में राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की सिफारिश	N.C.L. Recommendation on reduction in Statutory interval for wage revision . . .	76
2535	विदेशी विशेषज्ञों द्वारा महाराष्ट्र में शिपयार्ड के लिए स्थापना स्थल का सर्वेक्षण	Survey of site by Foreign experts for Ship building in Maharashtra	76
2536	बो० ए० एल० सी० का दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय	BALCO Central Office in Delhi	76
2537	डियागो गर्शिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डा	U.S. Naval base in Diego Garcia	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2538	उज्जैन नरेश जिन्निंग फैक्टरी, उज्जैन द्वारा श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of Workers dues by Ujjain Naresh Ginning Factory. Ujjain	77
2539	पंजाब में बिजली की कटौती के कारण जन दिवसों की हुई हानि	Man hours lost due to power shedding in Punjab	77
2540	पांचवी योजना के दौरान पंजाब में परिवहन सुविधाओं का विस्तार	Expansion of Transport facilities in Punjab during Fifth Plan	78
2541	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन	Restructure of Indian Council of Medical Research	78
2542	नौवहन कम्पनियों का ऋण देने की शर्तों में उदारता	Liberalisation of Loan terms to Shipping companies	78
2543	सिक्किम के मुख्य मंत्री द्वारा भारत का दौरा	Visit to India by Chief Minister of Sikkim	79
2544	राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा	Threat to Nation's Health	80
2545	बम्बई से सीरम का निर्यात	Export of serum from Bombay	80
2546	राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यकरण की जांच के लिए मूल्यांकन समिति का गठन	Setting up of Evaluation Committee to examine working of NCC	80
2547	निधियों का दुर्विनियोग और परिवार नियोजन सामग्री का दुरुपयोग	Misappropriation of funds and Misuse of Family Planning Materials	81
2548	बोकारो इस्पात लिमिटेड की धमन भट्टों के उत्पादन में कमी	Decline in production of Blast furnance at Bokaro Steel Ltd.	81
2549	युनायटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन, सिंघभूम, बिहार से प्राप्त ज्ञापन	Memo from United Mineral Workers Union, Singbhum Bihar	82
2550	सैनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त और वेतन भत्तों का लाभ	Additional Pay and Allowances benefits to defence personnel	82
2551	बर्मा और भारत के बीच सीमांकन	Border demarcation between Burma and India	83
2552	फ्रांस के साथ संबंधों में सुधार	Improvement in relations with France	83
2553	मूल्य वृद्धि का रक्षा भंडार खरीद कार्यक्रम पर प्रभाव	Effect of rising prices on Defence Stores purchase programme	83
2554	चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिए नेपाल को आधार बनाना	China using Nepal as base for Tirades against India	84
2555	विश्व स्वास्थ संगठन अभिकरणों का मलेरिया उन्मूलन के लिए अंशदान	Contribution by W.H.O. agencies for Eradicating Malaria	84

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2556	चीन के खतरे का सामना करने के लिए सिक्किम के प्रति रक्षा दायित्व	Defence Responsibilities towards Sikkim to meet Chinese Threat	85
2557	"आयल स्पिल पोजिज प्राब्लम फार इंडिया एक्सपर्टस"	Oil Spill poses problem for Indian Experts . . .	85
2558	कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश की प्रक्रिया।	Procedure for investment of employees Provident Fund	85
2559	हनोवर इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई में सुपरवाइजर स्वर्गीय मगनलाल देसाई की पत्नी को भविष्य निधि की राशि भुगतान न किया जाना	Non payment of E.P.F. amount to widow of Late Maganlal Desai, Supervisor, Hanover Insurance Company, Bombay	86
2560	कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश	Investment of employees Provident Fund	86
2561	नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रुकना	Stopping of DTC buses in North Avenue, New Delhi . .	86
2562	औद्योगिक संबंध अधिनियम और फैक्टरी अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial Relations Act and Factories Act .	87
2563	परिवहन विकास परिषद के निर्णयों का कार्यान्वयन	Implementation of decisions taken by Transport Development Council . . .	87
2564	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को समाप्त करना	Winding up of Central Road Transport Corporation Ltd. .	89
2565	औषधियां अधिनियम के अंतर्गत पट्टियों के कपड़े व गाज कपड़े के लिए नियत विशिष्टियां	Specification for Bandage Cloth and Gauge cloth under Drugs Act	89
2566	'टिस्को' का विस्तार	Expansion of TISCO .	90
2567	सैनिकों को शौर्य पुरस्कार	Gallantry awards to Armed Personnel	90
2568	पांचवीं योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्ग	New National Highways in Fifth Plan . . .	92
2569	राउरकेला को कोक भट्टी बैटरियां	Rourkela Coke oven Batteries	92
2570	पड़ौसी देशों के साथ घनिष्ट संबंध	Closer relationship with neighbouring Countries . .	93
2571	भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि	Increase in pension of Ex-servicemen	93
2572	सरकारी अस्पतालों में औषधियों की कमी	Shortage of medicines in Government Hospitals . . .	93

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2573	कैंसर के अतिरिक्त अन्य असाध्य रोग	Incurable diseases other than cancer . . .	94
2574	इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल की ढुलाई	Movement of raw material to Steel Plants	95
2575	नौसैनिक शक्ति का विकास	Development of Naval Strength	96
2576	इस्पात कारखानों के मजदूरों की जबरन छुट्टी	Workers of Steel Units laid off	96
2577	उड़ीसा में गोपालपुर लघु पत्तन	Gopalpur minor port in Orissa	97
2578	सुकिंडा में निकिल संयंत्र	Nickel plant at Sukinda .	97
2579	अठारबांकी तथा पारादीप पत्तन के बीच पत्तन रेल सम्पर्क	Port Rail Link between Atharbanki and Paradip Port .	98
2580	उड़ीसा से ले जायी गई लौह अयस्क की मात्रा	Quantum of Iron ore handled in Orissa	98
2581	सीमा पर पाकिस्तान की गतिविधियां	Pak activities on Border . .	98
2582	पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय सैनिक तथा नागरिक	Indian Soldiers and Citizens in Pak Custody . . .	98
2583	स्वास्थ्य संबंधी सहायकों के संवर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा के एक ग्रुप की स्थापना	Setting up a Group of Medical Education to Train Cadre of Health Assistants . .	99
2584	छावनी बोर्ड अधिनियम में संशोधन	Amendment to Cantonment Board Act	99
2585	औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम को लागू करना	Enforcement of Drugs and Cosmetics Act	101
2586	मध्य प्रदेश में नकली औषधियों के घोटाले	Spurious Drugs Scandals in Madhya Pradesh . . .	101
2587	नागालैंड तथा मनीपुर में खनिज साधन	Mineral Resources in Nagaland and Manipur . . .	102
2588	सिक्किम के बारे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रचार	Pak propaganda against India regarding Sikkim . .	102
2589	दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता	DTC requirement of Buses .	103

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2590	अंतर्देशीय परिवहन के विकास के बारे में भागवती समिति पर किया गया खर्च	Expenditure incurred on Bhagwati Committee on Development of Inland Transport .	103
2591	मैसर्स छगनलाल पांचूलाल, इन्दौर द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि का जमा न कराया जाना	Non deposit of E.P.F. by M/s Chhaggan Lal Panchu Lal, Indore	103
2592	वर्ष 1973-74 में गोहाटी से कलकत्ता तक अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा ढोया गया माल	Cargo Handled by Inland Water Transport from Gauhati to Calcutta in 1973-74 . .	104
2593	अमरीका तथा सोवियत संघ द्वारा परमाणु बमों का इक्ट्ठा किया जाना	Pooling of Nuclear Bombs by USA and USSR . . .	104
2594	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का उत्पादन	Production of Public Sector Steel Units	105
2595	सरकारी तथा विभागीय उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों को सुधारना	Improvement of Industrial Relations in Public and Departmental Undertakings . .	106
2596	उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर प्रतिव्यक्ति व्यय	Per Head Expenditure on ESIS in U.P.	106
2597	चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों की मरम्मत पर व्यय	Expenditure incurred on Repair of Bridges on National Highway in West Bengal in Fourth Plan	107
2598	पश्चिम बंगाल, मनीपुर और मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल	Bridges on National Highways in West Bengal, Manipur and Meghalaya	107
2599	फार्मासिस्टों के वेतनमानों का निर्धारण	Fixation of Pays of Pharmacists	108
2600	फार्मासिस्टों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Third Pay Commission in respect of Pharmacists	108
2601	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के विवादों का अधिकार क्षेत्र	Jurisdiction of Disputes in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	110
2602	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम	Expansion Programme for H.S.L.	110
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	आयात लाइसेंस का मामला	Import Licence case . .	111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion .	116
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	122
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	123
राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक—	Bill as passed by Rajya Sabha—	
(1) तारयंत्र संबंधी तार (विधि विरूद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक	(1) Telegraph wires (Unlawful possession) Amendment Bill	123
(2) निरसन और संशोधन विधेयक	(2) Repealing and Amending Bill	123
सभा का कार्य	Business of the House . .	123
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolution—	
47 वां प्रतिवेदन . . .	Forty-seventh Report . .	126
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
1. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 269 और 280 का संशोधन) श्री मुरासोली मारन का	1. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 269 and 280) by Shri Murasoli Maren	127
2. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 270 का संशोधन और अनुच्छेद 271 का लोप) श्री मुरासोली मारन, का	2. Constitution (Amendment) Bill. (Amendment of article 270 and ommission of article 271) by Shri Murasoli Maren	127
3. संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन) श्री अर्जुन सेठी का	3. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of seventh schedule) by Shri Arjun Sethi	127
4. क्रीड़ा और खेलकूद परिसंघ और संगम (प्रबंध ग्रहण) विधेयक, श्री अर्जुन सेठी का	4. Sports and Games Federations and Associations (Taking over of Management) Bill by Shri Arjun Sethi .	128
5. पेंशन (विनियमन) विधेयक, श्री दीनेन भट्टाचार्य का . . .	5. Pensions (Regulation) Bill by Shri Dinen Bhattacharyya	128
6. संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 324 का संशोधन) श्री अटल बिहारी वाजपेयी का	6. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 324) by Shri Atal Bihari Vajpayee	129
संविधान संशोधन विधेयक	Constitution (Amendment) Bill —	
(नये अनुच्छेद 83क का अंतस्थापन), श्री सी० के० चन्द्रप्पन का विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	(Insertion of new article 83A) by Shri C. K. Chandrappan Motion to consider-Negatived.	129

विषय	SUBJECT	
पंचायत राज के माध्यम से आयोजन तथा विकास विधेयक—श्री रणबहादुर सिंह का	Planning and Development through Panchayat Raj Bill by Shri Ranabahadur Singh—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	130
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	131
श्री एम० कत्तामुत्तु	Shri M. Kathamuthu	132
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	133
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga .	133
श्री इराज्मुद सकेरा	Shri Erasmo de Sequeria .	134
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari . .	135
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	136
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy .	136

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1974/7 अग्रहायण, 1896 (शक)
Thursday, November 28, 1974/Agrahayana 7, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न काल संबंधी प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे यह स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमें पता लगा है कि अब से बाद में मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले सभी उत्तर पहले प्रधान मंत्री को भेजे जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का अधिकार है।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिये क्या आवश्यकता आ पड़ी है। **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Madhu Limaye : Sir, on the one hand it is our complaint that required information is not given to us and on the other hand, the Prime Minister has administered the other Ministers for giving more information and asked them not to give more information. Our rights and privileges should not be put to an end.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व

***246. श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस्पात और खान मंत्रालय का विचार अपने नियंत्रणाधीन अन्य सरकारी उपक्रमों में भी इस योजना को लागू करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

2—40 L. S. S. (ND)/74

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील लि० के निदेशक मण्डल में कामगारों के दो प्रतिनिधि नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा जून, 1971 में की गयी थी और इस्पात उद्योग के लिये नियुक्त की गई संयुक्त वार्ता समिति न कामगारों के प्रतिनिधियों को से इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये अपने सुझाव देने को कहा गया था परन्तु कोई सुझाव नहीं मिले लेकिन इस समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी कर्मशाला स्तर से लेकर नीति निर्धारित करने के उच्चतम स्तर तक सभी स्तरों पर होनी चाहिये। इस पर समिति से कहा गया कि वह बताये कि उस की राय में इस्पात उद्योग के लिये किस प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त होगी। इसके बाद ठोस सुझाव प्राप्त नही हुए हैं।

इस समय सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रबन्ध में मजदूरों का सहयोग और भागीदारी इस रुप में है कि कई क्षेत्रों अर्थात् उत्पादन की वर्तमान समस्याओं, उत्पादन के लिये वार्षिक लक्ष्य निश्चित करने, कल्याण कार्यों, शिकायत निवारण, सुरक्षा आदि में कामगारों से परामर्श किया जाता है।

हिन्दुस्तान कापर लि० के निदेशक मण्डल में श्रमिकों का एक नेता भी शामिल है। अन्य उपक्रमों में भी द्विपक्षीय समितियों के प में मजदूरों की भागीदारी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों की व्यापक भागीदारी का आम प्रश्न भी इस समय विचाराधीन है। सरकार इस्पात कारखानों के प्रबन्ध में मजदूरों की व्यापकभा गीदारी के लिए इच्छुक है।

श्री वयालर रवि : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिनिधित्व न पाने के लिये श्रमिक दोषी हैं। विवरण में बताया गया है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल में दो श्रमिकों का प्रतिनिधित्व देने का निर्णय वर्ष 1971 में किया गया था और इस्पात उद्योग की संयुक्त वार्ता समिति में श्रमिक प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया था था कि वे उक्त निर्णय के कार्यान्वियन के बारे में अपने सुझाव दें। किन्तु सरकार ने एक प्रतिनिधि, और कहीं एक श्रमिक नेता नियुक्त किया। माननीय मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि विशेष रूप से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में घाटा हो रहा है। यह अकेला संयंत्र है सम्पूर्ण इस्पात उद्योग को घाटा पहुंचा रहा है और वहां पर लगभग 37,000 श्रमिक हैं। क्या सरकार श्रमिकों को विश्वास में लेगी और संयंत्र विशेष में उन्हें प्रबन्ध में अधिक जिम्मेदारी दे कर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन बढ़ाने का प्रयोग करेगी ताकि उसमें लाभ हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह तो नही कहता कि यह श्रमिकों का दोष था कि वे प्रबन्ध मंडल में प्रतिनिधित्व न ले सके। यह सच है कि 1971 में यह निर्णय तत्कालीन इस्पात मंत्री द्वारा घोषित किया गया था कि सरकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंध मंडल में दो श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। यह निर्णय संयुक्त वार्ता समिति को पहुंचा दिया गया था। पहले तो सदस्यों और संयुक्त वार्ता समिति ने इसका स्वागत किया किन्तु बाद में उन्होंने कहा कि प्रबन्ध मंडल में दो श्रमिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति मात्र से प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना वास्तव में लाभप्रद न होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रबन्ध में भाग लेने का कार्य दुकान-स्तर से प्रारम्भ होना चाहिये। अतः उन्होंने इस निर्णय को अपर्याप्त बताया। तत्कालीन मंत्री ने इस पर भी सहमति दे दी थी और इस बार में उन्होंने सुझाव मांगे थे। परन्तु दुर्भाग्य से इस बारे में न तो संयुक्त वार्ता समिति ने सुझाव दिये और न यूनियन के नेताओं ने ही सुझाव दिये। यही कारण है कि कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। हां, सरकार अभी भी इच्छुक है कि न केवल प्रबन्ध-बोर्ड में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व मिले बल्कि ऐसी अन्य समितियों में भी उन्हें प्रतिनिधित्व मिले जो उत्पादन बढ़ाने, कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने तथा श्रमिक-प्रबन्धक संबंधों में सुझाव लाने के कार्य में लगी है।

श्री वयालर रवि : यदि सरकार वास्तव में श्रमिकों का सहयोग और प्रबन्ध में उनका भाग लेने के लिये इच्छुक है, तो क्या वह 'इन्टक' और 'सीटू' जसे केन्द्रिय श्रमिक संघों के नेताओं की एक बैठक बुलायेगी तथा उनसे उत्पादन और प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लिये जाने आदि की समस्या पर विचार करगी ?

श्री चंद्रजीत यादव : सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों की बैठक तो बुलानी संभव न होगी क्योंकि विभिन्न श्रमिक संघ अलग-अलग उद्योगों से सम्बद्ध हैं। जहां तक इस्पात और खान का संबंध है, एक संयुक्त वार्ता समिति है जिसमें लगभग सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों का प्रतिनिधित्व है। अत: उसके समक्ष ही यह प्रस्ताव रखा गया था और अब हम फिर उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। इस सभा के सदस्यों से भी सुझाव मांगने में सरकार को कोई संकोच नहीं है। यदि श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिये जाने के बारे में सदस्यगण हमें सुझाव देंगे कि किस प्रकार इसे अधिक प्र ावपूर्ण और संतोषप्रद बनाया जा सकता तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील के श्रमिकों, विशेषकर, दु ापुर इस्पात संयंत्र के श्रमिकों ने कार्य की शर्तों में सुधार करने के लिये कई बार ज्ञापन देकर अनुरोध किया है? 'सीटू' से संबद्ध स्टील वर्कर्स यूनियन ने प्रबंध और मंत्रालय को इस आशय के कई सुझाव दिये थे कि उत्पादन में सुधार किस प्रकार हो और कार्य की शर्तों में सुधार किस प्रकार हो। किन्तु इस बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका हालांकि इस बारे में कई अभ्यावेदन दिल्ली भेजे गये।

सरकार वास्तव में क्या करना चाहती है? वह केवल वार्ता समिति के बारे में ही बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के श्रमिक दल द्वारा दिये गये सुझाव भी अभी तक लागू नहीं किये गये हैं। 700 संविद श्रमिकों को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में वापस काम पर लेने के बारे में भी मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री चंद्रजीत यादव : यह सच है कि विभिन्न यूनियनों और श्रमिक प्रतिनिधियों से हमें समय-समय पर सुझाव और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। जहां तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है, सरकार ने उससे सम्बन्धित सभी सुझावों पर उचित ध्यान दिया है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसमें काम की शर्तों में सुधार के लिये गंभीर प्रयास किया गया था। हमने इस बारे में कई बैठक की थीं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में काम कर रही 'सीटू' तथा अन्य यूनियनों के परामर्श से वहां एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई थी। 'इन्टक' और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री से भी परामर्ष किया गया था। केन्द्रीय सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हुई थी और एक सूत्र तयार किया गया था। एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की गई थी। यह समिति दुकान-स्तर (शाप फ्लोर लेवल) पर तो कार्य ठीक से न कर सकी। हां, संयंत्र स्तर पर इसका कार्य सफल रहा। दो-तीन बैठकें हुई हैं। बाद में संयंत्र स्तरीय समिति भी ठीक से काम न कर सकी और परिणामत: मामला जहां का तहां रहा। हाल ही में, मैं स्वयं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में गया था और वहां मैंने 'सीटू' 'इंटक' और 'एटक' के प्रतिनिधियों से उपयोगी बातचीत की थी और मुझे विश्वास है कि कोई न कोई निदान निकल आयेगा।

श्री प्रबोध चंद्र : यदि ऐसा पता चले कि इस्पात मिलों में जो यूनियनें काम कर रही हैं, वे श्रमिको के हित में काम न करके राजनीतिक हितो को बढ़ाने में लगी हैं, तो . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री चंद्रजीत यादव : विभिन्न उद्योगो में विभिन्न श्रमिक संघ काम कर रहे है। आज देश में, जो स्थिति है, उसके अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहां श्रमिक आन्दोलन राजनीति से पूर्णत: पृथक है। श्रमिक आन्दोलन का मुख्य कार्य यह है कि वह श्रमिकों के हितों की र ा करे। परन्तु राजनीतिक दलो के अपने पृथक् विचार और संबंध होते है और उनका श्रमिक संघों पर अपना निजी प्रभाव होंत है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक संघ और राजनीति अलग-अलग हैं।

Shri Ram Singh Bhai Verma : I would like to know whether the two representatives are out siders or they work in the plant.

Shri Chandrajit Yadav : It is obvious from the reply that they are not from amongst the workers of the Plant but they are labour leaders. No particular formula could be evloved on the basis of which representatives could be selected from amongst the workers. So two well known labour leaders were appointed.

Efforts were made in all the steel plants to appoint such committees with a view to solve the labour problems by negotiations. There are 14 such committees in Bhilai Steel Plant, 8 committees in Rourkela Steel Plant, 7 and 9 committees in Durgapur and Alloy Steel Plant respectively. They meet every now and then. They include Accommodation Committees, Health Advisery Committees and Works Committees. It was tried to have representatives of workers at every level so that their problems could easily be solved at every level.

Shri Ramavtar Sharti : The Minister has told that representation is being given to the workers in Management Boards. I would like to know the basis on which such representatives are selected. Will it not be proper to select them on the basis of secret ballot ?

Shri Chandrajit Yadav : I said that no representatives were so far appointed on the Management Committees. We wanted to do it but could not do because no agreed formula could be found out. That is why the labour leaders were appointed on the basis of their standing, their knowledge in particular industry and their popularity among workers. Keeping all these things in view they were nominated. As regards giving representation to the workers, we are considering it seriously. If Members want to give their suggestions in this regard we will welcome that. We are keen to take workers' representatives as soon as possible.

Shri Naval Kishor Shamra : May I know whether government will pay due attention to the 'maxim' one industry one union, so that inter-union rivalry may be put to an end and the workers may have their due participation in the management ?

Shri Chandrajit Yadav : I agree with the hon. Member on this point. The difficulty is that every industry has a number of unions and most of the unions have several fractions within them. This issue is, however, under consideration of the Department of Labour.

Shri Swarn Singh Sokhi : Only the public sector steel plants are suffering from this malady. In Tata Iron and Steel Co., Jamshedpur the system of Departmental Committees has been adopted and such a system can also be adopted in public sector steel plants.

Shri Chandrajit Yadav : I do not agree with the hon. Member on this point. As regards the appointment of committees like those in Tata industry I have already told that government have set up such committees in a number of public sector plants and they are functioning successfully.

Shri Hukum Chand Kachwai : I would like to know whether such representation will be given in mine industry also besides steel industry and whether it is a fact that government invited the suggestions with certain strings ? What are the names of the labour leaders who have been nominated and to which parties they belong ?

Mr Speaker : It is a general question and it does not arise.

Shri Chandrajit Yadav : It is the policy of Government that representation to the workers should be given in all the public undertakings. But it cannot be done simultaneously in all the industries. We are trying our best to find out the agreed formula to do the same. As regards the suggestions with condition, it was not so. Suggestions cannot be invited with conditions. More over, now I invite suggestions without conditions. Kindly give suggestions as to how effectively they can be given representation.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यदि दो या तीन प्रश्न ही पूरे होने हैं, तो प्रश्न सूचि में 20 प्रश्नों के बजाय 5 प्रश्न ही रखे जायें। यहां तक छठे को भी अवसर नहीं मिलता। महत्वपूर्ण प्रश्न तो और भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल भी यह कहा था और मैं प्रति दिन यहां सदस्यों से वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यहां हम हाउस आफ कामन्स की नकल नहीं कर सकते, चूंकि यहां स्थिति भिन्न है।

Shri M. C. Daga : When was the principle of giving participation to workers in the management laid down ? The Estimates Committee has several times invited the attention of Government towards this issue. May I know whether Government have invited the opinions of the Labour Department on this issue and if so, the opinion they gave ?

Shri Chandrajit Yadav : This issue has been under consideration for the last several years. Suggestions have been received from both sides and negotiations have also been made. I do not know about the observations of the Estimates Committee. But the committee on Public Undertakings has sent certain suggestions which can be taken as guidlines. The Department of Labour has also issued certain guidelines. But there is a lot of difference between the suggestions given by the Labour Department and those given by the Labour leaders. We are considering all these suggestions and trying to find out some solution to the deadlock, so that the workers may be given representations in the management as soon as possible.

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : विवरण में यह कहा गया है : "यद्यपि कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे, परन्तु श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्य ने यह अनुभव किया है कि प्रबन्ध में श्रमिकों की निम्न शाप स्तर से उच्चतम नीति निर्धारण निकाय तक सभी स्तरों पर भागिता होना चाहिये।"

अन्तमें कहा गया है :

"और ठोस सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।"

अतः यह बातें परस्पर-विरोधी हैं।

इस्पात संयंत्रों में यूनियनें काम कर रही हैं जिन्हें विचार-विमर्श समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या आप ने इन इस्पात संयंत्रों में काम कर रही यूनियनों के प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के बारे में अपने विचार भेजने के लिये लिखा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? फिर, आपने उल्लेख किया है कि दुर्गापुर की तीन स्तरीय संयंत्र स्तर की समिति कार्य नहीं कर रही है। क्या यह सच नहीं है कि श्री आनन्द मुकर्जी के नेतृत्व में 'इंटक' से सहयोग प्राप्त न होने के कारण यह अब कार्य नहीं कर रहा है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य ने कहा है कि मेरे विवरण में कुछ असंगतियां हैं। यह सही नहीं है। पहले वह सामान्य रूप से इस बातपर सहमत हो गये थे कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बोर्ड में दो प्रतिनिधि होने चाहिये। बाद में उन्होंने स्वयं यह कहा कि यह कर्मचारियों की वास्तव में प्रबन्ध व्यवस्था में भागिता नहीं होगी। अतः उनके अनुसार प्रबन्ध व्यवस्था में सब स्तरों पर नीचे शॉप स्तर से उच्चतर स्तर तक भागिता होनी चाहिये। लेकिन जब उनसे विशेष सुझावदेने का अनुरोध किया गया था तो वे कोईठोस सुझाव नहीं दे सके। विवरण में यही बताया गया है।

जहां तक दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, हममे इस बारेमें न केवल यूनियन को लिखा है बल्कि यूनियन नेताओं के प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने के लिये प्रत्येक प्रयास किया गया था । इस्पात और खान मंत्री की दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की यूनियनों के नेताओं और पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री से बातचीत हुई थी । इस बात पर सहमति हुई थी कि हमें दुर्गापुर में तीन स्तरीय समिति के कार्य को आरम्भ करने के बारे में प्रयास करना चाहिये । कुछ समय तक एक अथवा दो समितियों ने कार्य किया लेकिन बाद में उन्होंने कार्य नहीं किया । किसी विशेष यूनियन को इस संबंध में दोष देना उचित नहीं। तथ्य यह है कि दुर्गापुर संयंत्र में काम कर रही यूनियनें पूरा सहयोग नहीं दे रही हैं और उन समितियों ने कार्य करना बन्द कर दिया है जिन्होंने पहले काम करना आरम्भ कर दिया था । वास्तविक स्थिति यह है ।

लौह अयस्क के मामले में संयुक्त क्षेत्र प्रबन्ध

*248. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना का उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिये कुछ प्रमुख गैर-सरकारी खानों का तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करने हेतु लौह अयस्क के मामले में संयुक्त क्षेत्र प्रबन्ध की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) खनन के संबंध में सरकार अब तक किस नीति का अनुसरण करती रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस्पात उद्योग तथा निर्यात के लिये आवश्यक मुख्य लौह-अयस्क निक्षेपों से माल निकालने का काम सरकारी क्षेत्र में किया जाएगा अथवा इन्हें इस्पात कारखानों की रक्षित इकाइयों के रूप में रख गया है ।अन्य क्षेत्र गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दे दिये गये हैं ।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether the Government has left the work connected with steel with its Tisco Company of Jamshedpur and when in the present circumstances we want to produce more and more steel, it has become necessary that all the steel mines in private sector should be nationalized.

Shri Chandrajit Yadav : It is true that Tisco has its own captive mines like other plant owners. It is not the policy of the Government to nationalize all the industries established in private sector and not to allow those industries to function which are doing well. So far as the question of nationalization of all the mines is concerned, the Government has not taken any such decision.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the number of Mines in private Sector. I also want to know the annual production of iron ore in these mines and whether the Government has proposed any plan to increase production in those mines.

Shri Chandrajit Yadav : At present it is not possible to tell the exact number of such mines but perhaps the hon. Member may be satisfied with the answer that out of our total iron mines about 54 percent are in the private sector and 46 percent are in the Public Sector.

So far as the question of increasing the production in mines established in Private Sector is concerned, our Ministry has set up an Iron Ore Board for Barajamda and Belari areas because these are areas in which most of the private mines are located. The Barajamda

area Committee has submitted its report regarding increasing production of iron ore scientifically about two-three months back. The Iron-ore Board discussed this matter on 14th October last. The Board had suggested to increase the production of iron ore from about two and a half million tonnes to eight million tonnes in that area. It will cost about 12 crores rupees. It has also suggested to start a central crushing and stoning plant at a cost of Rs. 5 crores, so that the work may go on smoothly. We will consider those suggestions and take decision in such a way that not only the production in private mines may increase but there may also be scientific and rational development in them. We are considering those suggestions.

Shri Naval Kishore Sinha : I want to know whether he is aware that there has not been any improvement in road transport neither in private nor in public sector in these areas during the last few years ? Neither new railway lines nor good roads have been provided in these areas. I want to know whether the hon. Ministei will look into this matter ?

Shri Chandrajit Yadav : It is true that this problem is theie in some mining aieas. We have to establish a rail link there. We have to make arrangements for infra structure in other areas also. We have appointed Iron-ore Board for this purpose which is considering this matter. They have also set up some Committees. We are looking into this matter but it is not possible to provide all these facilities at one and the same time. The Government is preparing schemes to tackle these problems.

Shri Lalji Bhai : I want to know the annual production in these private mines in 1971, 1972 and 1973.

Mr. Speaker : The present question relates to the speedy development of some of the major mines. It is not related to production.

Shri Chandrajit Yadav : Although this to is a general question, yet I may tell for the general information of the hon. Member that the production of iron ore in 1971 was 34.26 million tonnes in 1972, it was 35.19 million tonnes and in 1973 it was 35.2 million tonnes. It includes roughly production of 54 percent in private sector and the remaining in public sector, as I have already stated.

श्रीलंका के प्रधान मन्त्री का दौरा

***249. श्री मोहम्मद शरीफ़ :**

श्री पी० वैंकटासुब्बया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली का दौरा करने वाली श्रीलंका की प्रधान मंत्री के साथ हुई बातचीत का सारांश क्या है ;

(ख) उक्त वार्ता के फलस्वरूप क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) दोनों देशों के बीच अभी तक कौन-कौन से मामले हल नहीं हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) 31 अक्तूबर से 1 नवम्बर 1974 के बीच श्रीलंका की प्रधान मंत्री, श्रीमती सिरिमावों भण्डारनायक की अल्पावधि यात्रा के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विनिमय हुआ था ।

(ग) दोनों देशों के बीच कोई समस्या नहीं है ।

श्री मोहम्मद शरीफ : रामेश्वरम् द्वीप के तमिल प्रदेश के मछुओ को, जो कच्चाथीवू द्वीप के निकट मछली पकड़ने के लिये जाते हैं, श्री लंका की पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री से हुई वार्ता के दौरान यह बात उनको जानकारी में लाई गई थी ?

श्री बिपिनपाल दास : मुझे इस बात की सूचना नहीं है। यह हमारी जानकारी में नहीं है।

श्री मोहम्मद शरीफ : क्या हिन्द महासागर में शान्ति बनाये रखने के बारे में दोनों देशो के बीच एक समझौता हुआ है ?

श्री बिपिनपाल दास : श्रीलंका और संयुक्त राष्ट्र के अन्य देशों ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पास कर इस बात की पुष्टि की है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to know whether the representative of Sri Lanka supported the Indian as well as Pakistans stand regarding declaring this area as a nuclear free zone whereas our's and Pakistan's attitude is quite different on this matter ? I want to know whether any discussion has been held with Sri Lanka on this matter and, if so, whether the Minister of External Affairs or his Ministry has succeeded in bringing about similarity in views?

Minister of External Affairs (Shri Y. B. Chavan) : We have discussed this matter with Sri Lanka and we had made clear our views to them in this regard. But they have their own views and they have supported the motions of both the countries. Several other countries of the world have also done so.

Shri Atal Bihari Vajpayee : So we have not been able to persuade them.

Shri D. N. Tiwary : I was surprised to know that the hon. Minister had no information regarding the Indian fishermen going to the area of Sri Lanka. This news has appeared so often in the Press that the fishermen in Sri Lanka are not being given fair treatment and they are being harassed. I want to know whether any discussion in this matter was held so that they might not be harassed and their work might go on smoothly.

श्री बिपिनदास पाल : श्री मोहम्मद शरीफ ने एक विशेष मामले के बारे में पूछा है। जहां तक उक्त विशेष मामले का सम्बन्ध है, मुझे इस मामले को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं। हम इस मामले पर अवश्य ही श्री लंका सरकार से विचारविमर्श करेंगे।

श्री था किरनतिनत : मुझे मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस उत्तर से आश्चर्य होता है कि इन देशों के बीच कोई समस्या नहीं है। पहले, भारत अनेक वस्तुएं जैसे प्याज, मिर्च तथा अन्य चीजों का श्रीलंका को निर्यात कर रहा था। श्रीलंका ने इन सब वस्तुओं का चीन तथा अन्य देशों से आयात करना आरम्भ कर दिया है। क्या इस विषय पर बातचीत के दौरान चर्चा की गई थी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बिपीनपाल दास : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का उक्त दौरा अनौपचारिक तथा गैर-सरकारी था। वास्तव में यह निर्धारित दौरा नहीं था। वह ईरान से श्रीलंका लौट रही थीं। अनौपचारिक और गैरसरकारी दौरे के दौरान सामान्य बातों पर हुई चर्चा का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

बोकारो इस्पात परियोजना को हानि

+

***251. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात परियोजना को वर्ष 1973-74 के दौरान 10 करोड़ रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 में बोकारो स्टील लि० को 10.43 करोड़ रुपये की हानि हुई है। यह हानि मुख्यत: मूल्य-ह्रास अधिक होने तथा आरम्भिक चरण में उत्पादन इकाइयों का और उपयोग न होने के कारण हुई है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कारखाने को वर्ष 1973-74 में 10 करोड़ रुपये से अधिक हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया था तब उक्त हानि का पूर्व अनुमान लगाया गया था और उस वर्ष में वास्तव में कितना मूल्य-ह्रास हुआ और गत वर्षों में मूल्य ह्रास के लिये कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी ?

श्री चन्द्रजीत यादव : विकास परियोजना प्रतिवेदन में इस प्रकार की हानि का पूर्व अनुमान लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। बोकारो अथवा इसी प्रकार के अन्य कारखाने में आरम्भ में ऐसा हमेशा होता है। हानि इसलिये होती है कि हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। बोकारो देश में सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है। शायद यह विश्व का सबसे बडा संयंत्र है उदाहरणार्थ, आज ही हमने वहां एक धमनभट्टी तथा दो कोक-भट्टी चालू की है। एक धमन भट्टी के लिये दो कोक-भट्टियों की आवश्यकता नहीं है लेकिन वे तैयार हैं। हमें इसके लिये डेढ़ कोक भट्टी की आवश्यकता है, लेकिन काम चल रहा है। सिन्टर संयंत्र तैयार हैं। जो लगभग तीन अथवा चार धमन भट्टियों की मांग पूरी करेगा। अत: हम सिन्टर संयंत्र को पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आक्सीजन संयंत्र की भी, जो अनेक धमन भट्टियों और कोक-भट्ठियों की आवश्यकताएं पूरी करेगा यही स्थिति है। अत: इस प्रकार से संयंत्र में आरम्भ की अवस्था में ऐसी हानि अवश्य होती है। मूल्यह्रास लागत लगभग सात प्रतिशत है। लेकिन संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन आरम्भ करेगा तो निश्चित् रूपसे यह लाभ में चलेगा। इस में हानि होने का कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन आरम्भिक अवस्था में इस प्रकार के संयंत्र अवश्य ही घाटे में चलते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं प्रतिशतता के आधार पर आंकड़े नहीं चाहता। मैं मूल्य-ह्रास के लिये वास्तव में की गई व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह हमेशा प्रतिशतता में होती है। इसे एक मुश्त में नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह आरम्भ में किये गये कार्य और पूरे किये गये कार्यपर निर्भर करती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रतिशतता कुल विनियोजन पर लगाई जाती है। कुल विनियोजन तथा मूल्य ह्रास कितना था ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं दोनों के आंकड़े दे चुका हूं। मूल्य ह्रास सात प्रतिशत है। वर्ष 1973-74 में 10.43 करोड़ रुपये की हानि हुई।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आज भी कुछ एकक काम नहीं कर रहे हैं। इसके क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य मेरी बात को उचित रूप से समझ नहीं पाये हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि कुछ एकक कार्य नहीं कर रहे हैं। आज एक धमन भट्टी कार्य कर रही है। अन्य एकक जो तैयार हैं वे हैं — आक्सीजन संयंत्र और कोक-भट्टी।

एक माननीय सदस्य : उन्हें केवल चीनी के बारे में जानकारी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमें आशा है कि अगामी मार्च तक दो और धमन-भट्टियां चालू हो जायेंगी। उस समय तक अन्य संयंत्रों की क्षमता का जो तैयार हैं, और अधिक उपयोग होगा।

Shri R. S. Pandey : The hon. Minister has just stated that the loss is bound to be there and there is no remedy for it. I want to know whether at the time when the Bokaro Steel Plant was set up, its blue print has prepared and its capacity was determined and the loss of Rs. 10 crores was also estimated at that time ? I want to know the theory on the basis of which he has stated that the loss was bound to be there and there was no alternative to that. I want to know when its full capacity would be utilized and whether there is some such scheme under which it will work to its full capacity and then there may not be any loss in this plant ?

Shri Chandrajit Yadav : The hon. Member has perhaps failed to understand me. I did not say that the loss was bound to be there. I have stated that in a factory and industry in which such a big plant is set up it cannot be set up in six months or a year. It takes 4 years, 5 to 7 years or 8 years, it depends upon its capacity to complete it.

Since the work is in progress, some units are ready and some are not, in such circumstances every where in the world there is a loss in such type of industry. As I have stated that on the completion of Bokaro plant in 1977, its capacity will be 4 million tonnes. We hops that the plant will run in profit in 1978-79 where it will attain its production upto 4 million tonnes and at that time the question of loss will not arise.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा क्या तथ्यों से उन्हें इस बात का पता लगा है अथवा नहीं कि इस संयंत्र के कुछ बहुत से महत्वपूर्ण एककों, जैसे सिल्ली मिल और गर्म पट्टी मिल की, जिनकी निर्धारित समय के अनुसार स्थापना 1973 में की जानी थी, अभी तक स्थापना नहीं की गई है और क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में हुए विलम्ब में धीमी प्रगति के बारे में जांच की है और क्या उन्हें इस आशय के समाचार मिले हैं कि कुछ अधिकारी कुछ ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर इस संयंत्र की प्रगति में जान बूझकर बाधा डाल रहे हैं और सिल्ली मिल और गर्म पट्टी जैसी मिल की समय पर स्थापना होने नहीं दे रहे हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : सिल्ली मिल और गर्म पट्टी मिल के बहुत शीघ्र चालू हो जाने की सम्भावना है लेकिन यह सच है कि इस मामले में देरी हुई है । जैसाकि माननीय सदस्य को विदित ही है, देश में पहले स्थापित इस्पात संयंत्र लगभग "टर्न-की" हैं और अधिकांश संयंत्र आयातित हैं । उनके उपकरण आयातित हैं । उनके लिये विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है तथा उनका मूलभूत ढांचा आयातित है । बोकारो सबसे बड़ा भारतीय इस्पात संयंत्र होगा । यह वास्तव में देश के लिये तथा हमारे इंजीनियरों के लिये गर्व की बात है कि इस संयंत्र में 90 प्रतिशत इस्पात ढांचे ....

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : लेकिन विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कह रहा हूं कि इन प्रतिशत 90 प्रतिशत इस्पात ढांचे में से केवल 65 प्रतिशत शेष हैं । हमारे देश में 48 प्रतिशत विद्युत् उपकरण, 80 प्रतिशत औजार तथा 37 प्रतिशत ताप-रोधक पदार्थ बनते हैं । वस्तुतः कुछ कंपनियां हैं जो भारत में ही इन का निर्माण करती हैं । और दुर्भाग्य से, देश में इन ढांचों—कतिपय मशीनरी तथा अन्य उपकरणो के-निर्माण में विलंब हुआ और परन्तु हम तो यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश में निर्मित होने वाला साज-सामान बढ़िया किस्म का हो और उसका उपयोग बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये किया जाये । जब हम आयात करते हैं तो हमें बहुत धन खर्च करना पड़ता है । इस तरह इसमें विलंब ही रहा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कार्य-सारिणी तैयार की जारी है, ऐसा तो नहीं है कि हम अधिकांश साज-सामान भारत में ही बनायेंगे, यह सब कुछ तो पहले से ही मालूम था । क्या इसका यह अभिप्राय है कि सभी कुछ भारतीय है ! समय भी भारतीय होना चाहिये या कुछ और !

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सच है कि हम भारतीय हैं और हमारा अपना काम करने का तरीका है। मैं इससे सहमत हूं कि हमें अनावश्यक विलंब से बचने का प्रयास करना चाहिये। सच कहूं तो इस स्तर पर हमने यह योजना बनाई थी कि यह कार्य निर्धारित कार्य-सारिणी के अनुसार होना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से, विलंब हो ही गया क्योंकि हमारे देश में कतिपय महत्वपूर्ण कच्चे माल का अभाव रहता है तथा कभी कभी विद्युत की भी कमी हो जाती है। हड़तालें भी हो जाती हैं। विलंब के यही कारण हैं।

Chakravarty Report on Wage Policy

+

***252. Shri R. V. Bade :**
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the recommendations made in the Chakravarty report on Wage Policy and the reaction of Government to each of them ;

(b) whether any All-India Wage Policy has been evolved ; if so, the broad outlines thereof ; and

(c) whether a copy of Chakravarty Report would be laid on the Table of the House?

श्रम मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) रिपोर्ट में मजदूरी सेल गठित करने से संबंधित सिफारिशों के अतिरिक्त अन्य सभी सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

श्री आर० वी० बड़े : उनका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में क्या आपत्ति है ?

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं। इसलिये इस समय इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री आर० वी० बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : जैसा कि मैंने पहले कहा, समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। हम सभी सिफारिशों पर विचार करेंगे। इस समय मेरे लिये कुछ भी कहना कठिन है।

श्री आर० वी० बड़े : हम जानना चाहते हैं कि नीति के बारे में समिति ने क्या विचार व्यक्त किये हैं।

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : समिति ने कई सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश यह है कि मजूरी सैल का गठन किया जाये। सरकार ने इस बारे में निर्णय कर लिया है तथा श्रम मंत्रालय में मजूरी सैल बना दिया गया है तथा वह सैल कुछ अनुसंधान कार्य कर रहा है। इससे अधिक तो मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इसमें कठिनाईयां क्या हैं ? क्या इसके पीछे प्रतिक्रियावादी शक्तियां हैं ?

श्री त्रिदिब चौधरी : श्रीमन, क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि चक्रवर्ती समिति की सिफारिशें या तो प्रेस को मालूम हो गई थी या वे समाचार पत्रों में छप गई थी। सारा प्रतिवेदन प्रकाश में आ चुका है। इन सिफारिशों के परिणामों के बारे में देश भर के समाचार पत्रों ने खूब टिप्पणियां की हैं।

फिर सरकार को इस समिति की मुख्य सिफारिशों को सभा पटल पर रखने में क्या संकोच है ? मैं यह मानता हूं कि उन्हें निर्णय करने में कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। परन्तु मुख्य सिफारिशों के बारे में इस प्रकार गोपनीयता क्यों बरती गई है ?

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : इस मामले में गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं है। मैंने तो कहा है कि सरकार इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है। सैल गठित करने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है और मजूरी सैल स्थापित कर दिया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have to decide upon that the Government set up a Committee. Public money was spent thereon. The recommendations of the Committee have come out in the press. But still the hon. Minister is not prepared to take the House into confidence. He has neither said that it cannot be divulged in the public interests nor has he declared it a secret and confidential document. In these circumstances on what grounds does he refuse to lay it on the Table of the House ? You please give your ruling thereon.

Shri Inderjit Gupta : May I know whether the report that has come out is false or authentic ?

क्या आप इससे इन्कार करते हैं कि समाचार पत्रों में प्रमाणित रिपोर्ट सही नहीं है ?

श्री आर० वी० बड़े : उन्हें रिपोर्ट पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is this Report also considered as much prestigious as that of the C. B. I. ? You please protect our rights.

Mr. Speaker : I do protect your rights but now rights grow up every day. वह कहते हैं कि यदि वह इसे लोक हित के विरुद्ध या गोपनीय नहीं बताते हैं तो आप कुछ कहिये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सभा पटल पर रखिये यह फैसला तो आपने करना है।

श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी : अनुपूरक प्रश्न में मुख्य बात यह पूछी गई थी कि क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी। मैंने आदर सहित कह दिया है कि जी नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कई बार कह चुका हूं कि अध्यक्ष मंत्री को कोई दस्तावेज सभा पटल पर रखने को बाध्य नहीं कर सकता। मैं उनसे पूछ सकता हूं कि वह अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं या कुछ और। आप इस बारे में बनाये हुये अपने ही नियमों का पालन क्यों नहीं करते, जोकि बहुत ही स्पष्ट हैं ? किसी मंत्री को सभा पटल पर दस्तावेज रखने को विवश करने की शक्ति अध्यक्ष के पास नहीं है।

You tell me where is that power ? You find out the way. I have none. Where in the rules have you given me the power with which I can compel him ?

श्री सी० एम० स्टीफन : इसमें विवश करने की कोई बात ही नहीं है . . . .

Shri Hukum Chand Kachwai : It has been published in the newspapers. What is the harm in laying it here ? Has the Prime Minister forbidden him to place it here ?

Mr. Speaker : Can any problem be solved by shouting so loudly ? Mr. Kachhwai you have a very shrill voice. If I have any power I am prepared to use that.

मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं मैंने निर्णय और परम्परायें पढ़ी हैं। मेरे हाथ में कोई शक्ति नहीं है।

श्री श्यामनंदन मिश्र : इस तथ्य के अलावा कि वह प्रतिवेदन प्रेस को उपलब्ध करा दिया गया था तथा इस माध्यम से जनता को पता लग चुका था, यह भी सच है कि योजना आयोग के एक सदस्य ने इसे पेश किया था, अत: इससे एक दूसरी बात उठ खड़ी होती है । योजना आयोग को समूचे तौर पर एक सरकारी निकाय तो नहीं माना जा सकता ।

Mr. Speaker : When something comes out in the Press and the people come to know of it, why don't you submit that ? You are neither contradicting nor confirming what has come out in the Press.

श्री सी० एम० स्टीफन : वह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं रख सकते ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Preparation of Spurious Asafoetida in Delhi

*245. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether spurious asafoetida is prepared in Delhi;

(b) the extent to which the import of asafoetida from Afghanistan has declined this year as compared to the last three years ; and

(c) the steps Government propose to check the preparation of spurious asafoetida ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Karan Singh) : (a) No such case has come to the notice of Government.

(b) The import of asafoetida from Afghanistan during the last few years was follows:—

(*in thousands of Kgs.*)

1970-71	400
1971-72	413
1971-73	90
1973-74	582
1974-75(April-June)	145

(c) The preparation of spurious asafoetida is in an offence and is dealt with under the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act.

चिकित्सा शिक्षा के सुधार के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

*247. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार के बारे में पहले गठित दो विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर कार्यवाही करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय में एक दल का गठन किया है ;

(ख) यदि हां तो पिछले समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस नये दल के उद्देश्य क्या है और इनका काम कब पूरा हो जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री कर्णसिंह) : (क) जी हां। एक नवम्बर, 1974 को इस दल का गठन किया गया था।

(ख) और (ग) चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन 1970 द्वारा यथा संशोधित चिकित्सा शिक्षा समिति, 1968 की सिफारिशों और इस नए दल के निर्देश पदों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8600/74**]

भारत के प्रधान मंत्री की सोवियत संघ की प्रस्तावित यात्रा

*250. **श्री बी० मायावन** :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1974 में सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य प्रयोजन क्या है ; और

(ग) वहां किन किन विषयों पर चर्चा होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) 29 नवम्बर 1973 को श्री एल० आई० ब्रेझनेव, महासचिव, की भारत यात्रा के दौरान की गई संयुक्त भारत–सोवियत घोषणा में, सोवियत नेता ने प्रधान मंत्री को सोवियत संघ की सरकारी यात्रा करने का निमंत्रण दिया था। वह निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन यात्रा की असली तारीखें प्रधान मंत्री और सोवियत नेताओं की परस्पर सुविधा के अनुसार दोनों सरकारों के बीच अभी तय की जानी हैं।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री सोवियत संघ की यात्रा पर जब जाएंगी, तब उसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि सोवियत नेताओं के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मासलो पर विचार–विमर्श किया जाए। उच्च स्तर पर इस प्रकार विचारों के अदान-प्रदान से भारत-सोवियत मित्रता सहयोग और आपसी समझ-बूझ और मजबूत होगी।

National Highway linking Sirsa with Ganganagar

*253. **Shri Pannalal Barupal**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the present route of national highway linking Sirsa with Ganga nagar *via* Dabwali, Malout and Abohar is appripriate; and

(b) the benefit that will accrue to Government if this highway is linked to Sirsa Surewal *via* Hanumangarh ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Kamalapati Tripathi) : (a & (b) Sirsa and Ganganagar are not on the same National Highway but on two different ones Because of this the national highway connection between them is not direct but indirect *via* Dabawali, Malout and Abohar. The two national highways are national Highway No. 10 between Delhi and Fazilka and National Highway No. 15 between Pathankot and Kandla (Samakhiali). These two National Highways being direct between their specified terminal, rerouting of any to have a shorter link *via* Surewal and Hanumangarh will increase their length and the distance between the specified terminal Rerouting is not, therefore, a desirable proposition.

नेपाल के साथ सम्बधों का पुनर्मूल्यांकन

*254. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के गत अन्त : सत्रावधि के दौरान उनके मंत्रालय ने नेपाल के साथ हमारे संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया था ;

(ख) ऐसा प्रयत्न करने के आवश्यकता के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या उससे किसी निष्कर्षपर पहुंचा गया है और क्या उसके बाद नेपाल सरकार के साथ परामर्श किया गया था ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) सिक्किम की जनता को संसद् में प्रतिनिधित्व और उसे सह राज्य का दर्जा देकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने के हमारें निर्णय के खिलाफ नेपाल में जो प्रतिक्रिया हुई उसे हमें चिंता हुई। इन मामलों में जो सामान्य व्यवहार होता है, नेपाल के साथ हमारे संबंधों की इस घटना को ध्यान में रखकर समीक्षा की गई थी।

(ग) हमने अपने इस विचार की पुन: पुष्टी की है कि भारत–सिक्किम के रिश्ते का संबंध केवल भारत और सिक्किम की जनता से है। भारत और नेपाल की सरकारें राजनयिक सूत्रों के जरिये एक-दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखती हैं और भारत-नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने की संभावनाओं का पता लगाती रहती है।

Anti-Indian activities by the Chogyal of Sikkim

*255. **Shri Shrikrishna Agarwal :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Chogyal of Sikkim is trying to get international support for his anti-Iindian activities;

(b) whether the representatives of the Chogyal have established contacts with some foreign embassies at Kathmandu for this purpose; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) to (c) A few misguided elements in Sikkim have been trying to attract international attention through false propaganda and distortion of facts Government are of the view that such elements are unlikely to be taken seriously and in any case cannot pose any threat to the further evolution of the democratic process in Sikkim or to the Indo-Sikkim relationship, both of which are based on the clearly expressed wishes and the long-term interests of the people of Sikkim.

श्रम कानूनों का पुनर्विलोकन करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा नियुक्त समिति

256. क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कानूनों का पुनर्विलोकन करने के लिये गुजरात सरकार द्वारा 1972 में नियुक्त की गई समिति ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि श्रमिक गण अपने व्यक्तिगत विवादों के बारे में सीधे ही श्रम–न्यायालयों में मांमले ले जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों की मुख्य रुप-रेखा क्या है और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

श्रममंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) समिति ने अपने रिपोर्ट गुजरात सरकार को पेश की। पता चला है कि राज्य सरकार समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति श्रम मंत्रालय को 14 नवम्बर, 1974 को प्राप्त हुई।

पश्चिम बंगाल में औषधियों का उपलब्ध न होना

*257. **श्री समर गुहः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में अनेक आवश्यक औषधियों और भेषज उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धि तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या ऐसी आवश्यक औषधियों और भेषजों की कमी और उनके उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ता के अस्पतालों के समक्ष गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डॉ० कर्ण सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल में दवाइयों की कोई खास कमी नहीं है। अलबत्ते कुछ प्रोप्राईट दवाइयों की, जिनके बदले में दूसरी गुणकारी दवाइयां सामान्यत : उपलब्ध रहती हैं, कमी की सूचना समय-समय पर मिलती रहती है।

(ख) और (ग) यद्यिपि मूल्यों के रेट--कान्ट्रैक्ट आदि में संशोधन न किये जाने के कारण अस्पतालों को काफी मात्रा में दवाइयां मिलने में कठिनाई हुई है फिर भी, स्थिति में अब सुधार हो रहा बतलाया जाता

देश में महामारियों का फैलना

*258. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महामारियों के फैलने की आशंका है ;

(ख) क्या चिकित्सा विज्ञान अनेक महत्वपूर्ण बीमारियों को समाप्त करने में असमर्थ हो रहा है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बीमारियों के फैलाव पर नियंत्रण करने के लिये क्या उपाय किए गए है ?

स्वास्थ्य और परवार नियोजन मंत्री (डॉ० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) वास्तव में संचारी रोगों की समस्याएं गम्भीर हैं और जब जीवाणु (आर्गनिज्म) ऐसे रोगों की रोकथाम करने वाली दवायों को पचा लेते हैं तब इस प्रकार की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयुर्विज्ञान की इन रोगों के इलाज के हल ढूंढ़ निकालने के लिए निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है।

(ग) मलेरिया फाइलेरिया, चेचक, हैजा, क्षयरोग, कुष्ठ रोग, रतिरोग और रोहे जैसे जन स्वास्थ्य महत्व के मुख्य रोगों के उन्मूलन अथवा उन पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपचारात्मक, निरोधक और सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों को सुदृढ किया जा रहा है।

मजगांव डॉक" की जहाजों के निर्यात के लिए मिले क्रयादेश

***259. श्री राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 'मजगांव डाक' ने अन्तर्राष्ट्रीय जहाज निर्माण बाजार में प्रवेश कर लिया है और जहाजों के निर्यात के लिए 8 करोड़ रुपए के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्यम, छोटे, जहाजों के निर्यात के लिए बहुत अधिक क्षमता पैदा कर ली गई है ; और

(ग) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के अन्य 'डाक्स' ने भी अपनी ऐसी ही स्थिति बना ली है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां । मजगांव डाक लिमिटेड की सिंगापुर की एक पार्टी के लिए दो मध्यम आकार के तटीय जहाजों और ईरान और सउदी अरेबिया के लिये 65 बजरी की सप्लाई के लिये 8 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के निर्यात आदेश प्राप्त हुये हैं।

(ख) तथा (ग) कुछ विदेशी फर्मों देशों ने दूसरे भारतीय शिपयार्ड को जहाजों के आर्डर देने की रूचि दिखाई है।

गढाई संयंत्र (मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड) का विस्तार

***260. श्री के० मालन्ना :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गढ़ाई संयंत्र (मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड) के विस्तार के लिये 4.30 करोड रुपये की विदेशी मुद्रा सहित 12.9 करोड़ रुपये की राशि का संशोधित अनुमान केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए भेजा गया था ;

(ख) क्या परियोजना का वित्तिय-पोषण भी सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): (क) जी, हाँ, लेकिन यह योजना गढ़ाई का कारखाना स्थापित करने के लिए है न कि उसके विस्तार के लिए ।

(ख) और (ग) इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच विचार-विमर्श हो रहा है। इस बारे में शीघ्र निर्णय लेने के लिए हर कोशिश की जायेगी ।

Regional Reservation of Posts in Army

***261. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some of the posts in the Army are reserved for people from particular regions; if so, the reasons therefor;

(b) whether it is against the Constitution; and

(c) if so, the action contemplated by Government to ensure equal opportunities for all the people of the country ?

3—40 LSS/74

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. This is due to historical reasons.

(b) & (c) This question has not so far been considered by any legal authority. However, it is not possible to remedy the situation immediately, but the intention is to so broad-base the composition of the Army as to ensure over a long period that every area and every class of people will feel that they have an equal opportunity to serve in the Army.

A recent step taken in this direction has been to relate recruitment to the Army to the recruitable male population belonging to the age group of 7-25 years, in the various States, based on the 1971 census figures except where recruitment is to be made in a particular caste or community for units having prescribed class composition

गुजरात में एल्यूमिनियम परियोजना

***262. श्री मधु दंडवते : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या ईरान की सहायता में गुजरात में एलयूमिनियम परियोजना आरम्भ करने के सरकार के निर्णय का महाराष्ट्र में रत्नागिरी में एल्यूनिनियम परियोजना के कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : जी, नहीं ।

केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र को अनुदान

***263. श्री शंकरराव सावंत : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सड़क निधि से महाराष्ट्र राज्य को कितना अनुदान दिया गया था ;

(ख) वर्ष 1974-75 में कितना अनुदान देने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकार को धन की कमी के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देना अथवा स्थगित कर देना पड़ा था ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) महाराष्ट्र राज्य के लिए 1971-72 से 1973-74 के दौरान निम्नलिखित धन राशियां स्वीकृत की गई :—

वर्ष	सहायता अनुदान की राशि
	रु०
1971-72	103.73 लाख
1972-73	147.01 लाख
1973-74	79.92 लाख

(ख) 48.60 लाख रुपए ।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्ष 1974–75 के लिए इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति

*264. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के लिए निर्धारित इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य की प्रप्ति की कोई सम्भावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के उत्पादन की कमी किन कारणों से हुई और उन्हें दूर किये जाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) यद्यपि अप्रैल-अक्तूबर, 1974 की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का इस्पात पिण्ड का उत्पादन इस अवधि के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य की तुलना में कुछ कम था तथापि विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कुछ अधिक रहा। इसलिये यह आशा की जाती है कि यदि शेष महीनों में कच्चे माल, बिजली और परिवहन का आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होती रहे तो 1974-75 के सम्पूर्ण वर्ष के लिये निश्चित किया गया लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

भारत में अल्प-पोषित बच्चे

2403. **श्री नुरुल हुदा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कहा है कि एशिया में 7 करोड़ अल्प-पोषित बच्चे हैं ;

(ख) भारत में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी ; और

(ग) सरकार देश में इस संकट का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोई ऐसा कथन सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कम आय वाले वर्गों के 18000 स्कूल पूर्व आयु के बच्चों का एक देश-व्यापी सर्वेक्षण देश के छ: केन्द्रों में किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि इनमें से लगभग 30 प्रतिशत बच्चे पोषण की कमी से होने वाले एक या अनेक रोगों से पीड़ित हैं।

(ग) पोषाहार को स्वास्थ्य की एक मुख्य समस्या समझते हुये भारत सरकार ने देश में पोषण कार्यक्रमों को चलाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. पूरक भोजन कार्यक्रम

(1) लगभग 19 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्राईमरी स्कूलों के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है।

(2) शहरी गन्दी बस्तियों और देश के अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों और गर्भवति स्त्रियों के लिए एक विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(3) बालवाड़ी भोजन खिलाने का कार्यक्रम 4316 बालवाड़ियों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के 19 लाख बच्चे आते हैं।

अन्य कार्यक्रम

(1) **व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम :—** यह कार्यक्रम ग्रामोण लोगों के पोषाहार में सुधार करने के लिये चलाया जाता है।

(2) **विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में अन्धापन की रोकथाम :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों को छ:-छ: महोनों के पश्चात काफी मात्रा में विटामिन 'ए' खाने को दिये जाते हैं जिससे वे विटामिन को कमो से उत्पन्न होने वाले अन्धेपन से बचे रहे।

(3) **माताओं और बच्चों में पोषणगत अरक्तता की रोकथाम :—** बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और दूधपिलाने वालो माताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति और बाल स्वास्थ्य क्लोनोकों, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर क्लोनोकों के माध्यम से लौंह और 'फोरिक एसिड' को गोलियां प्रतिदिन बाटी जातो है।

बोकारो कारखाने का विस्तार

2404. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैटालर्जिकल एण्ड इंजोनियरिंग कन्सलटेंटस इण्डिया लिमिटेड बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन पर सरकार को सम्भावना कब तक प्राप्त हो जायेगो ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) : बोकारो इस्पात कारखाने को 40 लाख टन क्षमता के लिए सोवियत संगठन द्वारा दिसम्बर, 1965 में तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मेटालर्जीकल एण्ड इंजोनियरिंग कन्सलटेटस इंडिया लि० (मेकोन) द्वारा अब अद्यतन किया जा रहा है और आशा है कि यह काम नवम्बर, 1974 के अन्त तक पुरा हो जायेगा।

'मेकोन' को ईस कारखाने को क्षमता को 40 लाख टन से बढ़ाकर 47.5 लाख टन करने के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम भो सोंपा गया है। उन्हें आशा है कि वे दिसम्बर, 1974 तक यह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे।

भारत स्थित सोवियत दूतावास द्वारा भारतीय कर्मचारियों की छंटनी

2405. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास में भारतोय कर्मचारियों को बढ़ो संख्या में छटनो कर दो गई है;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को उनको देय पूरी राशि नहीं दी गई है और वे कर्मचारी इस बात को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सोवियत दूतावास से बातचीत करेगी ; और यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सोवियत राजदूतावास द्वारा 1974 में स्थानीय रुप से नियुक्त 11 (उच्चारण) कर्मचारियों के सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं । सम्बन्द्ध स्थानोय कर्मचारियों का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और इस मामले को सोवियत राजदूतावास के साथ उठाया गया था। सोवियत राजदूतावास ने कहा है कि इन स्थानोय कर्मचारियों को सेवाएं उनको संविदाओं को शर्तों के अनुसार समाप्त को गई है।

हिन्दी महासागर में विभिन्न देशों के सैनिक अड्डे

2406. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **विदेश** मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने हिन्द महासागर में या तो आपने सैनिक अड्डे को स्थापित कर लिये है अथवा स्थापित करने का विचार कर रहे है ?

विदेश मंत्रालय में उपमत्री (श्री बिपिनपाल दास) : जैसो कि 25 अप्रैल , 1974 को भो एक प्रश्न के उत्तर में सदन में सूचना दो गई थो,बताया जाता है कि हिंद महासागर में संयुक्त राज्य अमरोका, यनाइटेड किंडम और फ्रांस के अड्डे हैं। हिंदो महासागर में नये अड्डों को स्थापना से संबंद्ध योजनाओं के बारे में सरकार को कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

विदेश मंत्रालय में कल्याण एककों का कार्यक्रम

2407. श्री भगतराम राजाराम मनहर : क्या **विदेश** मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय में कल्याण एकक भारत तथा विदेशों में तैनात अधिकारियों के लिये आवास तथा उनके बच्चों कि शिक्षा तथा संबंधो कठिनाईयों को हल करने में बुरो तरह असफल रहा है ; और

(ख) इस कल्याण–एकक के कार्य को सुनियोजित करने तथा इसको कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) विदेशों से लौटने वाले कर्मचारियों को रहने के स्थान और बच्चों को शिक्षा से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने में यह 'वेलफेअर यूनिट ' भरसक कोशिश करता रहा है। लेकिन इस यूनिट को कतिपय सोमाओं के अन्तर्गत काम करना पड़ता है जो कि विदेश मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर हैं ।

(ख) इस यूनिट के संचालन में और सुधार लाने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

लोहे तथा इस्पात की कमी के कारण प्रभावित पंजाब के लघु उद्योग कारखाने

2408. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे और इस्पात को कमो के कारण पंजाब के लघु उद्योग कारखाने बुरो तरह प्रभावित हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को लोहे तथा इस्पात का उचित वितरण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत स्थित विदेशी मिशनों को निमंत्रण-पत्र जारी करना

2409. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत स्थिति सभी विदेश मिशनों को निदेश दिये हैं कि वे भारतीय राष्ट्रियों, अधिकारियों अथवा गैर सरकारी व्यक्तियों को अपने सभी निमंत्रण-पत्र विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजें ; और

(ख) यदि हां, तो उन मिशनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस निदेश का उल्लंघन किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां, । विदेशी मिशनोंको यह निदेश दे दिए गए थे कि वे भारतीय राष्ट्रीकों को विदेश यात्रा के सभी निमत्रंण विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजा करें।

(ख) इन निर्देशों के उल्लंघन के कुछ मामले हुए ह जिनकी ओर संबंध मिशनों का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है ताकि भविष्य में वे सही तरिका अपनायें।

रक्षा मंत्रालय की पत्रिकाएं

2410. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि रक्षा मंत्रालय द्वारा किन-किन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है और उनकी वितरण-संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : रक्षा मंत्रालय सशस्त्र सेनाओं के लिए 10 भाषाओं में एक सचित्र साप्ताहिक "सैनिक समाचार" प्रकाशित कर रहा है। यह पत्रिका जिन भाषाओं में प्रकाशित होती है और 23-11-1974 को प्रत्येक भाषा का जितना परिचालन था, उसका विवरण इस प्रकार है:—

1 अंग्रेजी	5,577
2 हिंदी	11,832
3 मराठी	1,894
4 गोरखाली	1,525
5 पंजाबी	3,552
6 उर्दू	529
7 तामिल	1,158
8 तेलगू	608
9 मलयालम	2,901
10 बंगाली	404

रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रसारित की जा रही अन्य पत्रिकाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा स्विटजरलैंड से प्राप्त

2411. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने स्विटजरलैंड के एक निर्यात आदेश प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्यात आदेश कितने मुल्य का है और स्विटजरलैंड को क्या क्या वस्तुएँ निर्यात की जाएंगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने लगभग 17 करोड़ रुपए के मुल्य के इलैक्ट्रानिक्स उपस्करों की पूर्ति के लिए, एक स्विस फर्मास् निर्यात आदेश प्राप्त किया है।

Hotel charged with Adulteration

2412. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of hotels and other establishments charged with food adulteration in the country during the last six months and the action taken against them;

(b) whether these include some Government Hotels and establishments also; and

(c) if so, the names thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri S. K. M. Ishaque) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बोकारो मिल्स कम्प्लैक्स

2413. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्टक्शन लि० के 16,000 श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा लगातार हड़ताल पर रहने के कारण बोकारो मिल्स कम्प्लैक्स को पूर्व निर्धारित समयानुसार नवम्बर 1974 में चालू किये जाने पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ;

(ख) क्या हड़ताल बोनस के भुगतान के बारे में विवाद के कारण हुई थी ;

(ग) क्या पूर्ववर्ती वर्षों की तरह हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड 20 प्रतिशत बोनस की अदायगी करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अदायगी न करने के क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी श्रमिक हड़तालों से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) बोकारो इस्पात परियोजना में 17 अक्तूबर से 22 अक्तूबर 1974 तक हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० के लगभग 6,300 विभागीय कार्यकारी हड़ताल पर थे। काम पर आ जाने के बाद भी कुछ अनुभागों में धीमी गति से काम तथा नियमानुसार काम होता रहा। अक्तूबर 1974 में कुछ क्षेत्रों में काम की प्रगति रुक गई। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं कि कारखाने की समस्त परिचालन अनुसूची पर इसका प्रभाव न पड़े।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बोनस अदायगी अधिनियम के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० ने इस वर्ष 1973–74 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस देने की घोषणा की है ।

कलकत्ता में मलेरिया उन्मूलन सम्मेलन

2415. श्री भोला मांझी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल ही में मलेरिया उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) मलेरिया के विरुद्ध अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) भारत, बर्मा और बंगलादेश के मलेरिया विज्ञानिकों के बीच 21 और 22 नवम्बर, 1974 को कलकत्ता में एक बैठक हुई थी । इसमें इन तीन देशों के सीमावती इलाकों में मलेरिया को खत्म करने के लिए चलाई गई योजनाओं की समीक्षा की गई और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छिड़काव और निगरानी कार्य करने के लिए एक सांझा योजना बनाई गई ।

(ग) मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय पोषित कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम में हुई प्रगति को समय समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में पायी गयी सोने की परतें

2416. श्री बेकारिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में हाल ही में सोने की परतों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्भाव्यता क्या है और उन खानों की खुदाई का काम तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) सम्बलपुर जिलेमें ताहुद के निकट ईब नदी में जलोढ बालू में तथा हीराकुड के आस-पास महानदी नदी के कंकड़ों में स्वर्ण-कर्ण होने का पता चला ; परन्तु अभी तक सोने के किसी आर्थिक रुप से लाभप्रद निक्षेप का पता नहीं चला है ।

Construction of Buildings under Family Planning Programme

2417. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Health Minister's Committee on construction of buildings under Family Planning Programme and the Central Family Planning Council, have submitted some recommendations; and

(b) if so, whether the decisions of Government on these recommendations have not been communicated to states so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) There is no Committee of Health Ministers on construction of buildings. The Central Family Planning Council which met in April, 1974, along with the Central Council of Health has made certain recommendations.

(b) The Government of India has taken decisions on certain recommendations and conveyed the same to the States. The remaining recommendations are under active consideration. However, none of the recommendations relate to buildings.

Deaths occurred due to administering Spurious Drugs/Injections

2418. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of persons died as a result of administering spurious drugs/injections during the last 4 or 5 months; State-wise; and

(b) the action taken by Government to check recurrence of such cases ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) A note indicating the steps taken by the Government to combat manufacture and sale of spurious and sub-standard drugs is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L. T. 8601/74]

विभिन्न देशों में हिन्दी का पढाया जाना

2419. श्री भागीरथ भंवर : क्या **विदश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी किन किन देशों में पढ़ाई जाती है ; और

(ख) उन देशों और विदेशी विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध की गई है, जो हिंदी की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं ?

विदेश मंत्रालय म उपमंत्री (श्री बिपिनलाल दास) : (क) जिन देशों में विभिन्न स्तरों पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, उनके नाम संलगन सूची में दिए गए हैं।

(ख) हम सामान्य तौर पर जो सहायता देते हैं, उनमें से कुछ ये है : हिंदी पुस्तकें, चार्ट, लिंग्वा-फोन रेकार्ड, अन्य शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता और मार्गदर्शन और परिक्षाओं का संचालन; हिंदी में पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा के अलावा, हमारे सांस्कृतिक केन्द्रों और विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी सिखाने के लिए कुछ प्रोफेसर और लेक्चरर भी सुलभ कराए गए हैं। हम भारत में विदेशियों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी पाठक का और प्रशिक्षण देने का भी प्रबंध कर रहे हैं।

विवरण

देशों की सूची, जहां विभिन्न स्तरों पर हिन्दी भाषा सिखाई जाती है।

1. अर्जेन्तीना
2. आस्ट्रेलिया
3. आस्ट्रिया
4. बैल्जियम

5. बर्मा
6. कनाडा
7. चीन
8. चैकोस्लोवाकिया
9. डैन्मार्क
10. जर्मन संघीय गणराज्य
11. फिजी
12. फिनलंड
13. फ्रांस
14. जर्मन जनवादी गणराज्य
15. गुयाना
16. हंगरी
17. इटली
18. जापान
19. कीनिया
20. मारीशस
21. मैक्सिको
22. नैपाल
23. नीदरलैंडस्
24. न्यूजीलैंड
25. नार्वे
26. पौलेंड
27. कोरिया गणराज्य
28. रूमानिया
29. श्रीलंका
30. सुरीनाम
31. स्वीडन
32. थाइलैंड
33. ट्रिनिडाड
34. यूनाइटेड किंगडम
35. संयुक्त राज्य अमरीका
36. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
37. युगोस्लाविया

रेल कर्मचारियों की शिकायतें

2420. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 अक्तूबर, 1974 को हुबली में एक भाषण में उन्होंने यह कहा था कि रेल कर्मचारियों से उनका कोई संबंध नहीं है ;

(ख) क्या उनका यह कथन रेल कर्मचारियों की अभी हाल की अखिल भारतीय हड़ताल के उनके अनुभव पर आधारित है ;

(ग) क्या रेल कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए हुबली में रेल कर्मचारियों को उन्होंने आश्वासन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय श्रम मंत्री ने 27 अक्तूबर, 1974 के हुबली में अपने भाषण में यह उल्लेख किया कि रेल कर्मचारियों की शिकायतें रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) द्वारा निपटाई जानी चाहिए ।

अमरीका द्वारा उर्वरकों की सप्लाई

2421. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर वी० स्वामीनाथन :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को उर्वरक सप्लाई करना स्वीकार कर लिया है, यदि हां तो कितना ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई अंतिम करार हो गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) व्यापारिक आधार पर उर्वरकों की खरीद के लिये अमरीका के पूर्तिकर्ताओं के साथ समय-समय पर ठेके निष्पन्न किये जाते है । इस समबन्ध में अमरीका की सरकार के साथ कोई करार नहीं हैं ।

खानों तथा कोयला खानों में दुर्घटनायें

2422. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1973 से जुलाई, 1974 के बीच खानों तथा कोयला खानों में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई ; और

(ख) दुर्घटनाओं से प्रभावित हुए व्यक्तियों को कुल कितना मुआवजा दिया गया ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) जनवरी, 1973 से जुलाई, 1974 की अवधि के दौरान सभी खानों में 402 घातक और 4147 गंभीर दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) प्रबंधों द्वारा, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों, जिस का प्रशासन राज्य क्षेत्राधिकार में आता है, के अधीन मुआवजा देय है ।

हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड में श्रमिकों का दमन किया जाना

2423. **श्री एस० एम० बनर्जी :** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को विदेशी सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड को प्रबंधकों द्वारा बड़ी संख्या में श्रमिकों का दमन किए जाने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस पर 12 संसद सदस्यो ने हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) क्या इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि इस कम्पनी के कर्मचारियों की तीन वर्ष पुरानी यूनियन है जिसके राष्ट्रीय और यूनिट दोनों स्तरों पर अंतरिक कर्मचारी ही सदस्य हैं ;

(ग) क्या इस यूनियन के देशभक्त श्रमिकों ने इस मांग पर बल दिया है कि रोजगार कम्पनी की प्रगति के अनुपात में दिया जाये ;

(घ) क्या श्रमिक यह भी मांग करते रहे हैं कि कम्पनी का प्रबन्ध राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाये न कि यूनीलीवर, लन्दन के हितों को ध्यान में रखकर जो कि वास्तव में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को नियंत्रित करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो यूनियन की रक्षा करने तथा श्रमिकों को दमन से बचाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) जी हां, ऐसा एक अभ्यावेदन प्रधान मंत्री के सचिवालय में प्राप्त हुआ था ।

(ख) से (ङ) श्रम मंत्रालय को भी अभ्यावेदन भजे गए हैं, जिनमें प्रबन्धको दवारा गाजियाबाद कारखाने और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की नई दिल्ली शाखा के कुछ श्रमिकों के सताये जाने के आरोप लगाए हैं । बताया गया है कि श्रमिकों द्वारा कथित अनुशासनहीनता की कार्रवाइयों तथा कारखाने में अप्रैल, 1974 में हुई हड़ताल के बाद जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के हस्तक्षेप से वापस ले ली गई थी और 17 अप्रैल, 1974 से सामान्य स्थिति बहाल की गई थी । गाजियाबाद कारखाने के कुछ श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं । नई दिल्ली शाखा के मामले में, यह बताया गया है कि जो विक्रेताओं की सेवाएं कथित दुर्व्यवहार और लगातार अस्वस्थ स्वास्थ्य, आदि के आधार पर समाप्त कर दी गई थी । यह विषय दोनों मामलों में अनिवार्य रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है । जहां तक कम्पनी की प्रगति के अनुकूल रोजगार के विस्तार का सम्बन्ध है, प्रबन्धकों के अनुसार रोजगार के अवसर 1 जनवरी, 1964 में 7,058 थे जो बढ़ कर 30 जून, 1974 को 8,425 हो गये ।

वर्ष 1966 में हाजी मस्तान मिर्जा को पासपोर्ट जारी किया जाना

2424. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में हाजी मस्तान मिर्जा में अपनी विदेश यात्राओं के लिए पासपोर्ट हेतु आवेदन किया था ;

(ख) क्या बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, श्री नित्यानन्द कानूनगों ने हाजी मस्तान मिर्जा के आवेद पत्र के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया था ;

(ग) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया था कि श्री कानूनगों का प्रमानपत्र जाली था ;

(घ) क्या मुकदमे पर निर्णय देने वाले मजिस्ट्रेट ने यह उल्लेख करते हुए कड़ी भर्त्सना की है कि श्री कानूनगों ने यह मना करके कि उन्होंने प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था "एक ऐसा झूट बोला है जिससे छूटकारा नही हो सकता" ;

(ङ) श्री कानूनगो की सिफारिश पर उस तस्कर को जारी किये गये पासपोर्ट से उसने किन-किन देशों की यात्रा की और कितने समय के लिये वह विदेशों में रहा ; और

(च) क्या उसका पासपोर्ट वापस ले लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) से (घ) जी हां ।

(ङ) श्री मिर्जा ने 21–9–1968 से 30–10–1968 के बीच थाईलैंड, हांगकांग, फिलिपींस, कनाडा, यू० के०, लेबनान और डुबाई की यात्रा की और फिर उन्होंने 30–8–1969 से 28–9–1969 तक लेबनान, डुबाई और अदन की यात्रा की ।

(च) अक्टुबर 1969 में उनका पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बंबई द्वारा जप्त कर लिया गया था ।

परिष्कृत इस्पात का आयात

2425. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिष्कृत इस्पात का भी अन्य देशों में आयात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन देशों से और कितनी कितनी मात्रा में प्रति वर्ष आयात किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) वर्ष 1971-72 1972–73 और 1973–74 के दौरान तैयार **इस्पात के देशवार आयात का विवरण नीचे दिया गया है :—

मात्रा (टन)

देश का नाम	1971–72	1972–73	1973–74
बेल्जियम	62,621	54,959	45,764
चैकोस्लोवाकिया	19,973	16,696	17,921
फ्रांस	47,900	19,984	14,870
जर्मन संघीय गणराज्य	84,280	1,27,213	1,11,895
जर्मन जनवादी गणतंत्र	28,185	10,474	13,161
जापान	4,85,773	3,71,842	5,00,501
पोलैन्ड	61,074	36,275	22,119
यू० के०	3,25,105	2,64,250	97,852
अमरीका	1,04,534	30,090	27,956
सोवियत रूस	40,070	38,864	32,245
दूसरे देश	94,412	2,55,012	1,43,882

**इसमें इस्पात की ढली और गढ़ी वस्तुएं, पाइप ट्यूब तथा उनके लिए फिटिंग्स का सामान रेलवे ऐक्सल बाक्स, रेलवे सवारी डिब्बे तथा मालडिब्बे पिण्ड, ब्लूम, बिलेट तथा सिल्लियों का आयात भी शामिल है ।

संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्य सहायता

2426. **श्री मौलाना इसहाक सम्बली :**

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के साथ अपनी बातचीत के दौरान डा० कीसिंजर ने 'ऊर्जा साधन और खाद्य तथा उर्वरक दोनो की कीमतो में वृद्धि' का उल्लेख कर बार-बार खाद्य तथा ऊर्जा को समान महत्व दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख) डा० किसिंजर हाल ही में जब भारत की यात्रा पर आए थे तब उनके साथ अन्तराष्ट्रीय आर्थिक स्थिति पर सामान्य विचार विनिमय हुआ था जिसमें खाद्यान, उर्वरक, ईंधन, औद्योगिक सामग्री और टैकनोलाजी की बढ़ती हुई कीमतें भी शामिल थी। यह आशा व्यक्त की गई थी की रोम में होने वाले विश्व खाद्य सम्मेलन में विश्व के खाद्यान्न भडारो से अन्न बचाकर उसे अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित विकासमान राष्ट्रो को अधिक अनुकूल शर्तों पर देने का कोई तरीका निकल आएगा। उस समय इस बात पर भी सहमति हुई थी कि विचारो का और टैकनोलाजी का भी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आधार पर आदान प्रदान किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो और अपेक्षित ऊर्जा, उर्वरक और टकनालाजी आदि का भी सुनिश्चिय हो जाए।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

2428. **श्री डी० के० पण्डा :**

श्री एस० ए० मुरुगन्तम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के संस्थान हिंदुस्तान कापर लिमिटेड में फिर से स्थिरता की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नही ऐसी बात नही है। खेतड़ी प्रदावक अभी हाल ही में चालू हुआ है तथा खान सान्द्रक और प्रद्रावक के उत्पादन को अभीष्टतम स्तर तक पहुंचाने का काम जारी है। चांदमारी जो कि एक ओपन कास्ट परियोजना पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें 1976 में उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है। राखा प्रावस्थान परियोजना पर भी निर्माण कार्य चल रहा है और उसके निर्धारित क्षमता तक पहूंचने में कुछ वर्ष लगेगे। इसी प्रकार मालाजखंड के बारे में व्यापकपरियोजना रिपोर्ट बनायी जा रही है। राखा प्रावस्थान के बारे में साध्यता रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हूई है और उस पर विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Publications brought out by Foreign Embassies

2429. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the foreign Embassies in India which bring out various publications indicating the names of their publications, their circulation number, and the places from where these publications are posted;

(b) whether the publications brought out by the Russian and American Embassies are often published and posted from their respective countries; and

(c) if so, the number of such Russian and American publications and the estimated expenditure being incurred by India on their circulation, if any ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) A list of publications, published in India by Foreign Missions during 1973, is attached. [Placed in Library, *See* No. L. T. 8602/74].

(b) and (c) Government keeps no check on such publications posted from abroad. No expenditure is incurred by India on their circulation.

मिलावट करने के लिये "आंसुका" तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तारी

2430. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधों, खाद्य पदार्थों तथा उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा राज्यवार 'आंसुका' तथा भारत सुरक्षा नियमों के अधीन कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में विधान सभा द्वारा विधेयक पारित किये जाने के बाद मिलावट के लिये आजीवन कारावास दिये जाने का भी कोई मामला हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) सुचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"सूचकांक घोटाला"

2432. श्री सरजू पाण्डे :

श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 'सूचकांक घोटाले' के बारे में अनेक बार सरकार से शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसमें आगे कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के बारे में ट्रेड यूनियन संगठनों, जिनमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी शामिल है, से कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती है।

(ख) और (ग) श्रम ब्यूरो द्वारा सूचकांक समान और वैज्ञानिक कार्य पद्धतियों पर संकलित किए जाते है।

कोलार स्वर्ण खानें

2433. श्री ए० वी० कृष्णप्पा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार स्वर्ण खानों (कर्नाटक राज्य) की गत तीन वर्षों में कार्यकरण की जांच कर ली है;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्षवार इन खानों से कितनी मात्रा में स्वर्ण निकाला गया; और

(ग) क्या सरकार दवारा इसके कार्यकरण में कोई अनियमितता पाई गई है और उन कमियों को दूर करने तथा इन खानों से अधिक स्वर्ण निकालने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान कोलार स्वर्ण खानों से सोने का उत्पादन इस प्रकार रहा :–

	(लाख ग्रामों में)
1971–72	22.46
1972–73	20.00
1973–74	18.02

(ग) जी, नहीं। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड दवारा नए अयस्क पिण्डो का पता लगाने तथा वर्तमान खानों में उत्पादकता एवं कार्य कुशलता में सुधार करने की दृष्टी से खानों के और समन्वेषण तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों लड़खड़ाता

2434. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

श्री वनमाली पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक में "परिवार नियोजन कार्यक्रम क्यों लडखडाता है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तों उस समाचार में को गई टिप्पणियों के बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाहो को गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जो हां ।

(ख) और (ग) समाचार में जिस अध्ययन का उल्लेख किया गया है, उसके लिए स्वास्थ्य और परिवार नियियोजन मंत्रालय में वित्तीय सहायता दी थी। इस अध्ययन को रिपोर्ट का मसोदा प्राप्त हो गया है तथा मंत्रालय में इसकी जांच हो रही है ।

हाल्दिया बन्दरगाह के निर्माण कार्य में प्रगति

2435. श्री रानेन सेन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल्दिया बन्दरगाह का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या इसका निर्माण कार्य निर्धारित तिथि के अन्दर पूरा हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) हाल के मूल्यांकन के अनुसार हाल्दिया गोदी परियोजना के 1975 के मध्य तक चालू होने की संभावना है ।

(ख) और (ग) स्वदेशी निर्माताओं को द्वारा संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति में किसी ढील से गोदी के चालू होने में विलम्ब हो सकता है ।

कलकत्ता, पारादीप, बंबई और मद्रास पत्तनों को लाभ

2436. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता, पारादीप, बंबई और मद्रास पत्तनों के लाभ की दर का वर्ष वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पत्तनों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कलकत्ता, पारादीप, बंबई, मद्रास, के पत्तनों पर गत तीन वर्षों में लाभ/हानि दरें नीचे दी गई हैं:—

लाभ/हानि (रुपये लाखों में)

	कलकत्ता	पारादीप	बंबई	मद्रास
	हानि	हानि	लाभ	हानि
1971–72	119.00	173.74	522.92	2.24
1972–73 .	745.00	308.33	484.00	60.17
1973–74 .	1203.00	344.63	260.37	210.94

(ख) पत्तनों के कार्यों के सुधार के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है ।

(i) अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिये पत्तनों के प्रभारों तथा दरों में संशोधन किया गया/ किया जा रहा है ।

(ii) जहां कहीं संभव हो सकता है पत्तनों के तथ्य में कमी करने के लिये किफायती उपाय किये गये है ।

4—40 LSS/74

(iii) पत्तनों के यातायात में सुधार करने के लिये उपाय किये गये है ।

(iv) पांचवी योजना अवधि में अतिरिक्त सुविधाए देने के लिये विभिन्न विकास कार्य किये जा रहे है ।

श्रीलंका से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों का पुनर्वास

2437. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या श्रीलंका से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति स्वदेश वापस आये है और उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किये गये है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं मंजूर की जा चुकी है और कुछ योजनाए विचाराधीन है। प्रत्यावासी परिवारों को, श्री लंका छोडने से पहले श्री लंका में भारत के उच्चायोग से परिवार कार्ड प्राप्त करने की सुविधा है जिसके आधार पर, उन्हे पुनर्वास सहायता दी जाती है । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि प्रत्यावासियों को श्री लंका से भारत में 75,000 रुपए तक की परिसम्पत्तियां हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है, इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई योजनाओं का उद्देश्य पुनर्वास के उचित भविष्य की पेशकश करना है ।

श्री लंका से लौटे लोगों की जीवन यापन दशा के बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत–श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत 31 अक्तूबर 1974 तक भारत लौटे व्यक्तियों की संख्या 1,64,926 है । इन प्रत्यावासियों को उपलब्ध पुनर्वास सुविधाओं के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8603/74]

गोआ शिपयार्ड लिमिटेड वास्को-डि-गामा का कार्यकरण

2438. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि-गामा, गोआ के पिछले दो वर्षों के कार्यकरण के बारे में सरकार ने जांच की है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमितताय सरकार के ध्यान में आई है; और

(ग) त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान गोआ शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डि गामा, गोआ के कार्यकरण के बारे में कोई जांच नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

नेपाली पुलिस कर्मचारियों द्वारा भारतीय कर्मचारी की हत्या

2439. श्री सुरेन्द्र महन्ती :
श्री एन० ई० होरो :
श्री राम सहाय पांडे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतरा नहर और कोसी परियोजना में काम कर रहे एक भारतीय कर्मचारी की दो नेपाली पुलिस कर्मचारियों ने हत्या कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाली सरकार से किसी मुआवजे की मांग की गई है और यदि हां, तो इस बारे में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। नेपाल स्थित हमारे राजदूतावास ने नेपाल सरकार से मुआवजा मांगा है। इसी बीच सम्बन्द्ध पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वाणिज्यिक संगठनों द्वारा घटिया रक्त की सप्लाई

2440. श्री आर० आर० सिंह देव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक संगठनों द्वारा सप्लाई किया गया रक्त बहुत घटिया होता है और उसमें प्राय: मिलावट पाई जाती है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पतालों को घटिया रक्त सप्लाई करने और रक्त में मिलावट करने के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा मिलावटी रक्त की सप्लाई को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) आमतौर पर सरकारी अस्पतालों के पास अपने रक्त बैंक होते है तथा उन्हे व्यापारिक संगठनों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों को घटियां किस्म का रक्त सप्लाई करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

थल सेना तथा वायु सेना में अफसर रैन्क में पदोन्नति

2441. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह 1 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1247 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से थल सेना और वायु सेना में सीधी भर्ती से आये अधिकारियों की तुलना में पदोन्नति से बने अधिकारियों का बहुत ही नगण्य अनुपात होने का क्या कारण है और क्या उन्हें भी नौ सेना के समान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या पदोन्नति अधिकारी खेतिहर किसानों और निर्धन वर्गों से आते है और उच्च वर्गों की प्रभुता बनाए रखने के उद्देश्य से पदोन्नति अधिकारियों में इनका न्यूनतम अनुपात किया जाता है?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) से (ग) नीचे के रैंकों से तीनों सेनाओं के अफसर काडर में पदोन्नति के लिए कोई निश्चित अनुपात अथवा कुल प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है। जहां संभव हों, निचे के रैंक से अफसर रैंक में पदोन्नति अनुज्ञेय है बशर्तें वे अपेक्षित अर्हताएं तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हों और विधिवत नियुक्त सर्विस चयन बोर्ड द्वारा कमीशन रैंक के लिए नियत उपयुक्तता का मूल्यांकन कर लिया गया हो।

जैसा कि दिनांक 1-8-74 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1247 के उत्तर में बताया गया था, सीधे भर्ती शुदा अफसरों की तुलना में पदोन्नत हुए अफसरों का अनुपात इनके प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। तुलनात्मक दृष्टि से ये अनुपात कम है, रैंक पात्र उम्मीदवार में से काफी संख्या में व्यक्ति कमीशन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते। चूंकि अफसर काडर में पदोन्नति से लेने में कोई सीमा नहीं है अतः इस बढाने का प्रश्न नहीं उठता।

इन बोर्डों द्वारा चयन करते समय सामाजिक पृष्ठभूमि अथवा पदप्रतिष्ठा को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अफसर के चयन को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीचे के रैंकों को प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाती है।

संतति निग्रह के लिये टीका

2442. श्री पी० गंगादेव :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीटयूट आफ साइंस बंगलोर में एक वैज्ञानिक द्वारा निकाले हारमन-विरोधी वैक्सीन या टीके से संतति निग्रह किया जा सकता है;

(ख) क्या इस नये तरीको को अपनाने से संतोषजनक परिणाम निकले है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तरीके का प्रचार किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) बंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान ने जो वैक्सीन तैयार की है उसका जानवरों पर प्रयोग किया गया था और उसे प्रजननक्षमतारोधी पाया गया है।

(ख) और (ग) यह वैक्सीन तो अभी तैयार हो की जा रही है और जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

पारादीप पत्तन पर हुये व्यय की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति

2443. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के निर्माण पर उडीसा सरकार ने जो 16 करोड रुपये की धनराशि खर्च की थी, उसकी प्रतिपूर्ति के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और उक्त प्रतिपूर्ति कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को पारादोप पत्तन पर निवेश के लिये 15.69 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध किया है जिसकी अदायगो वे केन्द्र को कर रहे है । इसमें से केन्द्रोय सरकार ने 4.14 करोड़ रुपये का ऋण जो कि 1-4-1974 को राज्य सरकार के जिम्मे बकाया था, न वसूल करने का फैसला किया है, जो कि छटे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में है । केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वोकार नहीं कर सको कि उनके द्वारा अदा किये गये ऋण और ब्याज को रकम उन्हे लोटा दो जाए ।

माना शिबिर में शरणार्थियों का पुनर्वास

2444. **प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माना शिबिर में शरणार्थियों को अभो तक भलोभांतो नहीं बसाया गया है; और

(ख) उनके लिए वहां रोजगार के क्या अवसर पैदा किये गए है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) माना शिबिर म रखे गए परिवार वे परिवार है जिन्हें अभो कृषक या गैर कृषक व्यवसायों में स्थायी रूप से बसाया जाना है ।

(ख) इस परिवारों का स्थायी रूप से पुनर्वास होने तक, उन्हें शिबिर की प्रशासनिक स्थापना में राशन का व्यापार में, उत्पादन केन्द्रों में रोजगार प्रदान करके और निजो व्यापार आरंभ करने के लिए उन्हें ऋण सुविधाएं प्रदान करके तथा उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और नर्सिंग व प्रसूति विद्या आदि में प्रशिक्षण दे करके यथा संभव रोजगार के अवसर पैदा किए गए है ।

बिहार एलाय स्टील लि०

2445. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री एम० एम० पुरती :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए बिहार एलाय स्टीलस् लि० के बारे में सरकार ने कोई समय बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) मैसर्स बिहार एलाय स्टोल लि०, रांचो को पतातु (बिहार) में अपनी मिश्र इस्पात प्रायोजना पूरी करने के लिए 31 मार्च, 1974 तक समय दिया गया था। इस प्रायोजना का काम काफी हद तक पूरा हो गया है । मैसर्स बिहार एलाय स्टोल्स लि० ने इस प्रायोजना को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 1975 तक समय मांगा है, विभिन्न कठिनाइयों के कारण जिनमें इस्पात, सोमेंट और बिजली की कमी भो शामिल है; इस कारखाने को चालू करने में विलम्ब हुआ है ।

"पाक इज नाट रूल आउट वार" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

2446. श्री डी० डी० देसाई :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1974 के एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में "पाक इज नाट रूल आउट वार' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार का भी पता है कि पाकिस्तान सभी मित्र राष्टों से सैनिक सामान प्राप्त कर रहा है,

(ग) यदि हां तो क्या पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में उसे हुई हानि को पूरा कर लिया है, और

(घ) इस बारे में सरकार के क्या विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) और (ख) : जी हां श्रीमन् ।

(ग) और (घ) ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान ने दिसम्बर 1971 के युद्ध के पश्चात अपनी सैनिक शक्ति में भारी वृद्धि कर ली है । हमारी रक्षा योजनाओं की समीक्षा करते समय पाकिस्तान में हुई सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है ।

कर्नाटक और केरल में बीड़ी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

2447. श्री पी० आर० शिनाय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और केरल के बीडी कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत बोनस पाने के हकदार है;

(ख) यदि हां, तो क्या मालिक इन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करते है;

(ग) उन्हें बोनस का भुगतान किस तारीख से किया गया है; और

(घ) कर्मचारियों को बोनस की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के उपबन्धों के अनुसार, बोनस ऐसे प्रत्येक कारखाने द्वारा और ऐसे प्रत्येक अन्य प्रतिष्ठान द्वारा देय है, जिस में किसी लेखा वर्ष के किसी भी दिन बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों ।

(ख) से (घ) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है । बीडी उद्योग के मामले में राज्य सरकार "समुचित सरकार " है ।

इस्पात ट्यूब निर्माता एककों को इस्पात की सप्लाई

2449. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और आज तक देश में इस्पात ट्यूब निर्माता एककों में से प्रत्येक को देशी और आयातित इस्पात को अलग-अलग मात्रा कितनी दी गई; और

(ख) उन्हें आयातित और देशी इस्पात किस किस मूल्य पर दिया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

खम्पा लोगों का भारत में प्रवेश

2450. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से 38 खम्पा लोग भारत में घुस आये है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाली और चीनी सेना ने मिलकर इन खम्पाओं के विरुद्ध कार्यवाही की थी और उसमें बहुत से पुरुष और महिलाए जखमी हुई और मर गई ?

(ग) ऐसे कितने खम्पा लोग भारत में प्रवेश कर चुके है; और

(घ) उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। 12 सितम्बर, 1974 की सुबह 38 खम्पाओं (तिब्बतियों) ने नेपाल की ओर से उस स्थान के पास से भारतीय सीमा में प्रवेश किया था जहां भारत नेपाल और तिब्बत की सीमाए मिलती है।

(ख) सरकार ने नेपाल के प्राधिकारियों की इन कार्यवाही के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों के जखमी होने और मारे जाने के बारे में अखबारों में खबरें देखी है।

(ग) सरकार को इसके बाद किन्हीं और खम्पाओं द्वारा भारत में प्रवेश करने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) उन्हें पुनर्वास सहायता देने के प्रश्न को यदि आवश्यक हुआ तो बाद में उठाया जा सकता है।

ब्रिटिश सोमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भारत के वाणिज्य मंत्री से परिचय पत्र दिखाने की मांग किया जाना

2451. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री एम० एस० पुरती :
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लंदन हवाई अड्डे पर भारत के वाणिज्य मंत्री से वहां के सोमशुल्क अधिकारियों ने अपना परिचय बताने के लिए कहा था;

(ख) क्या ऐसी घटनाए पहले हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में तथ्य क्या है और भारत सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां ।

(ख) हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की कोई घटना हाल में पहले भी हुई थी ।

(ग) 18 अक्तूबर 1974 को भारत के वाणिज्य मंत्री लंदन से गुजर रहे थे । भारतीय हाई कमीशन के एक कर्मचारी ने हवाई अड्डे पर संबद्ध मंत्री के विषय में कस्टम के एक अधिकारी को बता दिया था और यह भी कह दिया था कि उक्त मंत्री लंदन से गुजर रहे है । उक्त कस्टम अधिकारी ने भारतीय कर्मचारी से कहा कि मंत्री को अपना परिचय देना चाहिये । भारतीय कर्मचारी ने जब उनकी ओर संकेत कर दिया तो कस्टम अधिकारी ने फिर ओर कोई सवाल नहीं किया । हमारे हाई कमीशन ने इस मामले को ब्रिटिश सरकार के साथ एक बहुत ऊंचे स्तर पर उठाया था और अब इसे समाप्त समझ लिया गया है ।

भारत विरोधी तत्वों द्वारा नेपाल में नेशनल फ्रंट की स्थापना की योजना

2452. **श्री सी० एम० सिन्हा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1974 के समाचार पत्र में प्रकाशित इसे समाचार की ओर दिलाया गया है कि नेपाल में पेंकिंग समर्थक तत्व तथा कुछ अन्य भारत विरोधी राजनीतिज्ञ नेशनल फ्रंट की स्थापना करने की अपनी योजना पर बातचीत कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) :

(क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार के "राष्ट्रीय मोर्चे" का राजनीतिक स्वरुप तथा उसकी गतिविधियां मुख्य रूप से नेपाल सरकार का मामला है ?

Indo—U. S. Economic and Trade Co-operation

2453. **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether during his recent visit to India, Dr. Kissinger spoke of substantial increase in the private U. S. investment in India and Indo- U. S. trade;

(b) if so, the scheme for promotion of Indo—U.S. economic and trade co-operation; and

(c) the nature and the extent of U. S. assistance as compared to last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) During his recent visit to India Dr. Kissinger did make references in general terms to the possibilities of increasing American investment in India and Indo-US trade.

(b) An Indo-US Joint Commission on Economic, Commercial Scientific Technological, Educational and Cultural Cooperation has been set up during Dr. Kissinger's visit to India. This joint Commission, in the filed of economic and commercial cooperation will *inter alia* review matters concerning economic and commercial relations between the two countries, recommend measures to stimulate two-way trade and increased US investment in India consistent with the investment policies of the two countries, explore possibilities of joint ventures in third countries and enhanced cooperation between financial industrial and commercial institutions of the two countries.

(c) During 1972-73, India received debt relief from the USA of the amount of $29·34 million. For the current year, it has been indicated that debt relief would be $45 million. No assistance apart from the above-mentioned debt relief has been received from the US Government during 1972-73 and 1973-74.

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा अर्जित लाभ

2454. **श्री वनमाली पटनायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने 1973–74 के दौरान पहले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आंकडे गत वर्ष के आंकडों की तुलना में कितने कम अथवा अधिक है; और

(ग) वर्ष 1973–74 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) :

(क) जी हां।

(ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को 1972–73 के 8.08 करोड़ रुपये की तुलना में 1973–74 में 13.91 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

(ग) 1973–74 में निगम ने लगभग 61 करोड़ रूपये की निवल विदेशी कमाई/बचत की।

मोजम्बिक में अफ्रीकी बैकलश द्वारा भारतीयों को परेशान किया जाना

2455. **श्री के० लकप्पा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 सितम्बर 1974 को मोजम्बिक में लुरेन जो मारक्यु में अफ्रीकी बेंक लेश ने श्वेत लोगों के साथ साथ भारतीय नागरिकों तथा उनकी सम्पत्ति को भी अपना लक्ष्य बनाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या है, और

(ग) भारतीयों को कुल कितनी हानि उठानी पडी तथा उन्हें बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जहां तक भारत सरकार को जानकारी है 12 सितम्बर, 1974 को लोरेन्जो मार्कोस, मोजम्बिक में हुए दंगों के फलस्वरूप किसी भी भारतीय नागरिक या उसकी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा हरियाणा में एक जाली कारखाने को इस्पात की कथित सप्लाई

2456. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने एक जाली कारखाने को, जिसके बारे में कहा गया था कि उसकी स्थापना हरियाणा के गुडगांवा जिले में एक फार्म में की गई थी, 80,000 रुपये से अधिक मूल्य की 40 टन इस्पात सप्लाई की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सबंधी निष्कर्ष क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस इकाई ने झूठा अभ्यावेदन देकर हिन्दुस्तान स्टील लि० से इस्पात सामग्री प्राप्त की थीं।

(ग) और (घ) लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश 1956 की धारा 11 'क' के अधीन इस इकाई को सप्लाई निलंबित कर दी गई है और आगे जांच की जा रही है । आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन यह मामला पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज करवा दिया गया है ।

श्रीलंका की तीन परियोजनायों के लिये भारतीय सहायता के बारे में समझौता

2457. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) श्रीलंका की तीन परियोजनाओं में श्रीलंका की सहायता करने के लिए अभी हाल में भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) श्रीलंका के आर्थिक विकास में सहायता देने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक संयुक्त भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग समिति का गठन किया गया है । इस संयुक्त समिति की उप-समिति की पांचवीं बैठक में, जो 3 से 7 जून, 1974 तक कोलम्बो में हुई, इस बात पर सहमति हुई कि भारत श्रीलंका में एक उर्वरक परियोजना, ग्राम्य तकनीकी सेवा केन्द्र, रबड़-आधारित उद्योग पशु पालन परियोजनाएं और माइक्रोवेव दूर संचार सबंध स्थापित करने में सहायता करेगा ।

नेपाल के साथ मैत्री सुदृढ़ करना

2459. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1974 के समाचार पत्र में "नेपाल नाइट टू एम्बेरस इंडिया अगेन" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उसी प्रकार की क्या कार्यवाही की जा रही है तथा दो देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इस संबंध में मंत्री स्तर पर बातचीत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां। सरकार ने 3 नवम्बर 1974 के टाइम्स आफ इंडिया में छपी खबर देखी है परन्तु इसकी सच्चाई की पुष्टि करने में असमर्थ हैं।

(ख) दोनों सरकारें राजनयिक सूत्रों के माध्यम से एक-दूसरे से सम्पर्क बनाये रखती है और भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने की सम्भावनाओं का पता लगाने का निरंतर प्रयास करती रहती है।

(ग) नेपाल के प्रधानमंत्री दिसम्बर में किसी समय नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार गांवों में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं

2460. श्री एस० ए० मुरुगन्तम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के इस निष्कर्ष की ओर दिलाया गया है कि "भारत के कुल 5.76 लाख गांवों में से लगभग 15,25,000 गांव, जिनमें लगभग 12.30 करोड़ की जनसंख्या है, 'जटिल अभाव स्वास्थ्य समस्या क्षेत्रों' के अन्तर्गत आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन गांवों में विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां। सरकार का ध्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल में किए गए सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिस में यह अनुमान लगाया है कि कूल 5,76,000 गांवों में से लगभग 1,20,000 गांवों में पीने के पानी की कमी हैं, वहां स्वास्थ्य के लिए खतरे की स्थिति बनी रहती है, हैजा का प्रकोप होता रहता है अथवा वहां के पानी में खारापन या लोहे अथवा फ्लोराइड तत्वों की अधिकता जैसी विशेष समस्याएं बनी रहती हैं।

(ख) भारत सरकार देश की पर्यावरणिक समस्याओं को, जिस में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की कमी और लोगों को खासकर देहातों तथा पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की समस्याएं भी शामिल हैं, और विशेष ध्यान दे रही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना; और प्रति 10,000 की आबादी के पीछे एक उप केन्द्र खोलना।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों के लिए भवनों की कमियों और मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों की कमियों को क्रमिक रूप में दूर करना।

(3) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये और प्रत्येक उप केन्द्र को 2,000 रुपये तक की दवाइयां देना ।

(4) हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढाकर उसे 30 पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाया जाएगा । इन अस्पतालों में निरोधक और स्वास्थ्य सुधार संबंधी सेवाओं के अलावा कतिपय विशेषज्ञ सेवाओं की भी व्यवस्था होगी ।

(5) लोगों की एक ही स्थान पर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए बहुद्देशीय स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता नियुक्त करने की योजना शुरू की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत बनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता परिवार नियोजन सहायक और टीका लगाने वाले आदि कार्मिकों का पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) होगा और सहायक नर्स धात्री और दाइयों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) कहा जाएगा । प्रति 6 हजार से 7 हजार तक की आबादी के पीछे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) और प्रति 10 हजार की आबादी के पीछे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) नियुक्त किया जायेगा । चार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य की देख रेख एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (हेल्थ सुपरवाईजर) करेगा । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एक स्वास्थ्य सहायक होगा जो प्रशासनिक कार्यों में तथा परिवार नियोजन समेत स्वास्थ्य के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा के कार्य में चिकित्सा अधिकारी की मदद करेगा ।

गोदी श्रम बोर्ड के पास अनिर्णीत पड़े गोदी श्रमिकों के दावे

2461. **श्री अर्जुन सेठी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदी श्रम बोर्ड के पास कलकत्ता गोदी के जिन श्रमिकों के उपदान, भविष्य निधि आदि के दावे अनिर्णीत पड़े है, उनके नाम और पते क्या हैं,

(ख) इस असाधारण बिलम्ब के विशिष्ट कारण क्या है, और

(ग) लोक लेवर परमिट संख्या 4855 के दावेदारों के और उनके दावों को उनके हक में निपटाये जाने के प्रति प्राधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में पास बुकों पर इस्पात का कोटा

2462. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और लघु उद्योग निगम ने राजस्थान में इस्पात का कोटा पास बुकों पर देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पास बुकों की मुख्य बातें क्या हैं और व्यापरियों तथा अन्य एककों को कितनी मात्रा में इस्पात दिया जायेगा, और

(ग) उक्त राज्य में सब प्रकार के इस्पात के वितरण की प्रचलित पद्धति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इस्पात के वितरण की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते है/कोटे नहीं दिए जाते है । मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती हैं जो इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिये इस्पात की मांग की गई हो, अवधि विशेष में इस्पात की उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है ।

देश में लघु उद्योगों को इस्पात सामग्री की सप्लाई मुख्यत: राज्य लघु उद्योग निगमों को मार्फत की जाती है। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा अपनी इकाइयों को इस्पात सामग्री वितरित करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Complaint against Commandant of Jhansi Cantonment

2463. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be plased to state:

(a) whether any complaint has been received against the Commandant of Jhansi Cantonment from the members of the Board; and

(b) if so, the nature thereof and the action taken so far thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) and (b) No complaint has been received by Government from the Members of the Jhansi Cantonment Board against the Commandant of the Jhansi Cantonment as such.

2. Shri Mishara, a member of the Cantonment Board, had however, sent a letter dated 26-9-1974 to the GOC IN C Central Command, making certain allegations against the President of the Board. The GOC-in-C is investigating the complaint.

नये इस्पात पुनर्बेलन एकक

2464. **श्री एम० कतामुयु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता होने के बावजूद नये इस्पात पुनर्बेलन एकक स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार की अघोषित नीति के कारण दूर्लभ कच्चे माल के लिए होड़ पैदा हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) चूंकि पहले ही काफी क्षमता बनाई जा चुकी है और बिलेट तथा पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप दोनों प्रकार की पुनर्बेलन योग्य सामग्री की इतनी कमी है कि वर्तमान इकाइयों की आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए कुछेक विशिष्ट मदों को छोड़कर जिनके उत्पादन के लिए इस समय पर्याप्त क्षमता नहीं है, नई पुनर्बेलन इकाइयों की स्थापना को निरूत्साहित किया जा रहा है ।

हिन्द महासागर मे आंग्ल-अमरीकी अड्डे का आधुनिकिकरण

2465. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी नौसेना अध्यक्ष ने हिन्द महासागर के डियागो गरशिया द्वीप में आंग्ल-अमरीकी अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए अमरीकी कांग्रेस से 300 लाख डालर के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सूचना प्राप्त हुई है कि अमेरिकी प्रशासन ने दिएगो गार्शिया में सुविधाओं के विस्तार के लिए 323 लाख डालर के व्यय का अनुरोध किया था और हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव की विनियोजन सम्बन्धी समिति ने इस प्रयोजन के लिए 181 लाख डालर के व्यय का अनुमोदन किया है। सदन में जैसा बार-बार कहा गया है कि सरकार हिन्द महासागर को तनाव तथा प्रतिस्पर्धा रहित क्षेत्र रखना चाहती है और इसलिए किसी भी बड़ी शक्ति द्वारा हिन्द महासागर में अपने अड्डे बनाने अथवा विस्तार करने के विरुद्ध है।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी में कथित अनियमितताएं और अन्य गलतियां

2466. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 29 अगस्त, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी में अनियमितताओं और अन्य गलतियों के बारे में की गई शिकायतों की इस बीच पूर्ण रूप से जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) उक्त कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण आफ्रीका में भारतीय व्यापार को अश्वेत उपनगरीय क्षेत्रों में ले जाया जाना

2467. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा भारतीय दुकानदारों और व्यापारियों को अपने व्यापार को कोरेस्टन के अश्वेत उपनगरीय क्षेत्र में ले जाने के आदेश के बारे में पोर्ट एलिजाबेथ इंडियन मैनेजमेंट कमेटी के चैयरमैन से कोइ पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन जैसा कि सदन को अच्छी तरह मालूम है, भारत सरकार प्रत्येक रूप में रंगभेद और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध है और वह संयुक्त राष्ट्र तथा बाहर भी दक्षिण अफ्रीका सरकार की इन नीतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से बराबर काम करती है।

Appointment of Practitioners of Indian System of Medicine

2468. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether sub-centres of various Health Centres are envisaged in the Fifth Five Year Plan;

(b) whether the medical practitioners of Indian system of medicine will be appointed in these sub-centres, besides the allopathic practitioners; and

(c) if so, the outlines of the programme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Yes.

(b) There is no such Scheme so far.

(c) Does not arise.

विश्व की जनसंख्या पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2469. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस कलेंडर वर्ष में विश्व की जनसंख्या पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति की समस्या किस प्रकार रखी गयी थी ; और

(ग) क्या धन अथवा अन्यान्य रूप से कोई अन्तरराष्ट्रीय सहायता भारत को उपलब्ध की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री ने अगस्त,1 974 में बुखोरेस्ट में विश्व जनसंख्या सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ख) सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री ने एक बयान दिया था और साथ ही देश के विषय में एक विवरण परिचालित किया था । इन दोनों की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर 7–9–1974 को रख दी गई थी ।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पांचवीं योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अब तक सहमत अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

देश/एजेन्सी का नाम	प्रयोजन	सहायता की राशि
1. जनसंख्या कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष (यू० एन० एफ० पी० ए०)	परिवार नियोजन कार्य	4 करोड़ डालर
2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (आई० डी० ए०)/स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रतिकरण (सीडा)	भारत जनसंख्या परियोजना, उत्तर प्रदेश/कर्नाटक	सीडा से 1 करोड़ 6 लाख डालर का अनुदान तथा आई० डी० ए० से 2 करोड़ 12 लाख डालर का ऋण
3. स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा)	कण्डोम सप्लाई	1974–75 के लिए 1 करोड़ 20 लाख स्वीडिश क्रोनर
4. नार्विजियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (नोराड)	प्रसवोत्तर कार्यक्रम तथा ग्रामीण परिवार नियोजन कार्यक्रम ।	6 करोड़ 50 लाख नार्विजियन क्रोनर
5. डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण (डेनिडा)	राष्ट्रीय परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य संस्थान के लिए भवन निर्माण ।	1 करोड़ 82 लाख डेनिश क्रोनर

देश/एजेन्सी का नाम	प्रयोजन	सहायता की राशी
6. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल कोष (यूनिसेफ)	सहायक नर्स धात्री प्रशिक्षण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवहन, आदि ।	1974–75 के दौरान 27.12 लाख डालर।
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन .	स्वास्थ्य शिक्षा/परिवार नियोजन शिक्षा, राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, की अनुसंधान परियोजनाएं ।	5.852 लाख डालर।

हाल्दिया में एक पोत निर्माण यार्ड बनाने की योजना

2470. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल्दिया, पश्चिम बंगाल में पोत निर्माण यार्ड बनाने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब बनाई गई थी और उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस मामले में राज्य सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) सराकर द्वारा बनाये गये तकनीकी आर्थिक कार्य दल ने पांचवी योजना अवधि के दौरान नये शिपयार्डों के स्थान के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्माण स्थलों का मूल्यांकन किया। तकनीकी आर्थिक कार्य दल द्वारा अनुशासित हाल्दिया सहित चार निर्माण स्थलों की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये तीन विदेशी सलाहकार रखे गये हैं। प्रस्तावित दो नये शिपयार्डों के स्थान के बारे में निर्णय इन प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद किया जायेगा। रिपोर्ट की फरवरी, 1975 के अन्त तक प्राप्त होने की संभावना है।

रक्त दाताओं को धन का भुगतान

2471. श्री बीरेन दत्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेशेवर रक्त दाताओं को 250 सी० सी० के लिए 15 रुपये किस आधार पर दिए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : यह दर किस आधार पर निश्चित की गई इसके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर टोरसा पुल

2472. **श्री कुमार मांझी :**

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 पर टोरसा पुल के लिये 1972–73 की वार्षिक योजना में कोई धन राशि मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई थी तथा क्या कार्य किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उक्त पुल पूरा हो गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बिहार में दरभंगा से फोरबिसगंज तक सड़क का निर्माण

2473. **श्री एम० एस पुरती :**

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

. क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में दरभंगा से फोरबिसगंज तक सड़क के निर्माण की योजना की रूप रेखा क्या है; और

(ख) पांचवी योजना अवधि में क्या प्रगति होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) प्रारम्भ में परियोजना की मोटे तौर पर 23.5 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया था। अनुमानित लागत बढ़कर 53.36 करोड़ रुपये हो गई जिसमें नये पुलों सहित बिलकुल नयी सड़को (144 कि०मी०) के निर्माण की व्यवस्था है । परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्यों को अब इस ढंग से करने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोसी पुल, कमला बालान पुल तथा कुछ अन्य छोटें पुल जिनमें उनके पहुंचमार्ग सड़कों के लुप्त खंड आदि शामिल है, जैसे कुछ लुप्त खंडो पर तुरन्त ध्यान दिया जा सके और काम चलाने के लिये उस क्षेत्र में मौजूदा सड़कों एवं पुलों का और कुछ खंडों में साफ मौसम की सड़कों को उन्नत कर प्रयोग किया जा सके । अन्य सुधार कार्य छटी अथवा बाद की योजनाओं में शुरू किये जाएं । इस ढंग से किये गये कार्यों की मोटे रूप से लागत 35.32 करोड़ रु० होगी । व्यय पांचवी योजना में 23.5 करोड़ रु० तक सीमिति रखा जायेगा, और बकाया राशि छटी योजना में ले जाई जायेगी । मोटे रूप से परियोजना लागत का तैयार किया गया प्रस्ताव अब वित्तीय स्वीकृति के लिये विचाराधीन है ।

श्रीराम रेयन्स, कोटा के कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का लाभ

2474. **श्री हुकुमचन्द कछवाय :** क्या **श्रम** मंत्री 2 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1627 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्ज दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड की शाखा श्रीराम रेयन्स कोटा, राजस्थान ने अब तक अपने कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी का कोई लाभ नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मुकद्दमें लेबर कोर्ट या इण्डस्ट्रियल टिब्यूनल में विचाराधीन पड़े हुए हैं ;

(ग) पिछले दो वर्षों में बिना ग्रेच्यूटी दिए कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ; और

(घ) क्या सैकड़ों कर्मचारियों के झूठे आरोप लगाकर नौकरी से निकाल दिया गया है जिससे उन्हें ग्रेच्यूटी का लाभ नहीं मिल सके ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : उपलब्ध सूचनानुसार :—

(क) मैसर्स दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्ज कम्पनी लिमिटेड की श्रीराम रेयन्स, कोटा, राजस्थान शाखा अपने कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन की तारीख से उपदान के लाभ दे रही है ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

इस्पात का चोर बाजार में बेचा जाना

2475. **श्री आर० पी० अलगनम्बी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रकशन कम्पनी लिमिटेड के ठेकेदारों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निर्माण कार्य के लिए उनको दिया गया कई हजार टन इस्पात चोर बाजार में बेच दिया गया था ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

New Steel Yards at Jabalpur and Gwalior

2476. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh had proposed the names of Jabalpur and Gwalior cities for setting up of new steel yards; and

(b) if so, the reasons why Union Government have not accepted Gwalior?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) Yes Sir.

(b) For setting up of a Stockyard, there should be adequate Steel Priority Committee allocations to the area and location of foundries and other small re-rollers which get allotment from regulated sources. On this basis, Jabalpur and Gwalior do not provide an economic tonnage for opening of stockyards by Hindustan Steel Ltd. Gwalior area is at present covered by Indore stockyard and Jabalpur area by Bhilai stockyard of Hindustan Steel Ltd.

भारतीय चिकित्सा में डिग्री तथा डिप्लोमाधारियों को समान माना जाना

2477. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल काऊंसिल आफ इंडियन मेडिसिन्स द्वारा विज्ञापित रजिस्ट्रार एवं सचिव तथा तकनोकी अधिकारी (यूनानी) के पद के लिए भारतीय चिकित्सा में आयुर्वेदिक डिग्री और डिप्लोमा में कोई अन्तर नहीं रखा गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) उक्त पदों के लिए डिग्री धारी या उससे अधिक अर्हता वाले व्यक्तियों या डिप्लोमा धारियों को समान माने जाने के क्या आधार थे ; और

(ग) क्या अन्य सभी पदो के मामले में भी यही नीति अपनाई जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् में रजिस्ट्रार एवं-सचिव तथा तकनोकी अधिकारी (यूनानी) के पदों के लिए जो अनिवार्य अहर्ताएं रखी गई हैं, वे इस प्रकार हैं :—

रजिस्ट्रार-एवं-सचिव—किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक निकाय/संकाय/बोर्ड/परिषद् आदि से भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध) में डिग्री अथवा डिप्लोमा या अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य ।

तकनीकी अधिकारी (यूनानी)—किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी में डिग्री या डिप्लोमा ।

आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध पाठयक्रमों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई एक समान पाठ्यचर्या नहीं है और बहुत से राज्य इन पद्धतियों पर केवल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चला रहे हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पदों के लिए इन विषयों में डिग्री तथा डिप्लोमा को ही एक अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा गया है ।

(ग) जी हां । इसके कारण ऊपर दिये गये हैं ।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवावधि समाप्त होने के उपरान्त भारत वापिस जाने के लिए मना करना

2478. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मालिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशो में स्थित भारतीय दुतावासों तथा उच्चायोगो में ऐसे कितने गैर राजनयिक कर्मचारी है जिन्होंने अपनी सेवावधि समाप्त होने के उपरान्त भारत वापिस जाने से इनकार कर दिया है ;

(ख) उनके द्वारा इनकार करने के क्या कारण है ;

(ग) क्या उन कर्मचारियो ने उन देशों में, जहां वे इस समय काम कर रहे हैं, वैकल्पिक रोजगार पाने को दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया है ; और

(घ) सरकार ने उन को भारत वापिस भेजने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 38 ऐसे गैर-राजनयिक कर्मचारी है जिन्होंने या तो त्यागपत्र दे दिये हैं या अपनी सेवा-अवधि समाप्त होने पर स्वदेश लौटने से इनकार कर दिया है ।

(ख) उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया है ।

(ग) जी हां । हमारा भी यही अनुमान है ।

(घ) संबद्ध कर्मचारियों को भारत लौटने को कहा गया था और इन आदेशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । इनमें से किसी को भी सेवा समाप्ति पर मिलने वाले लाभ और पेंशन नहीं दी गई है । इन्हें विदेश में किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी से भी विवर्जित किया जा रहा है ।

गैर-सरकारी लोह् अयस्क की खानों का विकास

2479. श्री पी० एम० सईद : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी लोह् आयस्क खानों का विकास करने हेतु कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) पांचवी योजनावधि के दौरान कुल कितनी धनराशी व्यय करने का प्रस्ताव है तथा उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) से (ग) लोह् खनिज बोर्ड का एक कार्य लोह खनिज के विकास के लिए संदर्शी योजनाएं बनाना है । इस बात को ध्यान में रखते हुए लोह् खनिज बोर्ड ने लोह खनिज के विकास के क्षेत्र का अध्ययन करने तथा इस बारे में सिफारिशें करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर दो समितियां बनाई थीं । एक समिति बिहार तथा उड़ीसा राज्यों के बड़ाजमदा क्षेत्र के लिए और दूसरी कर्नाटक राज्य में बेलारी-हास्पेट क्षेत्र के लिए थी ।

बड़ाजमदा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । पांचवी योजना में देशीय इस्पात उद्योग तथा निर्यात की आवश्यकता को देखते हुए इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि वर्ष 1978-79 तक बडाजमदा क्षेत्र की गैर-सरकारी खानों के 25 लाख टन प्रतिवर्ष के वर्तमान स्तर को 80 लाख टन प्रति वर्ष तक बढाने की आवश्यकता है । इस विकास पर तथा सेन्ट्रल क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग प्लान्ट की व्यवस्था पर 17 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । लोह् खनिज बोर्डने समिति की इस सिफारिश को कार्यान्वित करने की सम्भावना का पता लगाने के विचार से निजी खान मालिकों से विचार-विमर्श करना आरम्भ कर दिया है ।

बेलारी हास्पेट के लिए बनाई गई समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

केरल सरकार का पुल निर्माण कार्य प्रस्ताव किया जाना

2480. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग में कोचीन उपमार्ग के कुम्बलम अरूर और पन्नागड-कुम्बलम के बीच पुल निर्माण संबंधी केरल सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) मौजूदा वित्तीय कठिनाई और विभिन्न कार्यों की संबंधित प्राथमिकताओं को समस्य रूप से ध्यान में रखते हुये चालू वर्ष के दौरान कोचीन उप-मार्ग पर कुम्बलम-अरूर और पाननगढ-कुम्बलम के बीच पुलों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिये केरल सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है ।

रूस द्वारा भारत को मिग विमान के फालतू पुर्जों की सप्लाई

2481. श्री मधु लिमये : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब से रुस को मिग विमान मरम्मत तथा सफाई आदि के लिए न भेजने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के तकनीशियनों का कहना है कि वे उन सभी मिग विमानों की मरम्मत तथा जांच कर सकते हैं जिनकी मरम्मत कि जाने तथा सफाई आदि किए जाने की आवश्यकता है बशर्ते उन्हें रूस से अपेक्षित फालतू पुर्जे मिले ;

(ग) क्या सरकार को रूस से फालतू पुर्जों की सप्लाई के मामले में कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले पर रुस के साथ उच्चतम स्तर पर बातचीत होगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मिग-21 विमान को ओवरहाल करने के लिए सुविधाएं भारत में इसके निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के बाद स्थापित की गई थी । ओवरहाल पर वास्तविक कार्य 1971-72 के दौरान प्रारम्भ हुआ था और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है । इसी बीच, ओवरहाल किए जाने वाले विमानों का कुछ अभाव था, अतः कुछ विमानों को ओवरहाल करने के लिए सोवियत संघ भेजने का निर्णय किया गया ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) ओवरहाल कार्य के लिए रुस से सप्लाई प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है । सप्लाई प्राप्त होने के बारे में कभी कभी विलम्ब के मामलों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और उन्हें आपसी सहयोग से निपटा लिया जाता है ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उद्योगों में कानूनी सहायता निधि बनाया जाना

2482. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक उद्योग में कानूनी सहायता निधि बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया ताकि वह समाज को कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध करने संबंधी मामले की जांच करे । "प्रोसेसवल जस्टिस टू पीपल" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट के अध्याय 8 में इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि 100 से अधिक श्रमिको वाले प्रत्येक उद्योग/प्रतिष्ठान में यूनियन के श्रमिकों के लिए एक वाद-करण कोष स्थापित किया जाए ताकि उससे उनके मुकदमों को चलाया जा सके और यह की औद्योगिक मुकदमेबाजी संबंधी खर्चों के बारे में धन संबंधी उच्चतम सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिएं । राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विषय पर अपने विचार भेजे ।

अनिवार्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

2483. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा छात्र एसोसिएशन के एक अंग राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा संगठन ने सुझाव दिया है कि यदि डाक्टरों को गांवों की ओर आकृष्ट करने के लिए दिये गये वर्तमान प्रोत्साहन निष्फल सिद्ध होते हैं तो सभी चिकित्सा कर्मचारियों के लिए ग्रामीण चिकित्सा सेवा अनिवार्य बनाई जाये ;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि चिकित्सा छात्रों को प्रत्येक वर्ष कम से कम दो मास के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिक्षा दी जाये और एक चिकित्सा कालेज के साथ, वहां की छात्र संख्या के आधार पर, औसतन 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बद्ध किये जायें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा संगठन का सुझाव अभी तक इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने स्नातक-पूर्व चिकित्सा परिचर्या के बारे में जो सुझाव दिये हैं उन में यह पहले ही कहा गया है कि चिकित्सा छात्रों को शैक्षणिक अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों से सम्बद्ध दर्जा बढ़ाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 12 मास की आवश्यक "रोटेटिंग इंटर्नशिप" करनी चाहिए परन्तु जहां कहीं इंटर्नों की संख्या ज्यादा हो दूसरे मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सेवाएं भी इस्तेमाल की जायें। इंटर्नशिप कार्यक्रम को चलाने वाले अस्पतालों तथा मेडिकल कालेज के बीच परस्पर सन्तोषजनक सहयोग होना चाहिए। प्रत्येक मेडिकल कालेज के साथ कम से कम चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्बद्ध होने चाहिए। अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप में चिकित्सा सर्जरी तथा प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य में प्रशिक्षण शामिल होगा जिसकी अवधि को छः मास तक बढ़ाया जा सकता है। इंटर्नों को स्वास्थ्य केन्द्रों में रहना होगा। मेडिकल कांउसिल आफ इंडिया ने यह भी सिफारिश की है कि बाहरी रोगियों के इलाज करने, तथा एमरजेंसी विभाग में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (फील्ड यूनिटों) में मेडिकल और सर्जीकल आपातिक रोगियों के इलाज करने की जानकारी देने के सम्बन्ध में अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उसके साथ-साथ भारत सरकार ने भी सिफारिश की है कि एक वर्ष की इंटर्नशिप के छः महीने ग्रामीण क्षेत्रों में सुपरवाइजरों के अधीन काम करना चाहिए और उन को यह नियुक्ति उन चुने हुए ग्राम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में की जानी चाहिये जहां पर उपयुक्त स्टाफ और उपकरण हों।

लौह अयस्क का निर्यात

2484. **श्री वसन्त साठे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क की निर्यात तथा अपनी आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने आकांक्षापूर्ण कार्यक्रम को देखते हुए, कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि खनन क्षेत्रों को खनन की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से जी० एस० आई० द्वारा अनुमानित। हजार करोड़ टन तथा दो हजार करोड़ टन के वर्तमान अनुमानों को अधिक वास्तविक आंकड़े प्रदान करने के लिये अधिक विस्तृत जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। निर्यात या घरेलू जरुरतों की पूर्ति हेतु भंडारों की पुष्टि तथा खनन एजेंसियों के लाभहेतु उन भंडारों पर अनुवर्ती व्यापक खोज का काम लगातार होता रहता है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था पहले इस प्रकार के अनेक व्यापक खोज कार्य कर चुकी है और उसने बढ़िया किस्म के कच्चे लोहे के भंडारों की एक तालिका भी तैयार की है, जिन पर निकट भविष्य में खुदाई का काम शुरु किया जाएगा।

(ख) भूविज्ञान सर्वेक्षण के 1974-75 के क्षेत्रगत सत्र के दौरान जिला बस्तर (मध्य प्रदेश) के रौघाट में व्यापक अन्वेषण तथा गोआ में लौह-अयस्क के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक क्षेत्र में अक्टूबर, 1972 में एक खनिज समन्वेषण निगम की स्थापना की गई है, जो व्यापक खोज कार्य करेगा। यह निगम इस समय लोह अयस्क बोर्ड के निर्देश पर जिला सिंहभूम (बिहार) के छिरिया इलाके में एक लोह-अयस्क परियोजना पर काम कर रहा है।

दिल्ली में प्लास्टिक और पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा की स्थापना

2485. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में प्लास्टिक और पुनर्निर्माण शल्य-चिकित्सा की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि सफदरजंग अस्पताल में एक सुपर स्पेशिलिटी के रूप में एक बर्न और प्लास्टिक सर्जरी यूनिट खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

सनिक अस्पताल, दिल्ली में ग्लूकोज के टीके से हुई मृत्यु

2486. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सैनिक अस्पताल, दिल्ली में ग्लुकोज का टीका लगाने के तत्काल बाद हुई एक महिला रोगी की मृत्यु समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्लूकोज की शुद्धता का पता लगाने के लिए को जांच की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्। 30 सितम्बर 1974 को एक मामला सशस्त्र सेना क्लिनिक नई दिल्ली में हुआ था न कि सेना अस्पताल, दिल्ली छावनी में।

(ख) रोगी काफी लम्बे अर्से से श्वसनी अस्थमा के रोग से पीड़ित तथा वह मृत्यु के बहुत दिनों पूर्व से सिविलियन डाक्टर के परामर्श पर कुछ औषधियां ले रहा था। उसे सशस्त्र सेना क्लिनिक में असामान्य अवस्था में तथा भावात्मक अस्थिरता तथा काफी बड़ी मात्रा में ब्रोंकोस्पास्म तथा एप्रीहेंन्सन की दशा में लाया गया था। ऐसा इरादा था कि रोगी को सेना अस्पताल, दिल्ली छावनी में मनोवैज्ञानिक के पास भेजने से पूर्व ब्रोंकोस्पास्म में राहत मिल सके इसलिए अमीनोफिलीन के ग्लूकोज में से हल्का करके इंजेक्शन देने का था। चूंकि मृत्यु के वास्तविक कारण का पता नहीं लग सका था शव को सिविल पुलिस को सौंप दिया गया था जिसने मामले की जांच की थी तथा शव की परीक्षा कराई। अभी तक शव परीक्षा के परिणाम का पता नहीं चल सका है। अन्तराग को सिविल पुलिस ने सरकारी टोक्सीकोलोजिस्ट के पास जहर का यदि कोई हो तो पता लगाने के लिए भेजा है। अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जिस बोतल में से ग्लूकोज दिया गया था उसे कमांड पैथालोजीकल प्रयोगशाला को जांच

के लिए भेजा गया जिन्होने उसे रोगाणुहीन घोषित किया है। उसी बैंच की एक बोतल ग्लूकोज सोलूशन को मुख्य सामग्री निरीक्षणालय, कानपुर को भेजा गया जिसने उसे आर्मड फोर्सिज मेडिकल कालेज पूणे, को जांच के लिए भेज दिया, अभी तक रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। एमिनोफिलीन के उसी बैंच से एम्पुल भी जांच के लिए भेजे गये है अभी तक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ना तो ग्लूकोज और न ही एमीनोफिलीन को जहरीला समझा गया है क्योंकि अनेक रोगियों को उसी बैंच में से इस दुर्घटना से पूर्व दोनों ही दवाइयां दी गई थी और उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ था।

मौजम्बिक म भारतीय दुकानों की कथित लुटपाट

2487. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मोजम्बीक में भारतीय दुकानों की कथित लूट पाट की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) हमारी सूचना के अनुसार हाल ही में मोजम्बीक में कोई भारतीय दुकान नहीं लूटी गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हैदराबाद में लोहे तथा इस्पात व्यापारी का पकड़ा जाना

2488. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात घोटाले (स्टील रेकट) में शामिल होने के कारण हाल में हैदराबाद में एक प्रमुख लोहा तथा इस्पात व्यापारी पकड़ा गया है ; और

(ख) घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों का उपभोक्ता वस्तुओं उत्पादन के लिए उपयोग

2489. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठान अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरुप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त प्रतिष्ठानों की फालतू क्षमता उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाने की सम्भावना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया है ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) रक्षा औद्योगिक स्थापनाओं (आर्डनेंस कारखानों) की प्रयोग क्षमता सेवाओं की मांग के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है।

(ख) तथा (ग) जहां तक सम्भव होता है फालतू क्षमता का उपयोग सिविल व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, किन्तु यह आवश्यकता उपभोक्ता माल के लिए ही प्रयोग हो।

भारत में जीवन-काल में वृद्धि

2490. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह पता करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि गत दस वर्षों में भारतीयों के जीवन काल में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो अन्य एशियाई देशों में हुई ऐसी वृद्धि की तुलना में भारत में हुई वृद्धि कम है अथवा अधिक ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : जी हां। भारत में और कुछेक एशियाई देशों में महिलाओं और पुरुषों की औसत आयु का एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	एशियाई देश	वर्ष	औसत आयु	
			पुरुष	महिला
1.	भारत	1961–70*	47.68	45.64
		1951–60	41.89	40.55
2.	साइप्रैस	1948–50	63.60	68.80
		1931–46	57.30	59.30
3.	हांगकांग	1968	66.74	73.29
		1961	63.64	70.51
4.	इस्त्रायल	1971	70.08	73.44
		1960	70.67	73.37
5.	जापान	1965	67.73	72.95
		1955	63.88	68.41
6.	फिल्पाइन्स	1946–49	48.81	53.36
		1938	44.80	47.72
7.	श्रीलंका	1960	61.90	61.40
		1950	56.36	54.83
8.	थाइलैंड	1960	53.60	58.70
		1947–48	48.69	51.90
9.	पश्चिम मलेशिया	1969	63.78	66.73
		1956–58	55.78	58.19

*अनन्तिम (1 प्रतिशत आंकडों पर आधारित)

स्त्रोत :—यूनाइटेड नेशन्स डेमोग्राफिक ईयर बुक्स 1972 और 1967।

दिल्ली परिवहन निगम की "सुगम सेवा"

2491. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'सुगम सेवा' प्रारम्भ किये जाने के पश्चात बस यात्रियों को कुछ लम्बे मार्गों पर 80 प्रतिशत किराया अधिक देना पड़ता है और बस-सेवा शीघ्र उपलब्ध होने का मूल लाभ भी समाप्त हो गया है ;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम की आय तो इस सेवा के शुरु किये जाने के बाद बढ़ गई है किन्तु सेवा की शीघ्र उपलब्धि का आश्वासन पूरा नहीं हुआ है और मध्य मार्गीय स्थानों से बसों में स्थान बिलकुल नहीं मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पूरे मामले पर विचार कर लिया है क्योंकि यह सेवा केवल प्रायोगिक आधार पर इस विचार को लेकर शुरु की गई थी कि यात्रियों को उसी कीमत पर कम से कम वे सभी सुविधाएं की जायेंगी जो दिल्ली परिवहन निगम द्वारा इस सेवा के शुरु किये जाने से पूर्व की जा रही थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कुछ लम्बी यात्राओं पर जहां यात्रियों को कुछ मामलों में बस बदलनी होती है, यात्रियों को कुछ मामलो में सीधी सेवाओं की अपेक्षा अधिक किराया देना पड़ता है।

यह सही नहीं है कि "सुगम सेवा" से शीघ्र सेवा नहीं होती क्योंकि सामान्यत: इसकी बांरवारता को कायम रखा जा रहा है।

(ख) प्रात: व्यस्ततम समय के दौरान "सुगम सेवा" चलने वाले स्थानों से भर कर आती हैं। चूंकि सभी यात्रियों के केन्द्रीय सचिवालय नहीं जाना होता अत: उनमें से कुछ बीच के स्टापों पर उतरते रहते है। इस प्रकार ऐसे स्थानों पर प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों को बसों में चढ़ने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा ऐसे बीच के स्टापों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष फेरों का जो कि सुगम सेवा के चालन से पूर्व चलाई जाती थीं, को लगभग जारी रखा जा रहा है।

(ग) नई सेवाओं के चालन से दैनिक यात्रियों को कुछ राहत मिली है। निगम के बेड़े में कुछ और बसों के आने पर और सुधार होने की संभावना है। सम्पूर्ण दिल्ली संघ क्षेत्र के लिए "सुगम सेवा" के जैसी सेवा का व्यापक कार्यक्रम चरणबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति

2492. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी दूतावास ने अपने कार्यालयों के लिये भारतीय व्यक्तियों की भर्ती करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्ति सम्बन्धी शर्तों का निर्णय करनेवाले प्राधिकारी द्वारा किया जाता है अथवा उनका मार्गदर्शन निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से होता है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है; और

(ग) क्या हाल में सोवियत दूतावास द्वारा बहुत से भारतीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया है और क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाने का प्रयत्न किया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) भारत में स्थित विदेशी मिशन अपनी आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। ऐसे स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ती की भर्ती के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सोवियत राजदूतावास द्वारा ग्यारह स्थानीय भरती वाले कर्मचारियों की सेवाएं 1974 में समाप्त कर दी गई थीं। स्थाई स्थानीय कर्मचारियों के अभ्यावेदन के संबंध में सोवियत राजदूतावास को सूचित किया गया और उन्होंने बताया है कि स्थानीय रूप से भरती किए गए कर्मचारियों की सेवाएं उनकी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ही समाप्त की गई थीं।

वातानुकूलन का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव

2493. श्री भारत सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के वैज्ञानिकों के अनुसार वातानुकूलन का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अखबारों में ऐसी रिपोर्टें हाल ही में निकली हैं।

(ख) इस क्षेत्र में कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है जिसमें वातानुकूलन स्वास्थ्य के लिए हानिकर बतलाया गया हो, इसकी कोई जानकारी सरकार को नही हैं।

बड़े उद्योगों का मजूरी सर्वेक्षण

2494. श्री वयालार रवि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़े उद्योगों के बारे में मजूरी सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस प्रास्ताविक सर्वेक्षण में नारियल जटा तथा काजू जैसे श्रम प्रधान उद्योग भी शामिल किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रस्तावित सर्वेक्षण में काजू उद्योग शामिल है, किन्तु नारियलजटा उद्योग नहीं।

विवरण

तीसरे व्यावसायिक मजुरी सर्वेक्षण की मुख्य बातें

तीसरे व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के दौरान निर्माणकारी, खनन और बागान क्षेत्रों के 81 उद्योगों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। इन उद्योगों के अन्तर्गत निर्माणकारी क्षेत्रों में नियोजित कुल व्यक्तियों में से लगभग 85 प्रतिशत व्यक्ति, बागान में नियोजित सारे के सारे व्यक्ति और खनन क्षेत्र में नियोजित कुल व्यक्तियों में से लगभग 91 प्रतिशत व्यक्ति आ जायेंगे। यह सर्वेक्षण क्रमिक ढंग से निष्पादित किया जायगा। पहला चरण 23 नवम्बर, 1974 को शुरू किया गया है और उसमें 9 खनन, 3 बागान और 2 निर्माणकारी उद्योग को मिलाकर 14 उद्योग शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(i) औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी दरों और वेतन चिट्ठे की आमदनियों के बारे में घटकवार नवीनतम और विश्वसनीय सूचना एकत्र करना;

(ii) उद्योगों के संबंध में मजदूरी दरों के सूचकांकों का निर्माण करना; और

(iii) मजदूरी दरों के अन्तरों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक व्यावसायिक मजदूरी स्तरों से संबंधित मूल सूचना प्राप्त करना।

तीसरे व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के उद्देश्य वही है जो पिछले दो सर्वेक्षणों के थे, परन्तु तीसरे सर्वेक्षण का क्षेत्र अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें 81 उद्योग शामिल होंगे जब कि इसकी तुलना में पहले और दूसरे सर्वेक्षण के दौरान 44 उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया था।

हिन्दुस्थान लैटेक्स लिमिटेड त्रिवेंद्रम का विस्तार

2495. श्री वयालार रवि : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के विस्तार कार्यक्रट के बारे मे क्या प्रगती हुई है; और

(ख) इस कम्पनी के सुधार और उसको वर्तमान कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा अन्य क्या कार्यवाई की जायगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का विस्तार कर इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता को दुगुना करने का काम इंजीनिरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिया गया है और वहां कार्य हो रहा है।

(ख) इस मंत्रालय के अनुरोध पर सरकारी उद्यतम कार्यालय ने, कम्पनी के कामकाज की पुनर्विक्षा करने और माल की क्वालिटि पर नियंत्रण रखने के काम को सुनिश्चित करने के लिये एक समिति बनाई है। कम्पनी को जो हानी हुई है उसकी जांच करने और इसके काम-काज में सुधार करने के लिये भी एक दल गठित किया गया है।

कोचीन में शिपयार्ड परियोजना की प्रगती

2496. श्री वयालार रवि : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड परियोजना कार्यक्रमानुसार आगे बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरे हुये कार्य का संक्षिप्त विवरण क्या है; और

(ग) कार्य को सुगम प्रगती के मार्ग क्या बाधायें आ रही है और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री एच० एम० त्रिवेदी (क) जी, हां ।

(ख) स्थान सुधार, जल प्रदाय और शक्ती प्रदाय पद्धतियों, पेंट भंडार, तेल भंडार प्रशिक्षण स्कूल, प्रयोगशाला, आउटफिटिंग मालगोदाम, जहाज निर्माण डिवीजन कार्यालय और मोल्ड लीफ्ट गेट हाउस मुख्य संग्रही केन्द्र (सिविल कार्य) के निर्माण और काम्प्रेशर हाउस (कम्प्रसरों के संस्थापन सहित), हलशाप की स्थापना, जनरल स्टोर, अनुरक्षण स्टोर जल प्रशीतन सरोवर, निर्माण गोदियों का शीट पाइलिंग और की 3 और का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ।

(ग) गोदियों के लिए पाइल चालन में अनुभूत प्रारम्भिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया है चूंकि बड़े प्रेसों के स्वदेशी विक्रेताओं ने कोई प्रगती नहीं दिखाई, अत: मशीनरी के आयात के लिए दूसरे प्रबंध किये जा रहे है ।

सिक्किम विधान सभा के निर्णय के विरुद्ध सिक्किम के चौग्याल का अभ्यावेदन

2497. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम विधान सभा के भारतीय ससंद के लिए दो सदस्य निर्वाचित करने के निर्णय के विरुद्ध सिक्किम के चौग्याल न भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा प्रकट किये जा रहे विरोध के प्रति सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) जो हां । चोग्याल ने सिक्किम सरकार के इस अनुरोध से असहमति की है कि वह सरकार हमारे राजनैतिक संस्थानों में भाग ले और प्रतिनिधित्व करें ।

(ख) सिक्किम सरकार का अनुरोध सिक्किम अधिनियम, 1974 पर अधारित है जो सिक्किम विधान सभा ने सर्व सम्मति से पास किया था और जिसें चौग्याल ने 4 जुलाई, 1974 को लागू किया था। हमारी संसद द्वारा पारित संविधान (36 वा संशोधन) बिल सिक्किम सरकार के अनुरोध के उत्तर में ही था ।

मनीपुर, त्रिपुरा और मेघालय में सड़कों का निर्माण

2498. श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर, त्रिपुरा और मेघालय में बार्डर रोड द्वारा कुल कितने किलोमोटर लम्बी सड़कें बनाई जा रही है; और

(ख) प्रत्येक मामले में इस कार्य पर कितना खर्च होगा?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इन राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही सड़कों की कुल लम्बाई निम्नांकित है :—

(1) मणिपुर . .	488 कि०मि०
(2) त्रिपुरा	198 कि०मि०
(3) मेघालय . .	244 कि०मि०

(ख) उपर्युक्त सड़कों पर आने वाला सम्भावित खर्च क्रमश: लगभग 18 करोड़ रुपये, 8 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए होगा ।

भारत-रूसी आर्थिक आयोग

2499. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूसी आर्थिक आयोग की बैठक सितम्बर, 1974 में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के निष्कर्ष क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत सोवियत-आयोग को दूसरी बैठक 17 से 19 सितम्बर, 1974 तक मास्को में हुई ।

(ख) दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों की जांच की अब तक हुई प्रगति को समीक्षा की और भावी सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया । भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों के विस्तार, भारी मशीन निर्माण, ऊर्जा और उर्जा-उपस्कर, कोयला और अयस्क खनन, तेल की खोज और उत्पादन, अन्य देशों में परियोजनाएं, व्यापार विनिमय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग की बात सोची गई ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने वाले अन्य व्यक्तियों को भी योगाभ्यास सुविधा

2500. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चित्रगुप्त रोड औषधालय (डिसपेन्सरी) नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन चलाये जा रहे प्रशिक्षण शिविर को योगाभ्यास सुविधा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने वाले अन्य व्यक्तियों को भी देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) चित्रगुप्त रोड स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय में योगाभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए 23 सितम्बर, 1974 से दो सप्ताह के लिये एक शिविर का आयोजन किया गया । बाद में इसे डेढ महीने की अवधि के लिये और बढ़ाया गया । चित्रगुप्त रोड पर आयोजित चार शिविरों में 273 लाभार्थियों ने भाग लिया । सितम्बर 1974 के अन्तिम चरण में रामकृष्णपुरम में प्रयोगात्मक आधार पर योग प्रशिक्षण शिविर खोला गया । यदि लाभार्थी काफी संख्या में निरन्तर आते रहे तो अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अधिक शिविरों का आयोजन किया जायेगा ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सर्वोच्च प्रबन्ध मंडल में परिवर्तन

2501. **श्री बेकारिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सर्वोच्च प्रबन्ध मंडल में पूर्ण परिवर्तन करने सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बार बार होने वाले श्रमिक संकट तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में होने वाली कमी पर भी परिकल्पित परिवर्तन में विचार किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात राज्य को इस्पात की सप्लाई

2502. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को इस्पात की बहुत कम सप्लाई हुई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप निर्माणाधीन बहुत से भवनों को पूरा नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को इस्पात की सप्लाई बढ़ाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आबंटन नहीं किये जाते हैं। मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो इस्पात के अन्ततः उपयोग, जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हो, अवधि विशष में इस्पात की उपलब्धि और स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती हैं।

भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक इस्पात की उपलब्धि की स्थिति अब अच्छी हो गई है। इस बारे में गुजरात के उपभोक्ताओं से कोई शिकायत नहीं मिली है।

भारतीय शिष्टमंडल द्वारा रूमानिया का दौरा

2503. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूमानिया के बीच व्यापार-विस्तार के बारे में बातचीत करने के लिए एक भारतीय शिष्टमण्डल ने रूमानिया का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए भारत रूमानियाई संयुक्त आयोग की बुखारेस्ट में 16 सितम्बर से 23 सितम्बर 1974 तक आयोजित पहली बैठक में भाग लेने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूमानिया की यात्रा की थी।

(ख) यह संयुक्त आयोग दोनों देशों के बीच सभी आर्थिक संबंधों की समीक्षा करता है और सिफारिशें करता है। इसलिए इस बातचीत में अनेक विषयों पर विचारविमर्श हुआ। जहां तक व्यापार संबंधी मामलों का प्रश्न है, दोनों पक्षों ने दोनो देशों के बीच व्यापार के विकास की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया। भारतीय पक्ष ने रूमानिया को भेजे जाने वाले सामान में गैर परम्परागत चीजों की प्रतिशत बढाने में रूची दिखाई। रूमानियाई पक्ष ने इस दिशा में यथासंभव सहयोग देना स्वीकार किया। कच्चा लोहा, रासायनिक उर्वरक, तेल और तेल शोधन उपस्कर आदि जैसी वस्तुओं के विनिमय के लिए जिसमें दोनों पक्षों की दिलचस्पी हो दीर्घ कालिक प्रबंध करने की सम्भावनाओं के बारे में भी बातचीत हुई। नवम्बर 1974 के उत्तरार्ध में रूमानियाई प्रतिनिधिमंडल की नई दिल्ली यात्रा के दौरान इस बारे में और आगे बातचीत की जायेगी।

छोटे इस्पात संयंत्रों के नये उद्यमकर्ताओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन

2504. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री छोटे इस्पात संयंत्रों उत्पादन के बारे में 14 नवम्बर 1974 के आतरांकित प्रश्न संख्या 474 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है जो नये उद्यमों के रूप में है तथा पुराने उद्यमों की संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार द्वारा नये उद्यमकर्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिये गये है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इस प्रकार के सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदनों के लिए आवेदकों को अपनी पहले की तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी नहीं देनी होती है ।

(ख) नए उद्योगपतियों को विशेष रूप से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

प्रधान मंत्री का उत्तर प्रदेश का चुनाव दौरा

2505. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश के चुनाव दौरे संबंधी समस्त खर्च वायु सेना के खाते में डाला गया है जैसा कि हाल ही में प्रैस सूचना ब्यूरो के सार्वजनिक सम्बन्ध निदेशक श्री बी० आर० बौरो ने स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन-राशि खाते में डाली गई है ; और

(ग) उस खाते का नाम क्या है जिसमें से यह धनराशी खाते नामे डाली गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) फरवरी 1974 के दौरान प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के चुनाव दौरे के संबंध में भारतीय वायुसेना के वायुयान का प्रयोग करने के कारण प्रधान मंत्री द्वारा देय 1,69,554.74 रु० की राशि वसूल कर ली गई है और उसे वायुसेना के खाते में डाल दिया गया है ।

(ग) इस वसूली की मुख्य शीर्ष 071, प्रमुख शीर्ष, सेनाओं से वसूल तथा सप्लाई, लघु शीर्ष (क) वायुयान व्यय नामक खाते में डाला गया है ।

भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा-स्तंभ स्थापित करना

2506. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा बंगलादेश के बीच सीमा रेखा इंगित करने हेतु सीमास्तंभ कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : जिन क्षेत्रों में सीमांकन नहीं हुआ है, वहां सीमांकन हो जाने पर सीमास्तम्भ खड़े किए जायेंगे । सीमांकित क्षेत्रों में सीमा-स्तम्भ खड़े कर दिए गये हैं। ठीक-ठीक यह बताना सम्भव नहीं है कि किस समय तक ये सारे स्तम्भ खड़े हो जायेंगे क्योंकि इन स्तम्भों के निर्माण का काम सर्वेक्षण कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है जो कि आमतौर से सर्दियों में ही किया जा सकता है जब कि मौसम अनुकूल होता है ।

Agreement with other Countries for Export of Pig Iron

2507. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state

(a) the names of countries with which India has entered into agreement for export of pig iron; and

(b) the date of the agreement and the quantity of pig iron being exported every year to those countries under this agreement and the date of expiry of these agreements along with the names of the countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad). (a) and (b) A Statement containing information on the contracts for export of pig iron outstanding as on 31-3-1974 is given below :

(Qty. in tonnes)

Destination	Date of Agreement	Qty. in agreement	Qty. exported yearwise upto 31-3-1974	Date of expiry of the agreement**
USSR . . .	17-6-1972	500,000	1972-73—185,800 1973-74—237,600	31-12-1974
Japan .	9-4-1973	50,000) 50,000)	1973-74 —8,100	31-3-1975
Japan/Taiwan Philipines/ South Korea	21-4-1973	50,000) 50,000)	1973-74— 11,085	31-3-1975
Japan/Singapore Kualalumpur	4-5-1973	20,000	1973-74—9,200	31-12-1974
Japan / Philipines/ Taiwan/South Korea/Singapore	24-7-1973	25,000) 25,000)	Nil	31-3-1975
Japan/Philipines/ Taiwan/South Korea/Singapore	28-7-1973	25,000) 25,000)	Nil	31-3-1975
Japan/Philipines/ Taiwan/South Korea/Singapore	29-8-1973	25,000) 25,000)	Nil	31-3-1975

**The expiry date actually refers to shipment schedule and the contract does not lapse if the schedule is not adhered to :

जॅन्स हापकिन्स विश्वविद्यालय को चिकित्सा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये दी गई अनुमति

2508. **श्री मधु दंडवते :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अनुसंधान परियोजना पर कार्य करने के लिए जान्स हापकिन्स विश्वविद्यालय के चिकित्सा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र को अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो शोध छात्र भारत में कब से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या भारत तथा नेपाल में यात्रा के लिए वे सी०आई०ए० के विमान का प्रयोग करते रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) जान्स हापकिन्स विश्व विद्यालय, सी०एम०आर०टी०, कलकत्ता के शोध छात्र 1 अप्रैल, 1963 से भारत में काम कर रहे थे किन्तु सरकार ने उक्त केन्द्र की जिन अनुसंधान योजनाओं को अनुमति दी थी उनकी अवधि 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त हो गई थी।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

अधिलंघन (सुप्रसेशन) के कारण उच्च श्रेणियोंके सैनिक अधिकारियों द्वारा त्याग-पत्र

2509. श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में उच्च श्रेणियों के अनेक सैनिक अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए हैं अथवा समय से पूर्व ही सेवा निवृत्त किए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नामों तथा पदों सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या पदोन्नति के समय और नए पदों पर नियक्ति के समय कुछ वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों का अधिलंघन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनका अधिलंघन किया गया है तथा ऐसा किसने किया ; और

(ङ) अधिलंघन के कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) 1974 के दौरान उच्च श्रेणी के किसी सैनिक अधिकारोने त्याग पत्र नहीं दिया है। 1974 के दौरान ब्रिगेडियर और उससे उच्च रैंक के जो अफसर समय-पूर्व सेवानिवृत्त हुए, उनका नाम तथा रैंक और समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के कारण इस प्रकार हैं :–

(1) लेफ्टि० जनरल वी० एन० सरकार .	अफसर ने कोई कारण नहीं दिया।
(2) ब्रिगेडियर हरी सिंह .	बुढ़े माता-पिता को देख-भाल करने और सिविल जीवन में पुर्नवास के लिए।
(3) ब्रिगेडियर वी० के० धई .	अपनी सिविल नियुक्ति में जाने के लिए।
(4) ब्रिगेडियर ए० एस० मान .	बूढ़े माता-पिता तथा सम्पत्ति की देख-भाल और आगे पदोन्नति की सम्भावना नहीं है।
(5) ब्रिगेडियर एस० एस० हर्ष	अधिक्रमण।
(6) ब्रिगेडियर एस० पी० बक्शी .	अधिक्रमण।
(7) ब्रिगेडियर ए० सी० भट्टाचार्य .	सिविल रोजगार में पुनर्व्यवस्थापन।
(8) ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह .	अधिक्रमण।
(9) ब्रिगेडियर एम० वाई० मुदाविद्री .	अपनी सिविल नियुक्ति पर खपने के लिए।

(ग) से (ङ) सेना में अफसरों को पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जाति है, बल्कि तुलनात्मक गुणवगुण के आधार पर भी को जाति है। यह उपयुक्त सिलेक्शन बोर्डों की सिफारिश पर जिसका अनुमोदन सरकार करती है के आधार पर किया जाता है। चूंकि पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है अतः कभीकभी निम्नतर गुण कोटि के अफसरों का अधिक्रमण अपरिहार्य हो जाता है।

लोह का मुल्य

2510. श्री भारत सिंह चौहान :
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1971 के दौरान लोहे के मूल्य क्या थे तथा जनवरी 1974 के दौरान क्या थे; और

(ख) लोहे के मूल्यों को कम करने अथवा स्थिर करने के लिए मध्यवर्ति अवधि में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों की मोटी रूप रेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जनवरी 1971 तथा जनवरी 1974 में कच्चे लोहे का रेल पर्यन्त मूल्य क्रमशः 450 रुपये तथा 700 रुपये प्रति मीटरी टन था। इन में उत्पादन-शुल्क भी शामिल है। ये मूल्य स्टैंडर्ड फाउन्ड्री ग्रेड-3 हाई मेंगनीज़ के हैं।

कच्चे लोहे के मूल्य में वृद्धि मुख्यतः कोयले के मूल्यों, भाड़े, उत्पादन-शुल्क आदि में वृद्धि के कारण हुई थी।

बैंकिग उद्योग में कर्मचारियों के लिए बोनस

2511. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० ए. सामिनाथन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति ने यह सिफारिश की है कि बैंकिग उद्योग में कर्मचारियों के लिए बोनस निर्धारण करने संबंधी सामान्य आधार को बोनस संबंधी कानून में निर्धारित किया जाना चाहिए;

(ख) क्या समिति ने यह सिफारिश भी की है कि वर्तमान विधान में सम्मिलित बैंकिग कम्पनियों की मुख्य बातें जारी रहें ;

(ग) यदि हां, तो बैंकिंग उद्योग के कर्मचारियों के बारे में की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उनमें से कितनी स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सरकार द्वारा स्थापित की गई बोनस पुनरीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बोनसों के भुगतान के विभिन्न पहलुओं पर, जिनमें बैंक उद्योग का भुगतान भी शामिल है, सिफारिशें/अपेक्षाएं की है। इन का अध्ययन किया जा रहा है।

वर्ष 1973–74 के दौरान निगम कर्मचारियों द्वारा भरे गये नमूनों में अपमिश्रण

2512. श्री एन० ई० होरो :

श्री के० मालन्ना :

श्री शंकर दयालसिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने कतिपय उन फर्मों, प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा चलाये जाने वाले होटलों और कम्पनियों के विरुद्ध अभियोग चलाया है जिन के वर्ष 1973–74 के दौरान निगम कर्मचारियों द्वारा भरे गये उत्पादों के नमूनों में अपमिश्रण पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों तथा प्रतिष्ठानों के नाम और पते क्या हैं जिन के उत्पादकों के नमूनों में अपमिश्रण पाया गया है और गत 6 महीनों के दौरान उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। अपमिश्रण से संबंधित सभी व्यक्तियों पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है।

विवरण

1-4-1974 से 30-9-74 की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम ने खाद्य अपमिश्रण निवरण अधिनियम के अन्तर्गत जिन फर्मों तथा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमे चलाई, उनका विवरण

क्र० सं०	उस पदार्थ का नाम जिस में मिलावट पायी गई	नमूना लेने की तिथि	उन पार्टियों के नाम जिन के विरूद्ध मुकदमे चलाये गये
1.	सुजी का एक नमूना .	24-4-74	मैसर्स मीदी फ्लोर मिल, दिल्ली
2.	सूजी का एक नमूना .	24•4-74	मैसर्स पंजाब फ्लोर मिलज्, दिल्लो
3.	आइस क्रोम का एक नमूना	4-7-74	मैसर्स जय आइल क्रीम लिमिटेड, बंगलोर
4.	चिल्ली सास का एक नमूना	13-7-74	मैसर्स स्यूंग चंग फैक्टरी, कलकत्ता
5.	तदेव (सिल) .	6-6-74	मैसर्स रैलीज इंडिया लिमिटेड, बम्बई
6.	गोला मिल्क टाफी का एक नमूना	20-8-74	हिंदुस्तान चीनी मिल लिमिटेड, बम्बई
7.	टमाटर सास का एक नमूना	20-8-74	राजदूत होटल और उसके साझेदार
8.	टोंड मिल्क का एक नमूना	20-8-74	तदेव
9.	बेसन का एक नमूना .	20-8-74	तदेव
10.	मदे का एक नमूना .	20-8-74	तदव
11.	चिकन रोस्टड का एक नमूना	9-7-74	विक्रम होटल और उसके निदेशक
12.	गाय के दूध का एक नमूना	9-7-74	तदेव
13.	चिल्लो सास का एक नमूना	9-7-74	तदेव
14.	गाय के दूध का एक नमूना	9-7-74	तदेव
15.	बेसन का एक नमूना .	9-7-74	कुतुब होटल का प्रबन्ध
16.	टोंड मिल्क का एक नमूना .	9-7-74	तदेव
17.	चिल्ली सास का एक नमूना	4-9-74	तेरा होटल और उत्पादक कम्पनी का प्रबंध
18.	आटे का एक नमूना .	6-9-74	आपरा होटल का प्रबन्ध
19.	गाय के दूध का एक नमूना .	6-7-74	तदेव

नकली औषधियों का निर्माण तथा बिक्री

2513. श्री शंकरराव सावन्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में 31 अक्तूबर, 1974 तक, राज्यवार, नकलो अथवा घटिया किस्म की औषधियों के निर्माण अथवा बिक्री सम्बन्धी कितने मामले पकड़े गये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दौरा

2514. श्री शंकरराव सावन्त : क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किन किन विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया है; और

(ख) इन दौरों का उन के देशों से भारत के राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) चालू वर्ष में इस मंत्रालय द्वारा जिन विदेशी अतिथियों की यात्रा का प्रबंध किया गया उनकी सूची सभा पटल पर रखी जा रही है। [ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 8604/74]

(ख) इन यात्राओं से भारत और इन देशों के बीच विद्यमान सौहार्दपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को और आगे बढ़ाने में सहायता मिली है।

Police protection to Indians at Trishuli Hydro-Electric Project in Nepal

2515. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made for giving police protection to the employees of the Indian Mission working on the Trishuli Hydro-electric Project in Nepal;

(b) if so, the number of these Indian employees; and

(c) the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) Yes, Sir.

(b) 46.

(c) On the 20th October, 1974 the Executive Engineer of the Trishuli Hydro-electric project was "gheraoed" for about six hours by the locally recruited employees of the Project on account of an agitation regarding their emoluments.

Subsequently our Embassy in Kathmandu took up this matter with the Nepalese Foreign Ministry and requested them to restore law and order, so that work at the Project could proceed smoothly. The Nepalese Government gave the assurance that full protection would be given. The Chief Engineer and the Superintending Engineer of the project also held meetings with various Nepalese officials and apprised them of the situation.

Since then the local authories have taken steps for maintaining law and order and there has been no further disturbance or disruption of work.

Companies and Corporations in Public Sector

2516. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Companies and Corporations in the public sector under his Ministry and the capital invested therein separately;

(b) the amount of loss suffered or profit earned by each Company or Corporation during the last three years; and

(c) whether any step is being taken to save them from loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a) Only one, viz., Hindustan Latex Ltd., Trivandrum whose capital is Rs. 80 lakhs.

(b) 1971-72 — Rs. 15.89 lakhs (Net Profit)

1972-73 — Rs. 15.60 lakhs (Net Profit)

1973-74 — Rs. 10.55 lakhs (Net loss)

(c) The reasons for the loss incurred during 1973-74 and the methods of improving the functioning of this Company are being looked into.

हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के उत्पादों का न लिया जाना

2517. **श्री वयालार रवि :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन विभाग ने हिंदुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के उत्पादों की भारी सप्लाई को लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उस कम्पनी को सहायता हेतु उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि उस कम्पनी के पास उसके उत्पाद एकत्रित न होने पायें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) हिन्दूस्तान लैटेक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किये गए केवल वही कण्डोम स्वीकार नहीं किए जाते जो औषध नियंत्रण के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित गुणों के विधायी मानकों के अनुरूप नहीं होते। हिन्दूस्तान लैटेक्स लिमिटेड के प्रबन्धक सही क्वालिटी का माल बनाते रहने के लिए कदम उठा रहे हैं।

राजेन बाबू टी० बी० हास्पिटल, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली, द्वारा संदिग्ध सौदे

2518. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजेन बाबू टी० बी० हास्पिटल, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली द्वारा हास्पिटल बेडों, बिस्तर के पास रखे जाने वाले लाकरों आदि की खरीद के सम्बन्ध में एक लाख रूपये से अधिक के कथित संदिग्ध सौदों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई थी, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस आशय की एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी हैं।

(ख) इस मामले की विभाग द्वारा तथा दिल्ली नगर निगम से सर्तकता विभाग द्वारा जांच की गई। कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

खास जोयरामपुर कोयला खान में दुर्घटना

2519. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के खास जोयरामपुर कोयला खान में भूमिगत छत के ढह जाने के कारण दो कोयला खान कर्मचारी मर गये और कुछेक को चोटें आई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) क्या मृतकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति दी गई थी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हाँ, जोकरामपूर कोयला खान में हुई एक दुर्घटना में दो कोयला खनिक मर गए और दो घायल हो गए ।

(ख) दुर्घटना, जो कि 22-10-1974 को घटी, छत के अचानक ढह जाने के कारण हुई थी ।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा 200/- रु० प्रति परिवार अनुगृहपूर्वक भुगतान पहले हो कर दिया गया है । मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

मैसर्स वंशीधर एण्ड सन्स तथा विजय टाकीज, मुंगेर के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अपराधिक मामले

2520. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वंशीधर एण्ड सन्स मुंगेर तथा विजय टाकीज, मुंगेर के विरुद्ध वर्ष 1968-69 में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दायर किए गए अपराधिक मामले अभी भी निचले न्यायालय (लोअर कोर्ट) में अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना बिहार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मामलों के शीघ्र निपटारे के प्रयास करता रहा है ।

हजारीबाग के मेसर्स नवरंगलाल अग्रवाल के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आपराधिक मामले

2521. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग के मेसर्स नवरंग लाल अग्रवाल के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत दायर किये गये अनेक आपराधिक मामलों में अभियुक्त को रिहा कर दिया गया क्योंकि वह भविष्य निधि निरीक्षक जिसकी सिफारिश पर उक्त प्रतिष्ठान को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया था, अपनी रिपोर्ट साबित नहीं कर सका ; और

(ख) यदि हां, तो रिहाई के विरुद्ध अपील दायर करने के लिये तथा दोषी निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है । वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

Break out of Kalazar disease in Katihar, Bihar

2522. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether reports have been received that after 15 years the disease of 'Kalazar' has broken out in Katinar District of Bihar;

(b) if so, whether 40 patients of village Medinipur near Kanihari in Katihar District were treated there;

(c) whether on account of small production of injections for this disease, the injections are not available even at thirty times their actual price; and

(d) the steps Government propose to take to check the spread of this disease ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

भारतीय नौवहन निगम को जहाजों की आवश्यकता

2523. **श्री बी० मायावन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन विभाग को इस समय कुल कितने जहाजों की आवश्यकता है ; और

(ख) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पांचवीं योजना के दौरान बड़े को विस्तार योजना के प्रथम चरण में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया का 6.96 लाख जी० आर० टो० थी । कुल क्षमता के 32 अतिरिक्त जहाज खरोदने का प्रस्ताव है । इस समय कारपोरेशन के पास कुल 17.11 लाख जो० आर० टो० के 112 जहाजों का बेड़ा है ।

(ख) विदेशो मुद्रा के ऋणों को जुटाने में कठिनाइयों, तथा जहाजों को कोमतों में तेज बृद्धि के बावजूद शिपिंग कारपोरेशन उपयुक्त ऋण शर्तों पर जहाजों को खरोदने के लिए हर सम्भव उपाय कर रही है ।

1000 लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करना

2524. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा था कि 1000 लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किये जायेंगे और शताब्दी के अन्त तक 12 करोड़ टन इस्पात का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायगा ; और

(ख) देश में स्पंज लोहे का कितना उत्पादन होता है, जो इन संयंत्रों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण कच्चा माल होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रो का यह व्यक्तिगत विचार था कि इस शताब्दो अन्त तक 1000 लघु इस्पात कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं ।

(ख) अब तक, हमारे देश में स्पंज आयरन का उत्पादन वाणिज्यिक आधार नहीं होता है । फिर भो राष्ट्रोय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में कई प्रयोग हो रहे हैं और इन प्रयोगों के आरम्भिक परिणाम उत्साहवर्धक हैं । सात राज्य उद्योग विकास निगमों को स्पंज आयरन को इकाइयां लगाने के लिए आशय पत्र दिए गए हैं परन्तु ये योजनाएं अभो तक प्रारम्भिक अवस्था में हैं ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

2525. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मिलावटी वस्तुओं के निर्माताओं अथवा उत्पादकों को बजाय खुदरा, व्यापारो और वितरण कर्त्ता ही कानूनो पकड़ में आते हैं ;

(ख) क्या अधिनियम के अन्तर्गत अपमिश्रित और घटिया खाद्य पदार्थों में कोई अन्तर है ;

(ग) क्या अपमिश्रण और इस का समाधान के बारे में दिल्ली में हुई गोष्ठी में उन के मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन से हुए विचार विमर्श तथा उन्हें दिये गये अभ्यावेदनों को देखते हुए उन का विचार अधिनियम में संशोधन करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० क० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। निर्धारित मानकों से घटिया सभी खाद्य पदार्थ मिलावटी माने जाते हैं।

(ग) इण्डियन चेंम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अक्तूबर, 1974 में आयोजित खाद्य अपमिश्रण निवारण सम्बन्धी वर्कशाप में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में एक प्रतिनिधि ने भाग लिया।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी एक विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति पहले ही विचार कर रही है जो निस्सन्देह सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखेगी।

सिंगापुर में भूतपूर्व आजाद हिन्द अन्तरिम सरकार के मुख्यालय की इमारत का अधिग्रहण

2526. **श्री समर गुह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के अधीन आजाद हिन्द अन्तरिम सरकार के मुख्यालय और उस सरकार के अध्यक्ष के निवास के लिए प्रयुक्त इमारतें भारतीय राष्ट्र के लिए बहुत अधिक महत्व की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिंगापुर स्थित इन दोनों इमारतों का अधिग्रहण करने के लिए कोई प्रयास किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य से सिंगापुर की मित्र सरकार के साथ बातचीत प्रारंभ करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) से (ग) सरकार इस बात को तो मानती है कि ये भवन ऐतिहासिक महत्व के हैं, परन्तु सरकार द्वारा उन्हें अधिग्रहण करने की कोई कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं समझा गया है।

गंगा से पानी न मिलने के कारण कलकत्ता पत्तन में जहाजरानी में कठिनाई

2527. **श्री समर गुह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्दी का मौसम आने के कारण गंगा से पानी न मिलने से कलकत्ता पत्तन में आने वाले और वहां से जाने वाले जहाजों के चलने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय से कहा गया है कि हुगली को गंगा का अपेक्षित मात्रा में पानी उपलब्ध करने की परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने हुगली को गंगा का पानी दिये जाने के बारे में कोई निश्चित तिथि बताई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) कलकत्ता के नीचे के भागों में गाद के कारण कलकत्ता की ओर से आने और जाने वाले जहाजों के लिये अनुमत्य डुबाव को फरवरी से आगे के महीनों में सीमित करना होता है। यह मुख्यतः शनैः शनैः खराबी और गंगा से अपर्याप्त पानी की तेज धारा के कारण होता है।

(ख) परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिये कलकत्ता पत्तन आयुक्त फरक्का बांध परियोजना और कृषि और सिंचाई मंत्रालय से घनिष्ट सम्पर्क बनाए रखता है।

(ग) फरक्का बांध परियोजना के पोषक नहर को इस वर्ष के अन्त तक पूरे होने की संभावना है और तत्पश्चात् परियोजना चालू कर दी जायेगी। गंगा के साफ मौसम के बहाव का नियतन भारत और बंगला देश की सरकारों के बीच विचार विमर्श के अधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर की सीमा पर चीन पाकिस्तान की सैनिक तैयारियां

2528. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के हाल के काश्मीर में लेह के दौरे का संबंध काश्मीर सीमा पर चीनी-पाकिस्तानी सैनिक तैयारियों के समाचार से था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) चीनी-पाकिस्तानी सैनिक तैयारियों का स्वरूप तथा उद्देश्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सीमा के साथ-साथ चीनी-पाकिस्तानी सैनिक निर्माण का कोई समाचार ध्यान में नहीं आया है।

Success of Non-Alignment Policy

2529. **Shri Bibhuti Mishra** ; Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) how far the Indian policy of non-alignment has succeeded in the world ; and

(b) the steps being taken by Government to strengthen it in making this policy more effective ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) The non-aligned movement today encompasses over 70 countries. The growing strength of non-alignment has greatly helped in bringing about a change in the global political structure, leading to de-fusing of tensions between rival power blocs, and non-alignment has come to be recognized today by the major powers as positive force. These developments and the increasing number of countries which have attended successive conferences of non-aligned countries bear testimony to the success of the non-aligned movement.

(b) For the success of the non-aligned movement it is essential to ensure that the independence and sovereignty of non-aligned countries, including economic independence, are fully safeguarded, strengthened and guaranteed. The Summit Conference of Non-aligned Countries in Algiers in 1973 suggested the ways in which this could be achieved. Government of India are in close and continuing touch with other non-aligned countries in regard to the implementation of the decisions taken in this regard in Algiers.

Availability of Iron to Farmers at Cheap Rate

2530. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme in 1974 to provide iron at cheap rate to the farmers for agricultural purposes; and

(b) if so, the rate at which iron will be sold to them and the outlines of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b) Iron and Steel meant for agricultural implement manufacturers is being supplied to them as follows :

(i) Steel scraps is supplied from producers' stockyards as per quota fixed by the Joint Plant Committee.

(ii) all other items of iron and steel are supplied to the State Small Industries Corporations and the State Agro-Industries Corporations who coordinate supply to agricultural implement manufacturers.

Iron and steel is supplied at the stockyard prices or the State Corporations prices.

Assistance for Checking Epidemics in North Bihar

2532. Shri Bibhuti Mishra : Will **the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether during the floods in September, 1974, cholera and malaria had developed in an epidemic form in Champaran District of North Bihar; and

(b) if so, the assistance provided by the Central Government to check these epidemics and to purify the water ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (**Shri A.K.M.Ishaque**) **:** (a) & (b) No such information was received from the State Government. They have also not asked for any special assistance, apart from what is provided under the National Malaria Eradication Programme and the National Cholera Control Programme. So far 156.50 metric tonnes of Bleaching Powder has been supplied to Bihar and 40 Metric tonnes is in transit for the purification of drinking water.

उत्पादन बढाने के लिये अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाने का प्रस्ताव

2533. **श्री मधु दंडवते :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिये औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) प्रस्तावित व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक का आशय औद्योगिक संबंधों को बेहतर बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और उत्पादिता और अधिक हो ।

मजूरी पुनरीक्षण के लिए सांविधिक अन्तराल में कमी करने के बारे में राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की सिफारिश

2534. **श्री मधु दंडवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार का विचार मजूरी पुनरीक्षण के बारे में राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की उस सिफारिश को लागू करने का है जिसमें कहा गया है कि मजूरी पुनरीक्षण के सांविधिक अन्तराल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में निर्णय अभी लिया जाना है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी दरों के संशोधन की आवधिकता का प्रश्न 27 सितम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श के दौरान उठाया गया था और उन्हें राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखने की सलाह दी गई थी जिसके अनुसार न्यूनतम मजूरी दरों को तीन वर्षों में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।

विदेशी विशेषज्ञों द्वारा महाराष्ट्र में शिपयार्ड के लिये स्थापना स्थल का सर्वेक्षण

2535. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पेशकश की थी कि मुराड-अंजीर के निकट अगरडान्डा में शिपयार्ड की स्थापना के लिए विदेशी विशेषज्ञों के दल द्वारा सर्वेक्षण का व्यय उसके द्वारा वहन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेशकश को मान लिया गया था और विदेशी विशेषज्ञों के दल ने स्थापना स्थल का सर्वेक्षण कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अधिकारियों के एक तकनीकी-आर्थिक कार्य दल, जिसने महाराष्ट्र सहित विभिन्न समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा अनुशंसित निर्माण स्थलों के तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं की जांच की थी, ने मुर्द-जंजीरा (अट्रडांडा) को शिपयार्ड के स्थान के लिए उपयुक्त नहीं पाया। केवल उन निर्माण स्थलों की, जिनकी दल ने सिफारिश की, विदेशी परामर्शकों द्वारा प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच की जा रही है।

वी० ए० एल० सी० ओ० का दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय

2536. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० ए० एल० सी० ओ० का केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में एक किराये के मकान में है;

(ख) क्या इस कार्यालय को नागपुर ले जाये जाने का विचार है ;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार कब से विचार कर रही है ; और

(घ) प्रस्ताव को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सन् 1972 में यह फैसला किया गया था कि पंजीकृत कार्यालय को हटा कर नागपुर कर दिया जाए। नागपुर में उपयुक्त किराए की कोई इमारत नहीं मिली। जमीन खरीद कर अपनी निजी इमारत बनाने के लिए भी धन राशि उपलब्ध नहीं थी। अत: भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को अपना पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

डियोगो गरशिया में अमरीकी नौसैनिक अड्डा

2537. श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डियागो गरशिया में नौसैनिक अड्डे के लिए अमरीकी सीनेट द्वारा 180 लाख डालर की मंजूरी दिए जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार इस अड्डे के अस्तित्व और विस्तार के विरुद्ध में है क्योंकि इससे हिन्द महासागर में तनाव और बड़ी ताकतों की प्रतिद्वन्दिता बढ़ेगी और यह संयुक्त राष्ट्र के उन प्रस्तावों के प्रतिकूल भी होगा जिनका उद्देश्य हिन्द महासागर को शांत क्षेत्र बनाये रखना है।

Payment of Workers Dues by Ujjain Naresh Ginning Factory, Ujjain

2538. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether a large number of workers working in Ujjain Naresh Ginning Factory, Agra Road, Ujjain, have been retrenched by M/s Chhaganlal Panchulal, Mohan Sadan, 6/4, Snehlats Ganj, Indore;

(b) if so, whether the provident fund has not been paid to those workers; and

(c) the action being taken by Government against this firm and the time by which it is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have intimated as under :—

(a) Yes, 34 employees of Naresh Ginning Pressing and Oil Mills were retrenched in September, 1973 and May 1974.

(b) No. Ex-employees of the Mills have not applied for withdrawal of Provident Fund accumulations. As such the question of settlement of claims does not arise.

(c) No action is called for in the light of the position stated at (b) above.

पंजाब में बिजली की कटौती के कारण जन दिवसों की हुई हानि

2539. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1973-74 और नवम्बर, 1974 तक बिजली की कटौती के कारण कितने जन दिवसों की हानि हुई ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में बिजली की कटौती और कच्चे माल की कमी के कारण लघु उद्योग बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। पंजाब में बिजली की कटौती के कारण हानि हुए श्रम घंटों की संख्या और बिजली की कमी के कारण लघु उद्योगों के प्रतिवेदित बंदों के बारे में श्रम मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, हरियाणा की तरह पंजाब लगभग पूरी तरह से भाखड़ा से मिलने वाली बिजली पर आश्रित था। भाखड़ा में इस वर्ष पानी का अन्तः प्रवाह गम्भीर रूप से कम रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भाखड़ा योजना से पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को ऊर्जा का सम्भरण कम किया गया। यह बताया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप इस राज्य में औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ऊर्जा मंत्रालय, देश में बिजली की कमी को दूर करने और बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए परिकल्पित विभिन्न उपायों को ध्यानपूर्वक लागू करवा रहा है।

पांचवी योजना के दौरान पंजाब में परिवहन सुविधाओं का विस्तार

2540. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान पंजाब में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) 1974-75 के दौरान पंजाब की राज्य योजना में सड़क परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए 275.00 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का पुनर्गठन

2541. **श्री धामनकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और इस प्रस्ताव को कोई अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नौवहन कंपनियों को ऋण देने की शर्तों में उदारता

2542. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवहन कंपनियों को ऋण देने की शर्तों को उदार बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इसके क्या उद्देश्य है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी हां ।

(ख) ऋणी नौवहन कंपनियों द्वारा रखे जाने वाले ऋण इक्विटी अनुमान और उनके द्वारा पेश को जाने वाली प्रतिभूतियों संबंधी मौजूदा शर्तों में ढील दी गई है । ब्यौरा निम्नप्रकार से है :–

(1) नौवहन कंपनियों द्वारा रखे जाने वाले ऋण इक्विटी अनुपात में 10:1 के अधिकतम तक उदार कर दी गई है । यह उन मामलों के बारे में होगा जहां नौवहन विकास निधि समिति केवल गारंटी देती है न कि ऋण ।

(2) प्रतिभूति आवरण जिसे ऋण के बारे में ऋण की शेष रकम या गारंटी के 1333 प्रतिशत दर पर अभी तक ऋणी नौवहन कंपनियों को पेश करना पड़ा था, को घटाकर 120 प्रतिशत कर दिया गया है । परन्तु ऋणी नौवहन कंपनी को उक्त जहाज को यह आश्वासन देना होगा कि राशि ऋण/गारंटी रकम के 1333 प्र० श० से कम नहीं होगी ।

उपर्युक्त ढील सामान्य नियम के तौर पर लागू नहीं होगी । बल्कि विशेष परिस्थितियों और विशिष्ठ हालतों में ही ऐसा होगा ।

ये ढील सुव्यवस्थित शिपिंग कंपनियों को जहाज जिनकी हाल में कीमतें बढ़ गई हैं, की खरीद के लिये आवश्यक ऋण पूंजी जुटाने में मदद करने के अलावा छोटी कंपनियों को विस्तार के लिये और मुक्त परिसम्पत्ति प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगी ।

सिक्किम के मुख्य मंत्री द्वारा भारत का दौरा

2543. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के मुख्य मंत्री 3 नवम्बर, 1974 को भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे किन विषयों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां । सिक्किम के मुख्य मंत्री, श्री काजी लेन्डुप दोरजी ने अपने मंत्रिमंडल के दो साथियों—कृषि एवं पशुपालन मंत्री, श्री के० सी० प्रधान सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री रिनजिंग लेपचा के साथ 3 से 6 नवम्बर, 1974 तक नई दिल्ली की यात्रा की ।

(ख) नई दिल्ली प्रवास के दौरान, मुख्य मंत्री और उनके साथियों ने प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत की । मुख्य मंत्री ने सिक्किम की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया । इस बातचीत के दौरान, सिक्किम में विकास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सहायता देने के प्रश्न पर भी चर्चा हुई । यह बातचीत सामान्य प्रकार की थी और बाद की कार्रवाई, खास-खास विकास योजनाओं को लेकर, सरकारी स्तर पर की जाएगी । भारत सरकार ने उन्हें सिक्किम की विकास योजनाओं पर जल्दी अमल करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने में अपनी तत्परता का आश्वासन दिया । सरकार ने सिक्किम की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के प्रति पूर्ण सहानुभूति और समर्थन भी प्रदान किया ।

राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा

2544. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में नए रूप में बड़े पैमाने पर फाइलेरिया, मलेरिया, हैजा, क्षयरोग, कुष्ठ रोग तथा डेंगूज्वर आदि रोगों से राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नए खतरे को रोकने के लिए क्या विस्तृत प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) मलेरिया को छोड़कर जिसकी घटनाओं में वृद्धि हुई है, राष्ट्र के स्वास्थ्य को ऐसा कोई खतरा प्रतीत नहीं होता ।

(ख) फाइलेरिया, मलेरिया, हैजा, क्षयरोग और कुष्ठ उन्मूलन/नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र पोषित योजनाओं के रूप में जारी रखा जा रहा है। इन कार्यक्रमों को समय समय पर समीक्षा की जाती है और उनकी उपयुक्त क्रियान्विति के लिए आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है । जहां तक डेंगू का सम्बन्ध है, इस रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी मच्छर ईडीज़ ईजिप्टाई के विरुद्ध लारवा रोधी और वयस्क मच्छर रोधी उपाय बरते जा रहे हैं ।

बम्बई से सीरम का निर्यात

2545. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई में कुछ एजेन्सियां सीरम का निर्यात कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार देश में रक्त की गम्भीर कमी को देखते हुए सीरम के उक्त निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) मानव रक्त/प्लाज्मा के तथा मनुष्यों के प्लेसेण्ट और प्लेसेण्टल रक्त से तैयार होने वाले मानव गामा ग्लोबुलिन और मानव सीरम एलबुमिन को छोड़ कर मानव रक्त से तैयार किये जाने वाली शेष सभी चीजों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

राष्ट्रीय कैडट कोर के कार्यकरण की जांच के लिए मूल्यांकन समिती का गठन

2546. श्री मुख्तिवार सिंह मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय केडेट कोर के कार्यकरण की जांच के लिए मूल्यांकन समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश पद क्या है ; और

(ग) समिति द्वारा केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने दिसम्बर, 1972 में पुणे विश्वविद्यालय के उप कुलपति डाक्टर जी० एस० महाजनी की अध्यक्षता में एन० सी० सी० मूल्यांकन समिति स्थापित की। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(1) राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इसके उद्भवकाल से इसके कार्यक्रमों का मुल्यांकन करना :

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्दश्यों तथा लक्ष्यों; उसके सगंटन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फेरबदल करने के लिये तथा उसके फलस्वरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था हेतु अपेक्षित उपायों के लिये सिफारिशें करने। इन सिफारिशों को करते समय समिति को युवा-विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा सगंटन के कार्यकलापों को ध्यान में रखना था।

(3) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को जनवरी 1974 में दी है। समिनि मे सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

निधियों का दुर्विनियोग और परिवार नियोजन सामग्री का दुरुपयोग

2547. श्री मुख्तियार सिंह-मलिक :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों में परिवार नियोजन अधिकारियों द्वारा परिवार नियोजन सामग्री के दुरुपयोग और निधियों के दूर्विनियोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त राज्यों के नाम क्या हैं और इसे रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ऐ० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें मिली थीं।

जहां कहीं कोई दोष सिद्ध हुआ है, वहां राज्य सरकारें उपयुक्त कार्रवाई करती रही हैं।

बोकारो इस्पात लिमिटेड की धमन भट्टी के उत्पादन में कमी

2548. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से अगस्त, 1973 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 1974 में बोकारो इस्पात लिमिटेड की धमन भट्टी का मासिक उत्पादन क्या था और यदि उत्पादन में कोई कमी हुई तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उत्पादन में यह कमी बोकारो इस्पात लिमिटेड के नए प्रबन्ध निदेशक द्वारा, प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् उत्पन्न हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित कर दी गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने की प्रथम धमन भट्टी का अप्रैल से अगस्त, 1974 तक का गर्म धातु का औसत मासिक उत्पादन 54,818 टन था जबकि वर्ष 1973 का इसी अवधि का उत्पादन 64,125 टन था। उत्पादन में यह कमी रेल यातायात में बाधा, जो विशेषत: अप्रैल से जून, 1974 की अवधि में रही, तथा सीमित कोक पुशिंग तथा कोक बनाने की अवधि बढ़ाने से धमन भट्टी में इस्तेमाल किये जाने वाले कोक की क्वालिटी घट जाने और कोयले में राख की मात्रा अधिक होने के कारण हुई है। धमन भट्टी के परिचालन में हुई तकनीकी समस्याएँ जिनके कारण गत कुछ महीनों में उत्पादन में कमी आई थी, अब सुलझा ली गई है जिसके फलस्वरूप अक्तूबर, 1974 में 69,000 टन गर्म धातु का उत्पादन हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यूनाइटेड मिनरल वर्कर्स यूनियन, सिंघभूम, बिहार से प्राप्त ज्ञापन

2549. श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम मंत्री 29 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3949 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड वर्क्स यूनियन द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24 जुलाई, 1974 के ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ख) क्या चिरिकरु क्वार्जाइज खनिज, खानें, सिंघभूम को सरकारी नियंत्रण में लेने की सिफारिश करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) मामले पर ध्यान दिय जा रहा है।

सैनिक कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन और भत्तों का लाभ

2550. श्री मधु लिमये : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों में वेतन आयोग की सिफारिशों से आगे भी कुछ अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों के हित में किए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और वेतन-ढांचे में क्य सुधार किए गए हैं ; और

(ग) इन परिवर्तनों पर कितना धन व्यय होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8605/74]**

(ग) वेतन आयोग की सिफारिशों में सुधार करने पर लगभग 33.50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।

बर्मा और भारत के बीच सीमांकन

2551. **श्री मधु लिमये :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के साथ सीमांकन कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या भू-सीमांकन के नाम से कुछ भारतीय क्षेत्र बर्मा को दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो दिए गए ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांस के साथ सम्बन्धों में सुधार

2552. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विचार में फ्रांस के साथ संबंधों में और सुधार हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो किस विशिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में ;

(ग) क्या नये राष्ट्रपति के निर्वाचन से फ्रांस-भारत संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख) फ्रांस के साथ हमारे संबंध अत्यन्त घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण है और इन संबंधों को सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों पक्ष निरंतर प्रयत्नशील हैं ।

(ग) और (घ) हम आशा करते हैं कि फ्रांस के साथ विद्यमान हमारे सुखद संबंध फ्रांस के नये राष्ट्रपति के सेवा काल में सभी क्षेत्रों में और अधिकाधिक सुदृढ होंगे ।

मूल्य वृद्धि का रक्षा भण्डार खरीद कार्यक्रम पर प्रभाव

2553. **श्री मधु लिमये :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की मुद्रा स्फीति तथा सभी वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि होने से रक्षा मंत्रालय के भंडार खरीद कार्यक्रम को आघात पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा बजट में मुद्रा स्फीति के प्रभाव के उपरान्त भी रक्षा सेनाओं को लड़ाई के लिए तत्पर रखने की स्थिति बनाए रखने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मुद्रा स्फीति और मूल्यों में वृद्धि का रक्षा स्टोर प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) मूल्यों में वृद्धि के बावजूद रक्षा सेनाओं को लड़ने की दक्षता को, यथा सम्भव मितव्यता कर और अग्रताओं के पुनः समायोजन द्वारा अपेक्षित स्तर तक रखा जा रहा है ।

चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार के लिए नेपाल को आधार बनाना

2554. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोन सरकार भारत विरोधी प्रचार के लिए नेपाल को आधार के रूप में प्रयोग कर रहे है जो कि स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के प्रतिकूल है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस परम्परा के भारी उल्लंघन के प्रति नेपाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और यदि हां, तो पिछले कुछ समय में नेपाल सरकार को इस बारे में कितनी बार लिखा गया ; और

(ग) क्या नेपाल सरकार ने वास्तव में चीन सरकार को कहा है कि तीसरे देश से इस प्रकार का प्रचार न किया जाए और यदि नहीं, तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री श्री बिपिनपाल दास : (क) काठमांडू में चोनी राजदूतावास कुछ भारत-विरोधी सामग्री प्रचारित करता रहा है। यह स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों के विरुद्ध है।

(ख) पिछले दस सप्ताह में यह मामला चार अवसरों पर नेपाल सरकार की जानकारी में लाया गया है।

(ग) नेपाल सरकार ने कहा है कि वह इस मामले पर गौर कर रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अभिकरणों का मलेरिया उन्मूलन के लिए अंशदान

2555. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया उन्मूलन और पोले बुखार को समस्या के हल के लिए अनुसंधान पर गत तोन वर्षों में भारत में कितना धन व्यय किया ;

(ख) क्या मलेरिया उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंशदान में पिछले वर्षों में कमी की गई है और स्वयं सरकार का अंशदान देश में मलेरिया के पुनः फैलाने को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध किया है कि देश से मलेरिया के उन्मूलन के लिये नये तरीके अपनाने हेतु अधिक धन राशियां उपलब्ध करे और यदि हां, तो उनको इस बारे में क्या किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन का योगदान मुख्यतः परामर्शदाताओं, शिक्षावृत्तियों, सामग्री और उपकरण की व्यवस्था करने और गोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने वाले अधिकारियों का यात्रा खर्चा देने तक ही सीमित है। जहां तक भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए धन को व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, कीटनाशकों और दवाइयों की कीमतों में भारी वृद्धि होने के साथ साथ हर क्षेत्र में आर्थिक तंगी आ जाने के कारण ही आर्थिक कठिनाइयां पैदा हुई हैं।

(ग) जी नहीं।

चीन के खतरे का सामना करने के लिये सिक्किम के प्रति रक्षा दायित्व

2556. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ सिक्किम के सहराज्य स्तर के प्रति चीन के हाल के रवैये तथा हमारे देश के विरुद्ध निरन्तर दुष्प्रचार से हिमालय पर्वत के राज्यों के प्रति हमारे देश के रक्षा दायित्व तथा वचन बद्धतायें बढ़ गयी हैं ;

(ख) क्या चीन के रवैये में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सीमा पार चीन की सेनाओं के जमाव में कोई वृद्धि हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी खतरे का ठीक तथा पूरी तरह सामना किया जाएगा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय संसद में सिक्किम के प्रतिनिधि को बैठने के बारे में भारत सरकार के निर्णय की चीन द्वारा आलोचना को सरकार ने देखा है। यह आलोचना उचित नहीं है। स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है। इसके द्वारा हमारे रक्षा उत्तरदायित्वों और वचन-बद्धता में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

(ख) जी नहीं श्रीमन् ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

"आयल स्पिल पोजिज प्राब्लम फार इन्डियन एक्सपर्टस"

2557. **श्री प्रबोध चन्द्र** :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र में "आयल स्पिल पोजिज प्राब्लम फार इंडियन एक्सपर्टस्" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) अमरीकी तेल टैंकर "ट्रान्सहेरोन" के धंस जाने के फलस्वरूप किल्टन द्वीप (लक्षद्वीप) से दूर लगभग 3000 टन तेल बिखर गया। तेल जो टपका था अब इधर उधर कर दिया है। जो तेल 'ट्रांसहेरोन' में रह गया है उसे दूसरे टैंकर पर पहुंचाया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश की प्रक्रिया

2558. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय सरकार सिक्योरिटियों में स्थायी रूप से और अन्य में अस्थायी रूप से निवेश करने का है क्योंकि पूंजी निवेश का तरीका केवल कुछ महीनों के लिए ही अधिसूचित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हनोवर इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई में सुपरवाइजर, स्वर्गीय मगनलाल देसाई की पत्नी की भविष्य निधि की राशि का भुगतान न किया जाना

2559. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हनोवर इंश्योरेंस कम्पनी, बम्बई में सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाले स्वर्गीय श्री मगनलाल देसाई, जिनका भविष्य निधि लेखा संख्या डबल्यू०बी० । 13697 था और जिनकी मृत्यु 11 अक्तूबर, 1971 को हुई थी, को पत्नी को पश्चिम बंगाल भविष्य निधि आयुक्त ने उसके स्वर्गीय पति की भविष्य निधि की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा शीघ्र भुगतान कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) स्वर्गीय श्री मगनलाल देसाई (लेखा सं० डबलु० बी०/ 13697/11) के सम्बन्ध में भविष्य निधि की राशि का भुगतान की पहले ही मंजूरी दे दी गई है। दावेदार से मांगी गई टिकट लगी रसीद की प्राप्ति पर चेक भेज दिया जाएगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

2560. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों और भविष्य निधि आयुक्तों को कहा गया है कि भविष्य निधि के निवेश के बारे में नवीनतम आदेशों का पालन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निवेश के ब्यौरों के प्रतिवेदन की जांच इस मंत्रालय द्वारा की जायेगी ;

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायत की गई है कि छूट प्राप्त प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए भविष्य निधि की धन राशियां के निवेश के नमूने का अनुसरण करते है । जहां तक छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों से संबंधित धन राशियों का सम्बन्ध है, उनका निवेश, निवेश के अनुमोदित नमूने के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई के द्वारा किया जाता है ।

(ख) निवेश के ब्यौरों की जांच भविष्य निधि संगठन करता है ।

नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों का रुकना

2561. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यद्यपि दिल्ली परिवहन निगम के कई बस रूट नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली से होकर निकलते हैं, फिर भी निगम की बसें वहां पर नहीं रुकती; और

(ख) क्या सरकार का विचार नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली होकर जाने वाली सभी बसों को वहां पर रोकने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) नार्थ एवेन्यू में नार्थ एवेन्यू से गुजरने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की साधारण सेवा के लिए तीन स्टाप की व्यवस्था की गई है और पूछताछ कार्यालय के सामने एक स्टाप एक्सप्रेस और सुगम सेवा के लिए है ।

Amendment of Industrial Relations Act and Factories Act

2562. **Shri M. C. Daga :**
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the amendments likely to be made in the Industrial Relations Act and the factories Act and since, when Government are considering the same;

(b) the time by which the amendments in the above two laws are likely to be made; and

(c) whether any consultation has taken place with the representatives of the Central Trade Union Organisations, if so, their views and whether these views are embodied in the proposed legislation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovinda Verma) : (a) Government are having under consideration an Industrial Relations Bill and are considering certain amendments to the Factories Act, 1948.

(b) Efforts are being made to bring forward the amending legislation as early as possible.

(c) The views expressed from time to time by the various interests concerned including the Central organisations of workers have been kept in view while processing the proposed amendments.

Implementation of decisions taken by Transport Development Council

2563. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the decisions taken by the Transport Development Council at its meeting held on the 8th November 1973;

(b) whether these decisions have been implemented by all the States; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) the main recommendations relating to "Road Transport" made by the Transport Development Council at this meeting are as under :—

1. Separate finances should be earmarked by the Central and State Governments for road safety measures and wayside amenities.

2. Registration marks on motor vehicles should be displayed in the bilingual system i.e. Roman and Regional scripts and the international form of Indian numerals. The consensus was in favour of transliteration of the English group of letters in the Sixth Schedule to the Motor Vehicles Act, 1939 in the regional scripts.

3. The scheme for inter-State movement of tourist vehicles on single point taxation basis should be implemented by the States which .had already agreed to it. Legal opinion should be obtained as to whether grant of permits for such vehicles to State Transport Undertakings alone would be discriminatory. If this was not so, the grant of permits should be restricted to such Undertakings.

4. All international resources of the State Transport Undertakings, included depreciation reserve fund, should be available for utilisation by these undertakings in the Fifth Plan for their schemes.

5. The borrowings by a State Transport Undertaking from commercial banks and other financial institutions should not be adjusted against the Plan outlay for the State in respect of the Road Transport Sector.

6. The profits realised by a State Transport Undertaking should be allowed to be utilised by it for its expansion programmes.

7. Priority should be given for development of road transport next only to water and power.

8. The Railways' capital constribution to State Transport Corporations should be released at quarterly intervals, or as and when the demand was made in the same manner as equity capital by Government to its public sector undertakings.

9. Concessions or incentives should be given to road transport operators for operating in the backward areas as was being done in the case of railways. Transporters should get tax concession/subsidies which were available to the industries located in backward areas.

10. Government should consider introducing price control over commercial vehicles after the report of the Bureau of Industrial Coasts and Prices was available.

11. A larger allocations should be earmarked for the State Transport Undertakings from the overall production of commercial vehicle chassis by Messrs Ashok Leyland and TELCO.

(b) & (c) The Council's recommendations are advisory in character and have been communicated to State Governments for consideration and implementation, since the executive authority in the matter of road transport rests with the State Governments.

The position in respect of recommendations Nos. 1, 2, 3, 8, 10 and 11, which concern the Central Government, is as under :—

(1) A provision of Rs. 40 lakhs is envisaged in the Fifth Plan for wayside amenities. The Planning Commission are not in favour of separate fund being set up for road safety work or wayside amenities. However, they have no objection to a suitable adjustment being made in the above provision to provide for specific schemes relating to road safety besides those relating to wayside amenities. No scheme have been received so far from the State Governments in regard to wayside amenities or road safety.

(2) Necessary amendment to the Motor Vehicles Act will be considered on receipt, from the State Governments of transliteration, in the regional languages, of the groups of letters allotted to them under the Sixth Schedule of the Act.

(3) The Ministry of Law and Justice have advised that if a Transport Authority decides to grant permit to a State Transport Undertakings for tourist vehicles, on a *bona fide* considerations of all relevant factors, such

action may not be open to Legal objection. If a specific provision is made in the Motor Vehicles Act for preference to State Road Transport Undertakings in the grant of such permits, it would be maintainable under the Constitution. This advice has been communicated to the State Governments.

There has been no appreciable progress in the implementaion of the scheme for free movement of tourist vehicles on single point taxation basis. The matter is however, being pursude vigorously with the State Governments.

(8) This recommendation is being examined in consultation with the Ministry of Railways and State Governments concerned.

(10) Informal control over the price of commercial vehicles of over 3 tonne capacity has been introduced. In view of this, statutory price control on such vehicles is not considered necessary.

(11) M/s. Ashok Leyland and TELCO are already supplying 50% of their passenger chassis production to State Trasport Undertakings. Apart from this, vehicles are also released to the State Transport Undertakings in priority, on *ad-hoc* basis to meet their urget needs.

Winding up of Central Road Transport Corporation Ltd.

2564. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 707 on the 25th February 1974 and state :

(a) whether a decision has since been taken to wind up the Central Road Transport Corporation; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H. M. Trivedi) : (a) No. Sir,

(b) Does not arise.

Specification for Bandage Cloth and Gauge Cloth under Drugs Act

2565. **Dr. Laxminarain Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any specification for Bandage cloth and Gauge cloth has been laid down under the Drugs Act;

(b) whether under this Act the specification is uniform throughout India or this is specified by the Health Ministries of various States separately; and

(c) the reasons for including the Bandage cloth and Gauge cloth under the provisions of this Act ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) Specifications for Gauge (Absorbent Gauge) are laid down in the First Edition of the Indian Pharmacopoeia (1955). These standards are required to be complied with by manufacturers under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act. Specifications for Bandage cloth are not included in the Indian Pharmacopeia. The Indian Standards Institution has laid down specifications for this item and these were recommended for adoption to the State

Drugs Control Authorities. Revised specifications for "Absorbent Gauze" and "Bandage cloth" for incorporation in the Drugs and Cosmetics Rules are being drawn up which would take into consideration the difficulties experienced by manufacturers of surgical dressings in complying with the existing specifications.

(b) The standards for drugs under the Drugs & Cosmetics Act are uniform throughout the country.

(c) Surgical Dressings which would cover Bandage cloth and Gauze cloth are deemed to be "drugs" and therefore come within the purview of the Drugs and Cosmetics Act.

'टिस्को' का विस्तार

2566. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त कर्णधार समिति ने इस बीच 'टिस्को' के संभावित विस्तार पर जापान के 'निपोन स्टील कारपोरेशन द्वारा तैयार किये गये संभाव्यता प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अभी प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिकों को शौर्य पुरस्कार

2567. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को कोई शौर्य पुरस्कार दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो जिन्हें पुरस्कार दिये गये हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम तथा स्थायी पते निम्नलिखित हैं :—

क्रम संख्या	नाम	स्थायी पता
	अशोक चक्र	
1.	जे०सी०-47692 सूबेदार गुरनाम सिंह, इंजीनियर्स (मरणोपरान्त)	श्रीमती जागीर कौर (विधवा) गांव : भुलार थाना : लाडोक तहसील : अजनाला जिला : अमृतसर (पंजाब)

क्रम संख्या	नाम	स्थायी पता
	कीर्ति चक्र	
1	कैप्टन हरीपाल सिंह अहलुवालिया (एस० एस० 22848) जाट रैजिमेंट (मरणोपरान्त)	सरदार ए० एस० अहलुवालिया (पिता) बी-15 250, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-3
2	जेसी-58395 नाइब सुबेदार दयानन्द, जाट रेजिमैंट ।	गांव : वासवीजांली डाक : सूरजगढ़ जिला : झुनझुनू (राजस्थान)
3	के०ओ०टी०ए०एस;-1 49416 सिंह (मरणोपरान्त)	श्रीमती साविन्द्र कौर (विधवा) दवारा श्री निधान सिंह, राजकीय उच्च विदयालय, भोगपुर, जिला : जालन्दर (पंजाब) ।
	वीर चक्र	
1	विंग कमाण्डर एच०एस०गिल, वी०एम० (4657), फ्लाइंग पायलट (मरणोपरान्त)	श्रीमती बसंती गिल (विधवा) लाइन पार बरेली (उत्तर प्रदेश)
2	सुकाड्रन लिडर एम०के०जैन (5327) फ्लाइंग पायलट, (मरणोपरान्त)	श्रीमती कमलेश जैन (विधवा) 95, मोहला मोहन्द्रम, जालन्दर शहर (पंजाब)
3	फ्लाइंग लैफ्टीनेंट जी० एस० राय (9015) फ्लाइंग पायलट (मरणोपरान्त)	श्री कृपाल सिंह (पिता) गांव : चाक स्वर्ण नाथ, डा० चांदरन जिला : लुधियाना
4	फ्लाइंग आफिसर सुधीर त्यागी (10871) फ्लाइंग पायलट (मरणोपरान्त)	श्री आर० एस० त्यागी (पिता) ए-66/2536, नेताजी नगर, नई दिल्ली
5	5036571 ले/नायक उमर सिंह गुरंग, गोरखा राइफलस (मरणोपरान्त)	श्रीमती दिल माया (विधवा) गांव : तथा डा० चिसापानी तहसील : नं० 3 पश्चिम जिला : कासवी (नेपाल)
	शौर्य चक्र	
1	मेजर सायरिल जी नाथन इलीआस (आई० सी० 8539), ए०ओ०सी०	जय महल, 'ए' रोड़, चर्च गेट (बम्बई)
2	सुकाड्रन लिडर तेजवन्त सिंह (7228), फ्लाइंग पायलट	दवारा एस० शींगारा सिंह, उकलाना, हिसार (हरियाणा)

क्रम संख्या	नाम	स्थायी पता
3	जे० सी० 1450 सुबेदार रणधीर सिंह आसाम राइफलस ।	गांव : गंगटन, डा० डीघल जिला : रोहतक (हरयाणा)
4	221682 सार्जेंट जगमल सिंह, फोटो मैकेनिक	गांव : कालावाटी-कि-धानी, डा० थुवाली, जिला : बाड़मेर (राजस्थान)
5	8809968 हवलदार देश राम, डी०एस०सी०	गांव : तथा डा० सेहलांग, वाया : कानिनी खास जिला : महेन्द्र गढ़ (हरयाणा)
6	1324791, लै०नायक रामा पाणीकर रामा चन्द्रन, इंजीनियर्स (मरणोपरान्त)	श्री पी० के० गोपाला कृष्णन (पिता) गृह : पारीचाकाडा, गांव तथा डा० पान्नियाम कुरूस्सी जिला : पालघाट, केरल

पांचवी योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्ग

2568. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नये राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश में किसी सड़क को भी इसमें शामिल किया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) : (क) और (ख) पांचवी योजना काल के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि चालू योजना अवधि में हिमाचल प्रदेश सहित किसी विशेष राज्य में कौन सी सड़क या सड़के नये राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में ली जायेगी ।

राउरकेला की कोक भट्टी बैटरियां

2569. **श्री देवेन्द्र सतपंथी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र में मैसर्स सी० ओटो इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड ने कितनी कोक भटटी बैटरियों बनाई और प्रत्येक बैटरी के लिए इन्होंने कितनी धनराशि ली ;

(ख) इन बैटरियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने से पूर्व इनमें से प्रत्येक बैटरी कितनी तक अवधि तक चली ;

(ग) ऐसी प्रत्यक बैटरी की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने में कितनी राशि खर्च की गई और मरम्मत करने वाली/पुर्ननिर्माण करने वाली कम्पनियां कौन-कौन सी है ; और

(घ) ऐसी प्रत्येक बैटरी आरम्भ में कब से चालू की गई थीं, इनकी मरम्मत/पुर्ननिर्माण करने के बाद इनका प्रयोग कब से किया गया था और इन्हें मरम्मत के लिए कब बेकार रखा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हाल में मैसर्स सी० ओटो इण्डिया (प्रा०) लि० ने 40 ओवनों की एक आधी कोक ओवन बैटरी का निर्माण किया है। इस काम का ठेका 4.4 करोड़ रुपये का था। 10 लाख टन और 18 लाख टन के चरणों के लिए बैटरियों का निर्माण डा० सी० ओटो एण्ड कम्पनी द्वारा किया गया था। जो एक जर्मन फर्म है।

(ख) से (घ) यह बैटरी हाल ही में चालू की गई है और इसके पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

Closer relationship with Neighbouring Countries

2570. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the specific steps taken by Government to forge close relations with the neighbouring countries during the last three years; and

(b) the specific steps taken by those countries to come closer to India during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) India is consistently pursing a policy of forging close and friendly relations with the countries in the region through diplomatic and other channels.

The promotion of close and good neighbourly relations is a continuous process involving removal of outstanding differences, strengthening of mutual understanding and cooperation in all fields and exchange of visits by dignritaies as well as political economic, technical and cultaral delagutrions.

Increase in Pension of Ex-Servicemen

2571. **Shri B. S. Chowhan :**

Shri C. K. Jaffer Sharief :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the Government's proposal to increase the pension of ex-servicemen;

(b) whether any action has been taken in this regard; and

(c) if so, the main features of the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) The question of increasing the pension of the Armed Forces Officers and Personnel below officer rank, who retired on or after 1-1-1973, in the light of the recommendations of the Third Pay Commission, is under active consideration of the Government. Tee *ad-hoc* reliefs sanctioned for pensioners on the civil side, who retired before 1-1-1973, have been extended to the Armed Forces Pensioners.

सरकारी अस्पतालों में औषधियों की कमी

2572. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में देश के सरकारी औषधालयों में औषधियों तथा अन्य सुविधाओं की भारी कमी है जिससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुइ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) **और** (ख) देश में सरकारी अस्पताल समय-समय पर दवाइयों की कमी का अनुभव करते रहे है । इस कमी के कारण इस प्रकार है :—

1. दवाइयों के आयात के लिये निर्माताओं को जारी किये गये अपर्याप्त मात्रा में आयात लाइसेंस ।
2. कांच की शीशियों का न मिलना ।
3. भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अमोनियम सल्फेट जैसी चीजों का सप्लाई न करना ।
4. कुछ सारणीबद्ध चीजों की अपर्याप्त सप्लाई ।
5. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दवाइयों का न मिलना । सीमित मात्रा में मिलना ।

इस मामले पर तमाम उपयुक्त अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और इस स्थिति को सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ।

1. जीवनरक्षक दवाइयों को थोड़ी मात्रा में आयात करने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त लाइसेंस जारी करना मान लिया है ।
2. कांच की शीशियों की सप्लाई बढ़ाने के लिये कदम उ ाये गये हैं ।
3. खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने अमोनियम सल्फेट की अतिरिक्त मात्रा देना मान लिया है ताकि दवाईयों के एककों की जरुरत को पुरा किया जा सके ।
4. देश की जरुरतों को तुरन्त पूरा करने के लिये क्लोरोक्विन फास्फेट की काफी मात्रा में हवाई जहाज से लाने की व्यवस्था कर दी गई है ।
5. जिन बल्क ड्रग्ज की सप्लाई कम हो उनको निर्यात न करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है ।
6. बहुत सी दवाइयों बनाने वाली फर्मों ने उन क्षेत्रों में जहां अनिवार्य औषधियों की सप्लाई थोड़ी मात्रा में बतलाई गई थी, हवाई जहाज दवारा भेज दी है ।

कसर के अतिरिक्त अन्य असाध्य रोग

2573. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के अतिरिक्त कुछ अन्य रोग भी ऐसे हैं जिनकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रोगों के उपचार का तरीका निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :

(क) जो नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संयंत्रो को कच्चे माल की ढुलाई

2574. **श्री अरविंद एम० पटेल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल को ढुलाई के सम्बध में खंड़ेलवाल को अध्यक्षता में बनाई गयी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) अभी तक खंडेलवाल समिति ने राउरकेला और दुर्गापुर -के इस्पात कारखानों , टाटा आयरन एण्ड स्टोल कम्पनी, इंडियन आयरन एण्ड स्टोल कम्पनी और दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के बारे में अपनी सिफारिशे दी है । समिति ने तत्कालीन तथा दीर्घकारीन आधार पर कार्यान्वित करने के लिये कई सिफारिशें की है । मोटे तौर पर इन सिफारिशों को तीन भागों में बांटा जा सकता है—(1) वे सिफारिशें जो इस्पात कारखानों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, (2) वे सिफारिशें जो रेलवे द्वारा कार्यान्वित को जाती है और (3) वे सिफारिशें जो इस्पात कारखानों तथा रेलवे द्वारा संयुक्त रुप से कार्यान्वित की जाती है ।

2. विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वियन के बारें में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

इस्पात कारखाने का नाम	कुल सिफारिशें	कार्यान्वित को गई सिफारिशें	वे सिफारिशें जो स्वोकार नहीं को गई है	सिफारिशें जो विचाराधीन हैं
1. 'इस्को'				
1 कारखाना . .	23	9	4	10
2 रेलवे . . .	8	2	1	5
3 कारखाना तथा रेलवे .	1	..	..	1
2. 'टिस्को'				
1 कारखाना . .	23	7	1	15
2 रेलवे . . .	17	10	..	7
3 कारखाना तथा रेलवे .	..	..	..	..
3. दुर्गापूर इस्पात कारखाना				
1 कारखाना . .	24	6	4	14
2 रेलवे . . .	4	..	..	4
3 कारखाना तथा रेलवे .	3	..	..	3
4. मिश्र इस्पात कारखाना .	5	1	..	4

3. राउरकेला इस्पात कारखानें को सही स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त को जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

4. दूसरे इस्पात कारखानों के बारे में खंडेलवाल समिति की सिफारिशे अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

नौसैनिक शक्ति का विकास

2575. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारतीय नौसेना को नौसैनिक शक्ति में सुधार और विकास को कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो युद्ध कौशल को दृष्टि से नौसैनिक बेड़े में बढ़ाये वाले युद्ध पोत तथा पनडुब्बियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) आगामी तीन वर्षों में कितनी पनडुब्बियां आयात की जायेंगी तथा स्वदेश में बनायी जायेंगी ; और

(घ) भारतीय नौसेना किसी भी खतरें का किस सीमा तक सामना करने की स्थिति में होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) नौसेना का विकास एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार, जहाज़, विमान और पनडुब्बियां प्राप्त की जाती हैं । रक्षा योजनाओं का पुनरक्षित होता रहता है और इन्हें सम्भावित खतरों का सामना करने के उपयुक्त बनाया है । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस विषय में और अधिक विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

इस्पात कारखानों के मजदूरों की जबरन छुट्टी

2576. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस्पात कारखानों में 1.5 लाख कर्मचारियों को जबरन छुट्टी के सम्बन्ध में 6 नवम्बर, 1974 के प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है और सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार दे कर काम पर लगाने के मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) देश में इस्पात के उत्पादन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश में इस्पात मिलों के बन्द हो जाने की घटना के परिणामस्वरूप इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जब कि उल्लिखित समाचार सरकार के ध्यान में आया है, उत्तर प्रदेश सरकार से वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा रही है । उत्तर प्रदेश में कुछ विद्युत भाप भट्टियों तथा पुनर्वेलन इकाइयों के अस्थायी तौर पर बन्द होने का कारण बिजली की कमी रहा है । जैसे और ज्योंही बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाएगा राज्य सरकार इन इकाइयों को बिजली को कुछ सप्लाई उपलब्ध करा देगी ।

(ग) और (घ) इस समय इस्पात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसलिए इस बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं है ।

उड़ीसा में गोपालपुर लघुपत्तन

2577. श्री अर्जुन सेठी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा के गोपालपुर लघु पत्तन को आगे क्रियान्वित की जाने वाली परियोजना समझती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूंजी निवेश के लिए राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा अन्तिम स्वीकृति देने के मामले में क्या कठिनाइयां हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) : (क) से (ग) चतुर्थ योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गोपालपुर का विकास शामिल किया गया था। चूंकि बन्दरगाह के लिए जगह ढूढ़ने में समय लगा, अतः उक्त योजना, चौथी योजना में मंजूर न हो सकी ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत छोटे पत्तनों के लिए मसौदा पांचवीं योजना में व्यवस्था चौथी योजना की अग्रनीत परियोजनाओं तक की सीमित है। गोपालपुर संबंधी योजना जैसे छोटे पत्तनों संबंधी किसी नई योजना के लिए राज्य सरकार को, राज्य योजना के भाग के रूप में व्यवस्था करनी होगी। योजना आयोग के परामर्श से गोपालपुर संबंधी योजना विचाराधीन है ।

सुकिन्डा में निकिल संयंत्र

2578. श्री अर्जुन सेठी
श्री गजाधर मांझी } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सुकिन्डा में निकिल संयंत्र निश्चित रूप से कब तक चालू होगा ; और

(ख) क्या परियोजना के चालू होने में असाधारण विलम्ब हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) यह मान कर कि सुकिन्डा अयस्क पर पायलट संयंत्र परीक्षण जुलाई, 1974 के अन्त तक पूरे हो जायेंगे और परामर्शदाताओं के मतानुसार अयस्क परिष्करण सुविधाओं के डिज़ाइन पैरोमीटरों की उपयक्तता की पुष्टि हो जायेगी, सुकिन्डा निकिल परियोजना को 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस वर्ष के आरम्भ में अनुमोदित किया गया था और यह आशा की गई थी कि यह परियोजना 1978 तक पूरी हो जायेगी। इस दृष्टि से खान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का काम शुरु कर दिया गया है और सम्बन्धित परामर्शदाताओं से उसके जुलाई, 1975 तक प्राप्त हो जाने की आशा है। परिष्करण सुविधाओं के लिए अपेक्षित परीक्षणों हेतु जमशेदपुर में एक पायलट संयंत्र लगाने की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में देसी स्त्रोतों से कुछ उपकरणों एवं मशीनरी और गलनरोधियों की भी सप्लाई में होने वाली देरी के कारण विलम्ब हुआ। इसी कारण पायलट संयंत्र परिक्षणों सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट के अब जुलाई, 1975 तक प्राप्त होने की आशा है। इस परियोजना के प्रथम निकिल परियोजना होने, अयस्क के मिश्रित होने और इस देश में इस प्रकार के पायलट संयंत्र पहले न लगाये जाने से यह विलम्ब अधिक नहीं कहा जा सकता। यदि पायलट संयंत्र परीक्षणों से परिष्करण सुविधाओं सम्बन्धी अब तक की विचाराधीन डिजाइन-पैरोमीटरों की उपयुक्तता सिद्ध हो जाती है। कोई अदृष्ट तकनीकी समस्या देखने में नहीं आती, तो भी सम्भव है कि उच्च प्राथमिकता वाली यह परियोजना पांचवीं योजना के अन्त तक पूरी हो जाएगी ।

अठारबांकी तथा पारादीप पत्तन के बीच पत्तन रेल सम्पर्क

2579. **श्री अर्जुन सेठी : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अठारबांको तथा पारादीप पत्तन के बीच पत्तन रेल सम्पर्क कार्य पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त रेल सम्पर्क को शीघ्र पूरा करने में रेल मंत्रालय तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय के बीच सहयोग का न होना बाधक है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) अठारबंको और पारादोप पत्तन के बोच पत्तन रेल लाइन के पूरा होने का कार्य अन्दर भरे जाने वाले माल को धरा उठाई के लिए अपने कार्य में सुधार करने एवं टिपलरों को व्यवस्था करने के लिए लौह-अयस्क धरा उठाई संयन्त्र में कुछ परिवर्तन करने के प्रश्न से संबद्ध है। इन मामलों पर परामर्शकों की रिपोर्ट की पत्तन न्यास जांच कर रहा है।

उड़ीसा से ले जायी गई लोह अयस्क की मात्रा

2580. श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य से प्रति वर्ष, सड़क परिवहन, रेल तथा पत्तनों के माध्यम से ले जायी गई लौह अयस्क की कुल मात्रा क्या है ;

(ख) राज्य में, खासकर इसके आकड़े क्या है ; और

(ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा के रुप में कितनी राशि अर्जित की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Pak Activities on Border

2581. **Shri Phool Chand Verma :**
Sardar Swaran Singh Sokhi : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistan have again stepped up their activities in the border areas recently; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No unusual activities of Pakistani troops have come to notice recently in the border areas.

(b) Does not aries.

Indian Soldiers and Citizens in Pak Custody

2582. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Indian Soldiers and citizens in the Custody of Pakistan till October, 1974 ;

(b) the number of Pakistani soldiers or citizens in the Custody of India so far ; and

(c) the reasons for not repatriating them so far ?

The Minister of Defence Shri Swaran Singh (a) to (c) : The repatriation of all the Pakistani and Indian Prisoners of War taken in to custody in the conflict of 1971 was completed on 30 April 1974. This also included the civilians taken in to pro tective during the 1971 conflict by either side.

However , as there were some civilian detainees in the custody of either government prior to the outbreak of the December 1971 conflict, it was decided in a separate agreement signed on 9th April 1974 that nationals of this category will be visited by the Swiss rep resen tatives and they will be repatriated on the basis of verification. This process has been continuing and so far 267 Indian pre-war detainees have been repatriated by Pakistan and 448 Pakistani pre-war detainees have been repatriated by India. It is proposed that the remaining Indian pre-war detainees in Pakistan and Pakistani pre-war detainees in India should be repatriated before 15th December 1974.

There are also some repoıted missing civilian and military prersonnel on both side whose whereabouts are being traced with the help of the two governments, assisted by the tracing agency of the International Committee of Red Cross.

स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायकों के सम्बर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा के एक ग्रुप की स्थापना

2583. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायकों के सम्वर्ग को प्रशिक्षित करने के लिये चिकित्सा शिक्षा का एक ग्रुप बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है और जरुरतमन्दों को चिकित्सा सहायता देने के क्षेत्र में उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रशिक्षण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा और आगामी छः महोनों में किन-किन राज्यों में ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(घ) ऐसे व्यक्ति अस्पतालों में प्राधिकृत चिकित्सा के लिये भी कहा तक सहायक होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) स्वास्थ्य सहायकों के एक संबर्ग को प्रशिक्षण दल के लिए पाठ्यचर्या सुझाव के बारे में इस ग्रुप की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सहायकों के क्या कार्य होंगें यह उपर्युक्त ग्रुप की सिफारिशों पर निर्भर करेगा ।

(ग) और (घ) आशा है कि यह ग्रुप 31 जनवरी, 1975 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दगा और प्रशिक्षण के बार में तथा इस कहां पर दिया जायगा इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जायेगा ।

Amendment to Cantonment Board Act

2584. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Defence** be pased to state :

(a) the year of enactment of the present Cantonment Board Act ;

(b) whether the conditions prevailing in the cantonment at the time of their establishment fifty years ago have undergone tremendous change at present ;

(c) whether old Cantonment Act in force at present is responsibe for deterioration instead of improvement; and

(d) when the new Act amending the old one, will be bought forward ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (d) A statement is attached.

Statement

The present Cantonments Act which was enacted in 1924 has so for been amended nearly two dozen times to meet the changing needs and situations. Among the earlier amendments, those of 1936 and 1954 are material. The 1936 Amendment Act brought out the assumption of functions and duties under the Act by the Central Government from the Local Governments, replacing all Cantonment Authorities by Cantonment Boards and classification of Boards on the basis of civil population and provision of appointment of Civilian Executive Officers. The amendments of 1954 cater to a large extent to the recommendations of the Central Government Committee on Cantonments known as the Patil Committee in the matter of further democratisation of civil administration in Cantonments.

2. On 15th December 1972, a Task Force composed of a Joint Secretary, Ministry of Defence (Chairman) and representatives of Ministry of Finance (Defence) Army Headquarters and ML&C Service as members was set up with the following Terms of Reference :—

(a) to examine what amendments should be made to the Cantonments Act 1924, taking in to consideration the representations and suggestions made from various quarters and also other related matters like changes in the concept of municipal administration consistent with the necessity to ensure greater discipline, security, sanitation and health of the troops ;

(b) to draft a comprehensive Bill for introduction in Parliament.

3. The Task Force started functioning from 8th December 1972 and submitted its Report on 2nd June 1973. The recommedations of the Task Force cover amendments to the Cantonments Acts in respect of the following matters :—

(1) To achieve parity between the elected and nominated (including ex-officio) member and consequential amendments.

(2) To extend the terms of office of the members of the Board from three to five years.

(3) To reduce the terms of office of the Vice President from three years to one year and to provide for his removal through a no confidence motion.

(4) To further democratise the administration of Cantonments by grant of certain powers to Civil Area Committees within the civil notified areas.

(5) To enlarge or modify the list of obligatory duties and discretionary functions of the Cantonment Boards, to bring them at par with those of Municipalities consistent with the requirements of the Armed Forces.

(6) To streamline the administratoin of Cantonments by incorporating further amendments in keeping with the contemporary trends of municipal administration.

(7) To provide for declaration of Naval Stations also as Cantonments under the Cantonments Act, when necessary and consequential amendments.

(8) To remove lacunae in the Act as revealed by judicial pronouncements in regard to recovery of property tax in respect of private buildings occupied by Government and recovery of rent on account of leases.

(9) To achieve greater decentralisation of powers :—

(a) by vesting certain powers in the Executive Officer instead of the Board in matters of a routine nature.

(b) by enabling the GOC-in-Chief the Command to delegate his powers in favour of the Deputy Director.

(10) To remove certain difficulties faced at present in the administration of the Act.

(11) To enhance the amount of fines, fees and financial powers as provided in the Act, keeping in view the present day rise in prices.

(12) To amend obsolete provisions, bring the Act uptodate and to rearrange some of the sections consistent with the subject of the section.

4. These recommendations of the Task Force have been examined in the Ministry of Defence in consultation with the Services Head quarters and ML&C Service and action is in hand to finalise the decision of Government in regard to the amendments to be made to the Cantonment Act 1924. Further, inter-departmental consultation and processes prescribed under the procedure laid down for considering proposals relating to legislations are yet to be completed. As soon as this action is completed and the amending Bill drafted it will be introduced in the Parliament.

औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम को लागू करना

2585. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम को लागू करने का स्तर राज्यों में सन्तोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) राज्यों में इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जहां महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में इसका अच्छा प्रबन्ध है वहां अन्य राज्यों में इस बारे में बड़ी कमी रहती है ।

(ख) अधिकतर राज्यों में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संतोषजनक ढंग से लागू न करने का कारण यह है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में औषधि नियंत्रण के उपायों को उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई ।

(ग) राज्यों को बारंबार यह सलाह दे दी गई है कि वे एक कारगर औषधि नियंत्रण संगठन के लिए अनिवार्य बातों को ध्यान में रखते हुए अपने अपने औषधि नियंत्रण संगठन को सुव्यवस्थित बना ले । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने 1969 में भोपाल में, 1973 में भुवनेश्वर में और 1974 में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठकों में पारित संकल्पों में राज्य सरकारों से अपने अपने औषधि नियंत्रण संगठनों को समुचित पुनर्गठन करने का भी आग्रह किया है । यद्यपि देश में औषधि नियंत्रण की स्थिति में शुद्ध सुधार हुआ है, तथापि कुल मिलाकर सारी स्थिति संतोषजनक नहीं है ।

मध्य प्रदेश में नकली औषधियों के घोटाले

2586. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर तथा मध्य प्रदेश के अन्य नगरों में नकली एलोपेथिक तथा आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाली फर्मों के घोटाले के बारे में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने कोई सरकारी जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या आगे जांच करने के लिये यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) जी हां। इस की जांच एक समिति द्वारा की गई थी जिस में पुलिस के डी०आई०जी०, उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रक थे। इस समिति के निष्कर्षों के अनुसार इन्दौर में स्थापित किये गये 374 यूनिटों में से 236 यूनिटों का प्रबन्ध 13 ग्रुपों द्वारा किया गया था और बम्बई के आयात निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक ने ये 1 करोड़ 77 लाख रुपये के मूल्य आयात लाईसेंस दिये थे। उन्होंने केवल 42.4 लाख रुपये के मूल्य के आयात लाइसेंसों का उपयोग किया। शेष 138 यूनिटों को 1 करोड़ 13 लाख रुपये के मूल्य के लाइसेंस दिये गये जिन में से इन यूनिटों ने केवल 26.1 लाख रुपये के लाइसेंसों का उपयोग किया।

जनवरी में किये गये सर्वेक्षण के समय इन यूनिटों में से 74 यूनिटों को पहले ही बन्द कर दिया गया और केवल 12 यूनिट बने रहे किन्तु वे काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें निर्माण लाइसेंस नहीं दिये गये थे।.

(ग) जी हां।

नागालैंड तथा मनीपुर में खनिज साधन

2587. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि भारत-बर्मा सीमावर्ती क्षेत्र के साथ नागालैंड तथा मनीपुर में खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में पाये जाते है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था अपने नियमित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण कार्यक्रम में खनिज सम्पन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता देती रही है और इन सर्वेक्षणों पर अनुवर्ति कार्रवाई के रूप में कई विस्तृत खनिज अन्वेषण भी किए गए है। इसके फलस्वरूप नागालैण्ड में कोयला और निकिल तथा मणिपुर में चूना-पत्थर और खनिज मिट्टी के निक्षेपों का पता चला है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के अपने चालू क्षेत्रगत सत्र (अक्तूबर, 1974 से सितम्बर, 1975 तक) के दौरान दोनों ही राज्यों के कुछ प्रत्याशित खनिज सम्पन्न क्षेत्रों में नियमित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण तथा नागालैंड में कोयला एवं मैग्नेटाइट निकिल के लिए तथा मणिपुर में क्रोमाइट, निकिल, तांबा, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस, सोपस्टोन, लिग्नाइट और राक-साल्ट के लिए क्षेत्रीय खनिज अन्वेषण करने का प्रस्ताव है।

सिक्किम के बारे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रचार

2588. **श्री एस० एन० मिश्र : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व के विभिन्न समाचार-पत्रों में सिक्किम के बारे में पाकिस्तान द्वारा किये गये भारत विरोधी प्रचार के समाचारों को देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर, 1974 में हमारे विदेश सचिव ने, जो उस समय पाकिस्तान की यात्रा पर थे, सिक्किम के बारे में पाकिस्तान के अवांछित प्रचार अभियान पर भारत की चिन्ता प्रकट की। पाकिस्तान को यह स्पष्ट बता दिया गया था कि सिक्किम की संविधान संबंधी घटनाओं का गलत अर्थ लगाकर यदि पाकिस्तान कोई रुख अख्तियार करता है तो इससे पाकिस्तान के इरादों के बारे में भारत में गंभीर आशंका उत्पन्न हो जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की आवश्यकता

2589. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1974 तक दिल्ली परिवहन निगम को कुल कितनी बसों की आवश्यकता थी ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें हैं और इस समय दिल्ली में कितनी बसें चल रही हैं ; और

(ग) इस अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) 31-10-1974 को दिल्ली परिवहन निगम के पास 1734 बसों का बेड़ा होने की संभावना थी परन्तु उक्त तारीख को बेड़े की बसों की वास्तविक संख्या 1644 थी।

(ख) निगम द्वारा अक्तूबर, 1974 के महीने के दौरान प्रतिदिन चलने वाली बसों की औसत संख्या 1209 थी।

(ग) यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निगम के बेड़े की संख्या क्रमशः बढ़ाई जा रही है। आवश्यक गाड़ियों की मरम्मत तथा देख रेख अवस्थापन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्थित रूप से मार्ग ढांचे को नया रूप देने के कार्यक्रम को चरणाबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

अन्तर्देशीय परिवहन के विकास के बारे में भगवती समिति पर किया गया खर्च

2590. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय परिवहन के जल विकास के बारे में भगवती समिति पर सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : भगवती समिति पर सरकार ने कुल 1,24,589.21 रुपये व्यय किये।

Non-Deposit of E.P.F. By M/s. Chhagan Lal Panchu Lal, Indore

2591. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether the firm of M/s. Chhaganlal Panchulal, Mohan Sadan, 6/4, Snehlata Ganj, Indore has not deposited a large amount of Provident Fund of the employees of the firm engaged in different work;

(b) if so, the amount of arrrear of Provident Fund outstanding against the aforesaid firm; and

(c) whether steps will be taken to recover this arrear ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) to (c) It is being examined whether the firm of M/s. Chhganlal Panchulal is coverable under the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952.

वर्ष 1973–74 में गौहाटी से कलकत्ता तक अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा ढोया गया माल

2592. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश होकर गोहाटी से कलकत्ता तक अन्तर्देशीय जल परिवहन को नियमित मालवाही सेवाएं चालू हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 में अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा कितना माल ढोया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन को माल सेवाएं केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० कलकत्ता द्वारा बंगला देश से होते हुए गोहाटी से कलकत्ता तक तथा विलोमतः चल रहीं है।

(ख) 1973–74 में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता द्वारा निम्नलिखित नदी सेवाओं में धरा उठाई किये गये माल की मात्रा नीचे दी गई है :—

	(टनों में)
1. कलकत्ता—बंगला देश . . .	49,545.00
2. बंगला देश—कलकत्ता	13,502.30
3. कलकत्ता—असम	374.10
4. असम—कलकत्ता	17,130.60
5. असम—बंगला देश	709.10

अमरीका तथा सोवियत संघ द्वारा परमाणु बमों का इकट्ठा किया जाना

2593. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका तथा सोवियत संघ ने 1.2 एम परमाणु बम इकट्ठे कर लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) सरकार ने ये खबरें देखी हैं कि अमरीका और सोवियत संघ का परमाणु आयुध भण्डार में हिरोशिमा किस्म के 12 लाख परमाणु बमों के बराबर है ।

(ख) भारत सरकार का बराबर यही मत रहा है कि निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में परमाणु निरस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का उत्पादन

2594. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971–72 से 1973–74 तक, वर्षवार, सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन क्या हैं ;

(ख) क्या लगभग एक लाख टन कोयले की कमी आ जाने से सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को मजबूर होकर उत्पादन में कमी करनी पड़ सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की स्थापित क्षमता तथा वर्ष 1971–72 से 1973–74 की अवधि में उनका इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :--

(हजार टन)

	स्थापित क्षमता	उत्पादन		
		1971–72	1972–73	1973–74
इस्पात पिण्ड :				
भिलाई इस्पात कारखाना .	2500	1953	2108	1894
दुर्गापुर इस्पात कारखाना .	1600	700	723	776
राउरकेला इस्पात कारखाना .	1800	823	1177	1081
विक्रेय इस्पात :				
भिलाई इस्पात कारखाना .	1965	1568	1746	1682
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1239	432	477	377
राउरकेला इस्पात कारखाना .	1225	597	765	736

(ख) और (ग) वर्ष 1974–75 के उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार इन कारखानों द्वारा कुल 31.62 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन करने की सम्भावना है और इसके लिए इन कारखानों को लगभग 78 लाख टन कोककर कोयले की आवश्यकता होगी। इन कारखानों से यह भी आशा की जाती है कि वे अपने पास कुछ दिनों की कोयले की खपत के लिये कोयले का स्टाक रखें। इसलिए सामान्यतः कोयले के उत्पादन में लगभग एक लाख टन की कमी हो जाने से इन कारखानों के उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता बशर्ते कि सप्लाई ऐसे समय में बन्द न हो जाए जब इन कारखानों में कोयले के स्टाक की स्थिति पहले ही नाजुक हो।

सरकारी तथा विभागीय उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों को सुधारना

2595. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 की पहली छमाही में सरकारी तथा विभागीय उपक्रमों में सर्वाधिक संख्या में जन दिवसों की हानि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी तथा विभागीय उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं। उपलब्ध अनंतिम सूचना के अनुसार, जनवरी से जून, 1974 तक की अवधि के दौरान, जिन औद्योगिक विवादों के परिणामस्वरूप कामबंदियां हुई, उनके कारण हानि हुए कुल श्रम दिनों में से लगभग 26.6% श्रम दिनों की हानि सरकारी क्षेत्र में हुई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर प्रति व्यक्ति व्यय

2596. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, उत्तर प्रदेश सरकार, जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को चला रही है, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 85/- रुपये की निर्धारित की गई सीमा के स्थान पर प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति केवल 39/- रुपये ही खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि निगम को प्रयोग के आधार पर पांच वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा योजना का चिकित्सा प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान, उत्तर प्रदेश में, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति डाक्टरी देखरेख संबंधी खर्च, उस वर्ष संबंधी खर्च के लिए निर्धारित की गई सीमा, जैसी कि नीचे दी गई है, के मुकाबले में रु० 36.16 पैसे था।

1. सीमित डाक्टरी देखरेख, अर्थात् बीमाकृत व्यक्तियों के लिए पूर्ण व्यापक चिकित्सीय देखरेख और परिवारों के लिए केवल बहिरंग मरीज देख-रेख और निशुल्क दवाइयों और मरहम पट्टी ।	रु० 63/- प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी।
2. विस्तारित डाक्टरी देखरेख, अर्थात् परिवार उन सभी सुविधाओं के हकदार हैं, जैसी कि बीमाकृत व्यक्तियों के लिए हैं, सिर्फ अस्पताल में भर्ती को छोड़कर ।	रु० 67/- प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी।
3. पूर्ण डाक्टरी देख-रेख, अर्थात् परिवारों को वे सभी सुविधाएं दी जाती है जैसे कि बीमाकृत व्यक्तियों को उपलब्ध हैं।	रु० 80/- प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी।

(ख) खर्च में कमी मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं की मात्रा के कारण है। इस समय, कानपुर और मोदीनगर में पूर्ण डाक्टरी देख-रेख की सुविधा प्रदान की जा रही है जब कि राज्य के शेष भागों में केवल सीमित डाक्टरी देख-रेख की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

(ग) और (घ) योजना के अन्तर्गत डाक्टरी देख-रेख की सुविधा का प्रशासन राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार अब डाक्टरी देख-रेख और सेवाओं के स्तर पर और मात्रा में सुधार कर रही है ।

चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रिय राजमाग पर पुलों की मरम्मत पर व्यय

2597. श्री कुमार माझी :

श्री एस० एन० सिंह देव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजनावधि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पश्चिम बंगाल में कमजोर तथा क्षति-ग्रस्त पुलों की मरम्मत के लिए, प्रत्येक पुल पर जगह का नाम देते हुए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी, और

(ख) अद्यतन प्रत्येक पुल पर किये गये कार्य तथा खर्च की गई राशि की रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8606/74]**

पश्चिम बंगाल, मनीपुर और मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल

2598. श्री एम० एस० पुरती :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल, मनीपुर और मेघालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 50 लाख से कम लागत के कितने पुलों पर निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था तथा वे कहां कहां हैं ;

(ख) इन राज्यों में प्रत्येक पुल की कुल लागत कितनी आएगी ; और

(ग) प्रत्येक पुल पर अब तक हुए खर्च का मुख्य ब्यौरा क्या है तथा अब कितना वास्तविक व्यय किया गया है, और यदि कोई कमी हुई है तो कितनी हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, प्रत्येक 50 लाख रुपये से कम लागत वाले 33 पुलों का निर्माण चालू किया गया था। इन पुलों के स्थान, अनुमानित लागत, निर्माण प्रगति और उन पर 31-3-1974 तक हुए खर्च को दिखाने वाला विवरण I संलग्न है। इसके अलावा और 22 पुलों की स्वीकृति की गई है, परन्तु इन का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ। इन पुलों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8607/74]**

फार्मासिस्टों के वेतनमानों का निर्धारण

2599. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिंग और कलावती सरन बाल अस्पताल में काम कर रहे कुछ फार्मासिस्टों के वेतनमानों का पहले और दूसरे वेतन आयोग के संदर्भ में निर्धारण उस समझौते के कारण अभी तक नहीं किया गया है जो स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल फेडरेशन आफ फार्मेसिस्ट्स एसोसिएशन के बीच 28 अगस्त, 1972 को हुआ था ;

(ख) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कार्य तीन महीने के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया था चाहे उनके पास कितना ही एरियर क्यों न हो ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक हुये विलम्ब के क्या कारण हैं और विलम्ब के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) से (ग) फार्मेसिस्ट एसोसिएशनों के फेडरेशन के साथ 28 अगस्त, 1972 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल तथा कलावती सरन बाल चिकित्सालय नई दिल्ली में काम कर रहे फार्मेसिस्टों के वेतन निर्धारिण के आदेश क्रमश: 4 और 20 अक्तुबर, 1972 को जारी कर दिए गए थे। जहां तक कलावती सरन बाल चिकित्सालय में काम करने वाले फा सिस्टों सम्बन्धी आदेशों का सवाल हैं इस संस्था ने कुछ स्पष्टीकरण चाहे थे जिस पर विचार किया जा रहा है।

फार्मासिस्टों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

2600. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग द्वारा फार्मासिस्टों के लिए सुझाए गए वेतन मान लागू कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो (एक) वेतनमानों का ब्यौरा, (दो) प्रत्येक वेतनमान की वर्षों में अवधि, (तीन) अधिकतम वेतनमान पर रुके पड़े फार्मासिस्टों की संख्या, (चार) आगामी दो वर्षों में अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने वाले फार्मासिस्टों की संख्या, (पांच) दस से बीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले फार्मासिस्टों की संख्या और (छ:) पांच दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुकने वाले फार्मासिस्टों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उक्त सिफारिशों को क्रियान्विति से पूर्व भाग (ख) में पूछो हुई जानकारो दो जाए ?

रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जो हां, श्रोमन्। रक्षा मंत्रालय के अधोन फार्मासिस्ट नाम का कोई पद नहीं है परन्तु कम्पाउन्डर और डिस्पेंसर नाम के पद हैं जिनके लिए तृतोय वतन आयोग ने उन्हीं संशोधित वेतन मानों की सिफारिश को है जो फार्मासिस्टों के लिए है।

(ख) (1) और (2)—ब्यौरे सलग्न विवरण में दिए गये है ।

(ख) (3) (4), (5) और (6) तथा (ग)—अपेक्षित सूचना एकत्र को जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

(ख) (1) वेतनमानों के ब्यौरे :—

पदनाम	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान
(1) कम्पाउन्डर/कम्पाउन्डर और डिस्पैंसर (अर्हता प्राप्त) सलैक्शन ग्रेड	205—7—240—8—280	425—15—560—द० रो०—20—640
(2) कम्पाउन्डर/कम्पाउन्डर (अस्पताल)/कम्पाउन्डर और डिस्पैंसर (अर्हता प्राप्त) ग्रेड—I	130—5—175—द० रो० —6—205—7—212—द० रो०—7—240	(1) 330—10—380—द० रो०—12—500—द० रो०—15—560 (पूर्णतया अर्हता प्राप्त के लिए, अर्थात वे जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 31 और 32 में दी गई अर्हताएं रखते हैं परन्तु इसमें उपर्युक्त धारा 31 के खण्ड (घ) में दी गई अर्हताओं को छोड़ दिया गया है ।) (2) 330—8—370—10—400—द० रो०—10—480 (जिनके पास अर्हता नहीं है अर्थात जो फार्मेसी अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (घ) के अन्तर्गत आते हैं अथवा उस खण्ड के अधीन रजिस्टर की जाने वाली अर्हता रखते हैं)
(3) कम्पाउन्डर/कम्पाउन्डर और डिस्पैंसर (जिनके पास अर्हता नहीं है)	(1) 110—3—131—4—175 (2) 80—1—85—2—95 —द० रो० —3—110	260—6—325—द० रो०—8—350

(ख) (2) हरेक वेतनमान की वर्षों में कुल अवधि :—

वेतन मान	अवधि वर्षों में
425—640 रुपए .	14
330—560 रुपए	20
330—480 रुपए . . .	17
260—350 रुपए	15

Jurisdiction of Disputes in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

2601. **Shri Pannalal Barupal :** Will the Minister of **Labour** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1295 on the 28th February, 1974 and state :

(a) whether Government have in consultation with the Delhi Administration declared Central jurisidction or the jurisdiction of Delhi Administration over the arbitration of industrial disputes, of the employees of the Khadi Gramodyog. Bhavan, New Delhi.

(b) whether both the Central Labour Commissioner and the Delhi Administration have refused to arbitrate the industrial disputes of the aforesaid employees and

(c) if so, the authority that will arbitrate their dispu in these circumstances?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) No such declaration has been made by the Central Government.

(b) and (c) No formal request for arbitration has been rece ived by the Centra Government. The question whether Central Government is the "appropriate Government" in relation to industrial disputes in the Khadi Gramodyog Bhavan New Delhi is under examination.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम

2602. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड एक बड़े बिस्तार कार्यक्रम पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० की मुख्य विस्तार योजनाएं नई योजनाएं जिन पर या तो कार्य कर रहा है अथवा जिन्हें पांचवीं योजना के मसौदे में शामिल कर लिया गया है, इस प्रकार है :—

(1) भिलाई इस्पात कारखाने का 25 लाख टन से 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करना। इसमें इस्पात बनाने के लिए एल० डी० कन्वर्टर लगाने, लगातार ढलाई के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा भारी प्लेटों के निर्माण के लिए एक प्लेट मिल लगाने की परिकल्पना की गई है। लौह खनिज निकालने तथा सिन्टर बनाने की सुविधाओं में भी उचित रूप से विस्तार किया जा रहा है। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(2) तेल शोधनशालाओं उद्योग तथा लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अधिक व्यास के पाइप बनाने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने में एक स्पाइरली वेल्डिंग पाईप प्लांट स्थापित करना ।

(3) तापसह ईंटों के निर्माण के लिए भिलाई में उष्मसह संयंत्र लगाना ।

(4) दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार करना ।

(5) ठंडो बेलिन दानेदार चादरों के निर्माण के लिए राउरकेला में एक कारखाना लगाना ।

(6) बिना जोड़ की ट्यूबों का एक कारखाना लगाना ।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंस काण्ड

Shri Madhu Limaye (Banka) ; I rise on a point of order yesterday. I had requested you to kindly postpone the discussion on Privilege issue. If they have not acceded to that. I have nothing to say, but kindly listen to me for this moment. Had I been in the House yesterday, you must have heard me. I had written to you. You can't it ignore my convenience for the sake of others. I am struggling for my right. You please give me two minutes *(Interruptions)*

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : नियम 376 (2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न केवल उस विषय के बारे में उठाया जा सकता है जो कि सभा के विचाराधिन है। मेरी आपत्ति है कि इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वह जिस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ? आप इस पर अपना निर्णय दें। वह वह कल नहीं आये और आप ने चर्चा समाप्त कर दी। फिर वह इस विषय पर छः बार बोल चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही इस समय सभा के सामने कोई विषय नहीं है तथा उनका व्यवस्था का प्रश्न किसी भी विषय से संबंधित नहीं है। वह मूझे बतायें कि उनका व्यवस्था का प्रश्न किस विषय पर है अथवा कि यह उनका केवल निवदन ही है ।

Shri Madhu Limaye : My point of order is about a pending matter the Previlege matter is pending.

अध्यक्ष महोदय : आप केवल निवेदन कर सकतें है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तपुजा) : नियम 376 के अधीन कोई व्यवस्था का प्रश्न कतिपय नियमों या संविधान के अनुच्छेदों की व्यवस्था के संबंध में अथवा फिर सभा में चर्चाधीन किसी विषय पर ही उठाया जा सकता है। कल वाली चर्चा समाप्त हो चुकी है तथा आपने उनका पत्र सभा में पढ़कर सभा की राय लेकर ही अपना विनिर्णय फिर कभी देने का निश्चय किया था। वह विषय कल ही समाप्त हो गया। अब इस मामले को दोबारा उठाना एक खतरनाक परम्परा आरंभ करना होगा तथा इससे हम सभी पर आक्षेप आता है। श्री मधु लिमये स्वयं को भले ही कितना ही समझते हो। परन्तु कानून की नजर में वह हम 550 संसद सदस्यों में से एक हैं।

Shri Madhu Limaye: I am ordinary man and have no special opinion about myself. But still I have got my rights also.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उनके कथन के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री स्टीफन ने यद्यपि कहा है कि पत्र पढ़ा गया था तथा अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय बाद में देने को कहा था। इससे भी यह अभिप्राय निकलता है कि वह मामला समाप्त नहीं हुआ है।

श्री सी० एम० स्टीफन : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मैं ने मामला समाप्त कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले को चर्चा में हस्तक्षेप करने तथा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है। उनकी बात सुनी जानी चाहिये . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कल मैं ने सभी को अवसर दिया था, सब के विचार सुने थे तथा फिर मामला समाप्त कर दिया था। मैंने यह भी कहा था कि मैं गत सप्ताह हुई सारी चर्चा को देखूंगा तथा देखूंगा कि किस किस ने क्या क्या प्रश्न उठाये थे। और उस में मुझे काफी समय लगेगा। मैंने वायदा किया था कि मैं दोनों पक्षों के चार सदस्यों की बात भी सुनुंगा परन्तु इस चर्चा को स्थगित करने के बात सभा ने स्वीकार नहीं की थी।

एक माननीय सदस्य : इन चारो में श्री लिमये का नाम नहीं था।

Shri Madhu Limaye : Were the names of the Prime Minister and Shri Raghuramiah there ? Why did they interfere ? Although I am an ordinary man, yet here in the House. I have got no less rights than the Prime Minister.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : दुर्भाग्य से वह सभा के नेता नहीं हैं। सभा के नेता को चर्चा में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हुआ हो, आप अध्यक्ष के सामने अपना निवेदन कर सकते हैं। परन्तु आप ने अपने पत्र में जो भाषा लिखी है वह बड़ी कडुवी है। आपने कहा है कि आपने श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध आरोप पत्र पर आधारित एक स्वीकृत नोटिस मुझे दिया और यदि मैं सभा की कार्यवाही व्यवस्था पूर्वक चलाना चाहता हूं तो आपको प्रश्नकाल के बाद बोलने को आमंत्रित करू।

मैं तो सभा में व्यवस्था बनाये रखना चाहता हूं तथा दोनों ओर के सदस्यों को बोलने की अनुमति भी देता हूं, परन्तु आप को इस प्रकार के दबाव में आकर नहीं।

Shri Madhu Limaye : They check me so many times and naturally I become angry otherwise, you well know that I speak very humbly.

I want to make three submissions. Yesterday, Shri Atal Bihari Vajpayee had enquired whether Shri Dikshit would give a statement. At this the Prime Minister had said : We dont see that you are going to examine because the privilege motion is against the Home Minister, the Home Minister continues ; the person may change but the Home Minister continues that is why he is dealing with the question.

The matter is going deep under Article 75 of the Constitution, the Cabinet has got a joint responsibility. None, Shri Dikshit may not be the Home Minister; he is still the Member of the Cabinet and in case he is not able to fulfil his promise, he should come before the House and surrender and resign. Then we would not raise the matter against him We would then take up the matter against the Government, against the Prime Minister. I am warning you that you are taking the matter very deep.

Secondly, as regards raising a point against the Members in the other house you may give any ruling, but in Shakdher Book, it is written at page 263, which says that—

"यदि एक सभा में दूसरी सभा के किसी सदस्य अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का मामला खड़ा होता है तो उस सभा का अध्यक्ष प्रश्न उठाने वाले सदस्य की बात सुनकर अथवा किसी दस्तावेज के आधार पर यदि यह निश्चय करल कि वास्तव में विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है तो वह उस मामले को दूसरी सभा के अध्यक्ष के पास भेज देगा।"

Now if you are satisfied that Shri Dikshit has commited a breach of privilage, you will have to refer the matter to the other house and the members. There will have to protect our rights.

Now, in case Shri Dikshit had given the assurance on Government's behalf, then you permit us to raise the privilage matter againsts the Prime Minister because she is finally responsible for everything.

The next point is that the matter would have ended had they kept mum about Shri Tulmohan Ram's case. But they gave wrong statements before the pressmen. You please ask Shri Tulmohan Ram to come here and clarify the positions. In case he does not turn up, it would mean that he accepts our allegations, and thus prima facie case comes into existence, and let it go before the Privilage Committee. So, either Shri Dikshit should come here or we should be permitted to raise the matter of Privilage against the Prime Minister.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूलसराय) : यदि कोई मंत्री दूसरी सभा का सदस्य है तो भी वह दोषी तो इसी सभा का होगा जिसके विशेषाधिकार का उसने उल्लंघन किया है। यह नियम तो केवल एक ही सदस्य के बारे में हैं क्योंकि वह अपना स्पष्टिकरण देने के लिये दूसरी सभा में नहीं आ सकता। परन्तु मंत्री तो दोनों सभाओं में आते-जाते हैं। अत: हमें इस मामले पर इसी सभा में विचार करना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpaye (Gwalior) : Sir, I have given notice of a Privilage motion and as per rules, that should came first.

Mr. Speaker : How is that Privilage Motion ? It is subvert democracy.

Shri Atal Bihari Vajpaye : No Sir, that is Adjournment Motion, that I would take up later. I have given notice of Privilage Motion against Shri L. N. Mishra, which is based on the Chargesheet place in the Library...

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हमें इसका पता नहीं था कि यह मामला आज उठाया जाना है। हमें इसकी पहले सूचना मिलनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : My notice is dated 25th three days earlier.

Shri Atal Bihari Vajpaye : We gave notice just after the chargesheet was place in the Library. Then I would like to know the procedure to be adopted for the Privilage motion ? You have received a letter today from Shri Bhuveneshwar Ram, the servant of Shri Tulmohan Ram. There is a services allegation in that letter that the C.B.I. had taken his statement in Shri Tulmohan Ram's case.

Mr. Speaker : I have got to get that on the other hand, I am searching your Privilage Motion. Where is that ? I am not finding that here.

Shri Atal Bihari Vajpaye : Your Secretariat should know that. I sent it by Post and I have got the copy.

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpye : Still I can raise the point because he had met me.

अध्यक्ष महोदय : तुलमोहन राम तो मेरे लिये एक समस्या बन गये हैं।

Tulmohan Ram must be having mental strain but you people raise many matters here in that connection. Now please stop it. We would take that up during next week. You relax in these two holidays. I don't have the notice which you are referring to.

Shri Atal Behari Vajpayee : But let me draw your attention to the contents thereof.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : श्री बाजपेयी के बोलने से पहले, नियम 222 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये।

Shri Atal Behari Vajpayee : I yield because he is in the panel of chairman.

Sri Vasant Sathe : Your name has been wrongly published as Atal Behari in the Bulletin

Shri Atal Behari Vajpayee : That also amounts to a matter of Privilage.

श्री वसन्त साठे : नियम 222 के अनुसार कोई सदस्य सभा के किसी सदस्य के या सभा के या सभा के किसी समिति के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकता है।

नियम 225,226, 223 तथा 224 में तत्संबंधी कुछ शर्तें हैं। अब श्री कौल तथा शाकधर की पुस्तक में, जिस के उद्धरण यहां बाईबल के उद्धारणों के समान दिये जाते हैं, पृष्ठ 256 पर ऐसे प्रश्नों के बारे में प्रक्रिया बताई गई है। यह विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त मामले को सदन में उठाने की अनुमति देने से पूर्व अध्यक्ष को उस पर पहले अपनी राय देनी होगी, यदी हमारे विशेषाधिकार के सम्बध मे प्रक्रिया नियम कहते हैं। अध्यक्ष की राय के बिना चर्चा नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय आपको निर्णय करना है। इसलिये अगर आप चाहे तो नियमों को देख सकते हैं। आप सेकड़ों सदस्यों की इस बारे में राय नहीं ले सकते। अगर आप अपनी राय देने से पहले सदस्यों की बात सुनेंगें तों आप नियमों के विरुद्ध जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य किसी समाचार पत्र अथवा किसी अन्य पत्र को उद्धृत करता है तो वह उसका कर्तव्य है कि या तो उस उद्धरणके नीचे रेखा खींच दे या जिस किसी पत्र से वह उद्धृत किया गया है उसकी प्रति नोटिस के साथ लगाकर भेजे अतः मेरा अनुरोध है कि आप इसे औपचारिक ढंग से भेजें और इस पर बाद में हम विचार करेंगे।

Shri Atal Behari Vajpyee : Mr. speaker, Sir, I had given the notice yesterday, since it was given after 10 A. M., I was told that it would be taken up today. Sir, I seek your permission. It is a matter of urgent public importance. I wonder why the copy of the letter has not been given to you by your secretariat.

श्री वसन्त साठे : आप इस संबंध में संसद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम पुस्तक का पृष्ठ 257 देखे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि विशेषाधिकार का प्रश्न अध्यक्ष की राय प्राप्त करने के उपरांत हो उठाया जा सकता है।

Shri Atal Behari Vajpayee : Who is going to decide it ?

अध्यक्ष महोदय : हम विशेषाधिकार के प्रश्न को अब कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे समक्ष और प्रश्न है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला सदन के विचाराधीन है और इस बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई है। उस जानकारी के द्वारा सारे लामले पर प्रकाश पडता है और यह जानकारी सदन के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अतः इस बारे में हम आपका निर्णय चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब विशेषाधिकार के प्रश्न का मामला उठाया जाता है तो अध्यक्ष अपने राय दने से पहले इस बात की जांच करता है कि मामला नियमानुसार है अथवा नहीं और यदि इस बारे में उसे कुछ संशय हो तो उसें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने का अधिकार है। इस बात से श्रो साठे आप सहमत होंगे।

हमारे पास पहले जो मामले पड़े है उन्हे निपटाने के बाद ही हम इस पर ध्यान देंगे। मेरा श्री बाजपेयी से अनुरोध है कि इस पर बलान दे।

Shri Atal Behari Vajpayee : I am not giving any such intormation of which you are not aware. Shri Tul Mohan Ram's servant has sent a letter to you in the morning. He has sent a copy of it to me also. If you have not received the latter, it is none of my fault. Your secretariat is responsible for it. Kindly allow me to read it out.

श्री वसन्त साठे : वह किस नियम के अंतर्गत पत्र पढ़ना चाहते हैं?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवकपुजा) : सदन में एक गंभीर स्थिति बनती जा रही है। नियमों को समाप्त किया जा रहा है। इस बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। हमें उस प्रक्रिया के अनुसार चलना है; उस प्रक्रिया का हनन सदस्यों के अधिकारियों का हनन है। इससे पहले कि यह प्रक्रिया पूर्वोदारहण बन जाएं, म यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को नोटिस देकर इस प्रकार के मामले को उठाना, उस पर अपनी राय देना बिल्कुल गलत है। इसमें एक पक्ष अपनी बात कहता रहता है और दूसरा पक्ष बिल्कुल चुप रहता है। नियमों में यह कहीं नहीं लिखा कि जिस सदस्य ने नोटिस दिया है वह अध्यक्ष की उस पर अनुमति लिए बिना अपना वक्तव्य दें सकता है और सदन में यह बात हो रही है। इसके बड़े भयंकर परिणाम निकलेंगें अतः नियम 193 के अन्तर्गत अन्य किसी आधार पर इस पर चर्चा करना संभव नहीं। नियम इसके लिए अनुमति नहीं देते। हमने पहले ही दो सप्ताह का समय इस पर व्यर्थ गवां दिया। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकना होगा।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. speaker, sir, you will agree that all these matters are connected with the licence scandal. Now, if a new serious development has taken place in this connection, it has to be brought and raised in the House that is why I am submitting that I have got a copy of the letter with me. Iu this letter, the servant Shri Bhuvneshwar Ram has complained that the C.B.I. has disclosed the statement which he had made before it to Shri Tul Mohan Ram and the result is that Shri Tul Mohan Ram has dismissed the servant and has also with held his salary. I want to know whether C.B.I. and Shri Tul Mohan Ram are working hand in glove with each other ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : अध्यक्ष महोदय मरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री बाजपेयी जी ने श्री तुलमोहन राय के नौकर द्वारा आप को लिख गए पत्र में से एक पंक्ति पढ़ी है। इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाया गया है। मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय आप इस पत्र को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को भेज दें ताकि पता लग सके कि सच्चाई क्या है। यदि तुलमोहन राम को केन्द्रीय जाँच ब्यूरों के दस्तावेज दिखाया है तो इसका मतलब यह है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की सारी रिपोर्ट ही एक औपचारिकता मात्र है। अध्यक्ष महोदय, इस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाए। हमारे पत्र पर चर्चा करने का एक बार मौका दिया जाए।

श्री के० रघुरामैया : हम दस्तावेजी के सभा-पटल पर रखे जाने पर आपत्ति करते हैं और हमें आपत्ति करने का अधिकार भी है। पहले हमें यह जांच करने दी जाए कि दस्तावेज असली भी है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कल विशेषाधिकार के प्रस्ताव का नोटिस दिया था। आज इस दस्तावेज को बातचीत में अचानक आ गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि आग को कार्यवाही कैसे करें।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। जब से यह सत्र आरम्भ हुआ है आप जब भी कोई निर्णय देते हैं तो विरोधी पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ उठ खड़े होते हैं। सदन के कार्य संचालन के लिए नियम तथा प्रक्रियाएं बनी हुई हैं। मैं देखती हूं कि जब श्री बाजपेयी कुछ कहने को खड़े होते हैं तो श्री श्यामनन्दन मिश्र भी उनके साथ उठ खड़े होते हैं। क्या श्री बाजपेयी अपनी बात कहने में स्वयं समर्थ नहीं ? यदि वह लोग इस प्रकार इकट्ठे खड़े हो सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। पर इसका कोई लाभ नहीं।

अध्यक्ष पीठ के प्रति इनके द्वारा किए जाने वाले इस व्यवहार पर मैं आपत्ति करती हूँ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वास्तव में यह कांग्रेस दल के लोग अध्यक्षपीठ के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि स्थिति इतनी दयनीय नहीं है जितनी कि वह समझ रही हैं।

दूसरे कुछ विशेषाधिकार के मामलों में समय का बहुत महत्व होता है।

तीसरे मैं इस बात से सहमत नहीं कि किसी सदस्य के नौकर द्वारा भेजा गया पत्र इस सदन के समक्ष पेश किया जाए और उससे विशेषाधिकार का प्रश्न उठे। अन्ततोगत्वा श्री तुलमोहन राम के नौकर को अधिकारिता ही क्या है। पहले श्री तुलमोहन राम ने हमारा 20 दिन का समय ले लिया है अब उनके नौकर को बारी आई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : श्री जयप्रकाश नारायण की कार पर हमले का मामला जिसमें "स्टेटसमन" का एक फोटोग्राफर भी जख्मी हुआ है। सदन की कार्यवाही को स्थगित कर यहां शीघ्र उठाया जाए ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, what have you decided about my matter ? Allow me to place this letter on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं पत्र पढ़ें बिना कुछ निर्णय नहीं दे सकता और जहां तक स्थगन प्रस्ताव का संबंध है मैं इसे उचित नहीं समझता। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के० लकप्पा (तमकुर) : क्या हम इस सभा के सदस्य नहीं है ? आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। हर समय यही लोग अपना एकाधिकार जमाए रहते हैं। मैंने श्री जोतर्मय बसु के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना की है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक पहले प्रस्ताव को न निबटा लिया जाय, मैं दूसरे को नंही लूंगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : ADJOURNMENT MOTION

श्री मधु दण्डवते (राजापूर) : यह केवल जयप्रकाश नारायण का ही प्रश्न नहीं है संसद सदस्य भी जयप्रकाश नारायण के साथ कुरुक्षेत्र जा रहे थे और उन पर भी हमला किया गया। उस हमलें को रोकने में वहां सरकार असफल रही है। संसद् सदस्यों को लें जाने वाली मोटर गाड़ियां पर हमले को रोकने में सरकार का असफल होना विशेषाधिकार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको अनुमति नहीं देता। आप कृपया सब बैठ जाइए। कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य का विषय है। आप इस विषय पर हरियाणा विधान सभा में बात कर सकते हो।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुछेद 19 का उल्लंघन किया गया है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को बिना शास्त्र के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। हम यहां संविधान की सुरक्षा के लिए हैं। यदि मूलभत अधिकार देश में नहीं रहे तो भारतोय संसद् भी विद्यमान नहीं रह सकतो।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय आप इस विषय को उठाने की अनुमति कैसे दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : एक दूसरे पर चिल्लाने से हम मूलभूत अधिकारों का मामला हल नहीं कर सकते। सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं पर स्थगत प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till half past two of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर तीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at half-Past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
Mr. Deputy-Sepaker *in the Chair.*]

श्री मधु लिमये (बांका) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा का ध्यान नियम 376(2) को ओर दिलाना चाहता हूं। इसके अंतर्गत यदि माननोय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो मुझे उन्हें सुनना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरोका यह है कि मैं उनको सुनु और इसे वाद-विवाद का विषय बनाने के बजाय शोघ्र हो निपटा दूं, आप संक्षेप में केवल व्यवस्था के प्रश्न को हो बात उठाइये।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था का प्रश्न पहिल वाले विषय से संबंधित होना चाहिए जो पूरा हो गया है अथवा ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंनें आपको नियम 376(2) पढ़कर सुना लिया है। यदि मैं उन्हें नहीं सुनाता हूं तो निश्चय हो सभा में गडबड़ो उत्पन्न होगो।

श्री मधु लिमये : मैंने आज सवेरे 10 बजे आपको जो नोटिस दिया है मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा जब मैं कुरुक्षेत्र में विद्यार्थियों पर हुई लाठो चार्ज को घटना को जांच करने वहां जा रहा था तो करनाल के निकट हमरो गाड़ियों को रोका गया तथा उस पर, लाठो बरसाई गई पुलिस खड़ो देखतो रहो और उसने कुछ नहीं किया इस प्रकार मुझे मेरे संसदोय कार्यों को करने से रोका गया।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : क्या संसदोय विशेषाधिकार का तात्पर्य लोकतंत्रोय व्यवस्था को समाप्त करना है? क्या आप इन बातों को कार्यवाहो वृतांत में शामिल होने देंगे?

Shri Madhu Limaye : Any how, after much confusion, the motor caode passed Shri Jayaprakash Narayan was composed...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अन्य बातों को न लाइये ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : आपने अपना विनिर्णय ठीक ही दिया है कि कोई भी बात जिसका सभा की कार्यसूची पर प्रभाव पड़ता है व्यवस्था का प्रश्न है इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी गई थी परन्तु अब वे आरोप लगा रहे हैं । व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । यदि उनको उनके कर्त्तव्य के निर्वाह करने से रोका गया है तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन सकता है । इसलिए मेरा कहना है कि यह सभा की क्रम सूची से बिलकुल भी संबंध नहीं रखता है, उनको संसद सदस्य के नाते आपने कर्तव्य पालन से रोका गया है इसलिए वे विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते ह न कि व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा है कि व्यवस्था का प्रश्न सभा को व्यवस्था बनाएं रखने तथा सभा के कार्य से संबंधित होना चाहिए । परन्तु यहां जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो सभा का कार्य कैसे चलेगा, हमें गैर सरकारी कार्य का समय बरबाद नहीं करना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : When a Member of the House goes to Kurushetra University with a great leader to see whether the U. G. C's outlay is utilised or not there and he is obstructed on the way, then does it not mean that he is being interfered from performing his duties ? The Haryana Police and Government of that State had conspired to stop me from doing my duties. Shri Jayaprakash Narayan had sustained injuries in the scuffle. My main point is to know whther it was proper to harass the Member of Parliament and intimidate him through violent demonstration. My privileges have been violated. I want your guidance.

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में दो तरीके हैं । पहला तरीका यह है कि सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर बोलें और अध्यक्ष उन पर विचार करके अपनी राय देगा, दूसरा तरीका यह है कि उठाये गए व्यवस्था के प्रश्न पर बहस हो और फिर अध्यक्ष उसका निपटान करे । यह आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का अनुकरण करना चाहते हैं, जहां तक मेरा संबंध है, मैं प्रत्येक सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहूंगा और उसके बाद प्रत्येक पर अपना निर्णय दूंगा, परन्तु यदि सदस्य उस पर विवाद करना चाहते है तो वे ऐसा कर सकते हैं, नियम 389 में कहा गया है कि जो नियमों में नहीं दिया गया है, उसका निपटान अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, यदि आप इस पर बहस चाहते ह तो ठीक है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह उनके व्यवस्था के प्रश्न से संबंधित है तो मैं उनको सुनूंगा । मुश्किल यह है कि पीठासीन अधिकारी के कुछ कहते पर सब एक साथ बोलने लगते हैं और कुछ समझ में नहीं पड़ता है । यदि इस तरह के और दूसरी तरफ के सदस्य बोलना चाहते हैं तो मैं एक एक सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा, श्री स्टीफन ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या व्यवस्था के प्रश्न को आड़ में इस तरह के मामले उठाये जा सकते हैं । कौल और शकधर की पुस्तक में लिखा है कि कार्यसूची में किसी विषय का निपटान हो जाने के पश्चात् व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, फिर भी अध्यक्ष इस शर्त पर इसे कार्यवाही के एक विषय की समाप्ति और दूसरे विषय के आरम्भ के बीच में उठाने की अनुमति दे सकता है जबकि यह सभा के समक्ष कार्यवाही के क्रमवार सूची की

बनाए रखने से संबंधित हो, इसलिए मेरा कहना है कि यह व्यवस्था का प्रश्न सभा के समक्ष कार्यवाहीं से संबंधित नहीं हो सकता है, यह न नियमों से और न संविधान से संबंधित है, जब तब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है तब तक सभा को कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार चलती रहनी चाहिए।

इस सभा के माननीय सदस्यों का यह कहने का अधिकार है कि हमें सभा के समक्ष कार्य-सूची के अनुसार कार्य चलाना चाहिए यह मामला जो इस समय उठाया गया है वह इस कार्यसूची से संबंधित नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यहाँ अध्यक्ष की अनुमति के बिना विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है, केवल नियम 193 से अन्तर्गत वाद-विवाद उठाया जा सकता है। यदि यह वाद-विवाद है तो किसी प्रस्ताव पर होना चाहिए। व्यवस्था का प्रश्न केवल उस विषय के बारे में उठाया जा सकता है जिस पर चर्चा हो गई है। मेरा अनुरोध है कि प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति न दी जाये। इससे सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है, हम यहां व्यवस्था के प्रश्न के आड़ में अपनी शिकायत प्रस्तुत करने के लिए नहीं आए हैं। नियमों के अन्तर्गत इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है,

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I had given notice for an Adjournment motion.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय केवल व्यवस्था के लक्ष उठाये जायेंगे।

Shri Bhogendra Jha : Please listen to me. When we were travelling by train a mob shouting slogan in favour of Shri Jai Prakas Narayan entered our compartment and snatched away watches etc. and misbehaved with ladies. Many people sustained injuries. We will not allow this to be repeated. Coup of Chile cannot be allowed here with American money. This sort of hooliganism will not be allowed. My submission is that, my Adjounment motion, may be admitted. It has become risky for us to move about in our constituency by accepting our motion we may be allowed to speak on our comptaints.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभा के सदस्य होने के नाते मेरा यह कहना है कि सभा को नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए अन्यथा यह मेरे अधिकारों का हनन होगा। श्री मधु लिमये का यह कहना बड़ा अजीब है कि चूंकि उनके अधिकार का हनन हुआ है इसलिए सभा को कार्यवाही प्रभावित हुई है। उनका कहना है कि कार पर लाठियां बरसाई गई परन्तु कारों पर खरोंच भी नहीं आई है। श्री लिमये ने संसद का घेराव करने की जो धमकी दी है वह इस प्रकार यहां अव्यवस्था फैलाने के दोषी है। बिहार के विधायकों को सड़कों पर घूमने का अधिकार है परन्तु वहां हिंसात्मक कार्यवाहियां करके उन्हें भयभित किया जा रहा है जबकि आपकी राय को तो कुछ ही लोगों ने घेरा अथवा काले झंडे दिखाए गए, आपने बिहार में जो कुछ किया उसकी फसल आपको काटनी पड़ेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is the practice in the House to raise issueisn during Zero hour. Now the other side is objecting to it. We have not raised a new thing. It was continuing already. We had given notice of an adjournment motion. It was mentioned it in that democracy in this country is at stake. We cited two examples to substantiate it. First the murderous attempt on Shri Jay Prakash Narayan and secondly, the remarks of some Chief Ministers at Narora that All India Radio should follow Moscow Radio or Pakistan Radio so that the opposition may not be allowed to use it. Will the fundamental rights of the people will be safeguarded or not ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे है?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Because the old matter had not finished. The lunch time does not prevent us from raising this issue. Shri Piloo Moddy has written to the Prime Minister for the safety of Shri Jayprakash Narayan when he was going to Haryana. Burinspite of this be was attacked. It is the right of the people to knock at the doors of Parliament for bringing reforms in the Country.

Shri Shivnath Singh (Jhun Junu) : The issue raised by Shri Madhu Limaye is not a point of order. This is only an effort to create obstruction in the order of the House. Taking into consideration the age of Shri Jayprakash Narayan, people have respected him everywhere. The people of Haryana did not like his activities and showed their anger by showing black flags. This you could not tolerate. It is imperative that Shri Jayprakash Narayan should be countered with the same terms that he is using. Therefore it is my submission that Shri Madhu Limaye should not be allowed to raise any point of order or Privilege Motion.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : In the last session I had referred to a letter in which it was mentioned that the life of Shri Jayprakash Narayan was in danger in Haiyana. I accompanied him to Haryana to see what would happen to his life. On the way I saw that the policemen in plain clothes were attacking the motorcade with lathis. The opposition parties can show black flags to express their resentment but the same act by the ruling party constitutes dictatorship. If Shri Jay Prakash Narayan is attacked like this, how can the rules be observed here? We warn the ruling party that we will also show black flags to the Prime Minister wherever she goes.

श्री के० रघुरामैया : अब हमें सभा की कार्यवाही पर आना चाहिये । हम इस प्रकार कहां जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुरामैया ने पूछा है कि हम कहां जा रहे हैं, मेरा उत्तर है कि जो सदस्य करना चाहते हैं, मैं उसी का अनुसरण करुंगा, यदि आप सब चाहते हैं कि हम सभा की कार्यवाही करें तो यह बात यहीं खतम कर देनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए व्यवस्था के प्रश्नों को निपटाना चाहूंगा। श्री स्टीफन ने कौल और शकधर की पुस्तक में से उद्धरण दिया है, मैं उनको यह बता दूं कि नियम पुस्तक के अन्तिम नियम में यह दिया हुआ है कि जो बात इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती है उसका नियमन अध्यक्ष द्वारा होना चाहिए, मैंने पहिले भी बताया है कि ये नियम समय के साथ अपर्याप्त हो गए हैं।

मेरे विचार से श्री मधु लिमये और श्री झा ने एक ही विषय पर व्यवस्था के प्रश्न उठाये हैं (**व्यवधान**) मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी संसद सदस्य को सदन से बाहर किसी भी स्थान पर रोका जा सकता है। श्री मधु लिमये ने कहा है कि उन्हें कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच करने से रोका गया। उनके अनुसार संसद–सदस्यों का यह उत्तरदायित्व है कि वे विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच करें क्योंकि सभा विश्वविद्यालय को बहुत अधिक धनराशि मंजूर करती है।

श्री भोगेन्द्र झा ने भी अन्य प्रकार से यही कहा है कि उन्हें रोका गया। वह रेलगाड़ी से आ रहे थे तथा उनका कहना है उन्हें कुछ व्यक्तियों ने लाठियां दिखाकर रोक लिया। मेरे विचार से इस बारे में कुछ पूर्व उदाहरण हैं। यह परम्परा रही है कि यदि कोई माननीय सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिये आ रहे हों और उन्हें मार्ग में रोका जाये तो यह विशेषाधिकार भंग किये जाने का मामला है। वास्तव में संसद सदस्यों और राजनितिक नेताओं के रूप में हमारे ऊपर अन्य बहुत से दायित्व हैं जिनका निर्वाह करने के लिये हमें विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता है तथा उस कार्य में हमारे समक्ष कठिनाइयां भी उपस्थित होती हैं। अत: यह एक नया प्रश्न है कि क्या दायित्वों का निर्वाह करने से रोके जाने को विशेषाधिकार का प्रश्न कहा जा सकता है या नहीं। इस कार्य के लिये नियम समिति विद्यमान है तथा मेरे विचार से इस स्थिति में इस को विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What happened to the matter regarding attack on Shri Jay Prakash Narayan?

उपाध्यक्ष महोदय मुझे इस मामले का भी पता है किन्तु मैंने समझा था कि उस पर चर्चा हो चुकी है। यह प्रश्न सुबह उठाया गया था और अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि इस मामलों पर चर्चा को जा सकती है किन्तु स्थगत प्रस्ताव के रूप में नहीं। सभा की कार्यवाही के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हरियाणा सरकार ने नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारियों पर कुठाराघात किया है तथा यह मामला राज्य सरकार का मामला नहीं है। यह सभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाये या नहीं। सभा की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए मैं अब उस मामले को दोबारा नहीं उठा सकता। **(व्यवधान)**

श्री मधु लिमये : हम इसके विरोध में सभा भवन से बाहर जाते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In protest against the incident which has taken place in Haryana and ruling given on it we walk out.

इसके पश्चात् कुछ सदस्य सभा से उठ कर बाहर चले गये।

Some Members then left the House

श्री समर गुह : महोदय! मैं आप का ध्यान **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरे पास श्री जयप्रकाश नारायण पर किये गये हमले पर के कुछ फोटोग्राफ हैं। मैं उन्हें सभा-पटल पर रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें मुझे दे दीजिये।

श्री समर गुह : मैंने नियम 388 के अन्तर्गत एक सूचना दी है जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि सभा जे० पी० पर किये गये हमले की निर्भत्सना करती है तथा सरकार से मांग करती है कि वह उनके जीवन की रक्षा के लिये सभी प्रकार के उपाय करे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उस प्रस्ताव पर चर्चा किये जाने की अनुमति दे रहे हैं जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में तुरंत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सभा की दैनिक कार्यवाही का विरोध सभा के नेता के परामर्श के अध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत किया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर चर्चा किये जाने पर सहमति व्यक्त की है तथा वह कल या परसों नियमानुसार की जा सकती है।

श्री समर गुह : महोदय, मैंने नियमों को विलम्बित करने का अनुरोध इस लिये किया था कि श्री प्रकाश नारायण के साथ ऐसी घटना दिल्ली या पटना आदि स्थानों पर भी हो सकती है। वास्तव में यह मामला इतना गम्भीर तथा अविलम्बनीय है कि सरकार को इस बारे में तुरंत ध्यान देना चाहिये। यदि श्री जयप्रकाश नारायण के जीवन को कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो सारे देश में गृह युद्ध छिड़ जायगा। चूंकि आप इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा करने कि अनुमति नहीं दे रहे हैं, मैं इसके विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहा हूं।

इसके पश्चात श्री समर गुह सभा से उठ कर बाहर चले गये

Shri Samar Guha then left the House

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी किन्तु उन्होंने इस पर चर्चा किये जाने की अनुमति दी है। मेरा अनुरोध है कि इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर यथाशीघ्र चर्चा कराई जानी चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यापार पोत (नष्टी और उद्धारण) नियम, 1974

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत व्यापार पोत (नष्टी और उद्धरण) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1218 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8594/74]**

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा–पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिय संख्या एल०टी० 8595/74]**

लौह अयस्क, खान, श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत अधिसूचना, लोह अयस्क, खान, श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम 1974, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1974 और शिक्षु (संशोधन) नियम, 1974

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1970 की धारा 1 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1006 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8596/74]**

लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1007 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 8597/74]**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) दूसरा संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1122 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8598/74]**

शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1224 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8599 74]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है।

(एक) कि राज्य सभा 26 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गयी है कि वह संविधान (32 वां संशोधन) विधेयक 1973 संबंधी संयुक्त समिति में सर्वश्री रामनिवास मिर्धा और उमाशंकर दीक्षित के त्यागपत्रों के कारण रिक्त हुए स्थानो पर राज्य सभा के दो सदस्य नियुक्त करें और राज्य सभा ने यह सूचना भी दी है कि सर्वश्री के० ब्रम्हानन्द रेड्डी और ओम मेहता को उक्त संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थानों पर नियुक्त किया गया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 25 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में तारयंत्र संबंधी तार (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(तीन) कि राज्य सभा ने 25 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में निरसन और संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

विधेयक राज्य सभा द्वारा, पारित रूप में
BILLS, AS PASSED BY RAJYA SABHA

महा सचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ;

(1) तारयंत्र संबंधी तार (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 1974

(2) निरसन और संशोधन विधेयक, 1974

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं सोमवार, 2 दिसम्बर, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(1) आज की कार्य सूची से शेष रहे सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार किया जाना,

(2) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश) 1974 के निरनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार करना तथा उसे पास करना,

(3) वर्ष 1974-75 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान,

(4) विचार तथा पास करना :—

(i) छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में,

(ii) संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 1973,

(iii) पूर्वी पंजाब नगरीय किराया नियंत्रण अधिनियम (चण्डीगढ़ पर विस्तार) विधेयक 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में,

(iv) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में,

(v) निरसन और संशोधन विधेयक, 1974 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

श्री मान सिंह भौरा (भटिंडा) : मेरा मंत्रि महोदय से अनुरोध है कि इस सूची में भारतीय रुई निगम के माध्यम से रुई की खरीद में सरकार की विफलता तथा पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के न्याय संगत मांगों को स्वीकार करने में सरकार की विफलता पर चर्चा को सम्मिलित की जाये। किसानों ने इस संबंध में प्रदर्शन किया था और उन पर लाठी चलाई गई थी। चण्डीगढ़ तथा उसके आस पास के इलाको में विद्यार्थी भी हड़ताल कर रहे हैं तथा बहुत से विद्यार्थियों को जेल भेजा गया है।

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायण (तिडिवनम) : तमिलनाडु सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित किया है किन्तु साउथ इण्डिया स्टील एण्ड शुगर्स लि० ने उक्त मूल्य देने से इनकार कर दिया है तथा कहा है कि राज्य सरकार को इसका कोई अधिकार नहीं है। गन्ना उत्पादकों ने कारखानो को गन्ना सप्लाई न करने का निर्णय किया है तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिये कहा जाये।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : महोदय बिहार सरकार को इस बात के लिये राजी किया जाये कि छोटा नागपुर डिवीजन के किसानो से धान की वसूली लागू न की जाए। इस क्षेत्र में सूखा के कारण लगभग 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है तथा किसानो के पास अपने परिवारों के लिये भी पर्याप्त खाद्यान्न नहीं है। इस डिवीजन में लगभग 100 व्यक्ति भूख से मर चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में तुरंत कार्यवाही करे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आज के टाइम्स आफ इंडिया में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। श्री चव्हाण ने, जब वित्त मंत्री थे, यह आश्वासन दिया था कि मूल्यों को नीचे लाने के लिये मुद्रास्फिति को रोकने वाले उपाय किये जा रहे हैं।

दिनांक 7 नवम्बर से 22 नवम्बर की 15 दिन की अवधि में चना का भाव 2.60 रुपया से बढ़कर 2.90 रुपया, ज्वार का भाव 1.60 रुपया से 2.00 रुपया, चावल का (बासमती) का भाव 3.30 रुपया से 4.40 रुपया और चीनी का भाव 5.00 रुपया से बढ़कर 5.50 रुपया हो गया है। किन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चौथी किस्त नहीं दी जा रही है। केन्द्रीय सरकार के 28 लाख कर्मचारी इस बात से असंतुष्ट हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि उनको वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाये। मेरा यह भी अनुरोध है कि वित्त मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने को कहा जाये।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया के विमान चालकों ने बिना शर्त हड़ताल समाप्त कर दी है। अतः सभी विमानचालकों को पुनः काम पर वापस लिया जाये।

Shri Ramavatar Shashtri (Patna) : Sir, according to the news-item published in daily 'Janyug' of yesterday two *gundas* hiredc by a local moneylender killed two workers of the Communist Party brutally in Ranchi district. The *Gundas* of this area are fighting under the Leadrship of Communist Party against the money-lender who had illegally acquired the land of Mundas. (*Interruptions*) I request that the Minister of Home Affairs should be asked to make a statement on this serious matter.

प्रो० मधु दण्डावते (राजापुर) : गाजियाबाद में हुई उस घटना का मैं उल्लेख कर चुका हूं जिसमें डा० आम्बेडकर की प्रतिमा का रूप बिगड़ गया था। इस घटना के कारण विशेषकर अनुसूचित जाति और बौद्धों में बहुत असंतोष है। इसके साथ-साथ कपास उत्पादकों की समस्याओं पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिये। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों ने कुछ ही दिन पूर्व एक प्रदर्शन किया था क्योंकि रुई निगम लाभ प्रद मूल्य पर रुई नहीं खरीद रहा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, the hon. Minister of Parliamenta ry Affairs should be asked to include in the business of the House for the ensuring week my motion which was agreed to be discussed in the House by the Business Advisory Committe e regarding the action being taken against the employees of the office of Comptroller and Auditor General for going on token strike for one day in the sympathy of Railway Employees.

श्री नुरुलहुज : सभा को यह ज्ञात है कि सरकार ने धान का वसूली मूल्य 75 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। कचार जिले में धान का मूल्य निर्धारित मूल्य से बहुत कम हो गया है तथा वहां उस का खरीदार नहीं है। किसान वहा सरकार को धान बेचने के लिये तैयार हैं। मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में इस मामले को सम्मिलित किये जाये जिससे इस पर सभा में चर्चा हो सके। तथा खाद्यान्न जमाखोरों के पास न जा सके और किसानों को उचित दाम मिल सकें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह घटे वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा के लिये अवश्य समय निर्धारित किया जाये क्यों कि कुछ राज्यों को सूखा के कारण बहुत क्षति हुई है। गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों के लिये जहां बहुधा प्राकृतिक प्रकोप रहता है, राहत कार्यों के लिये व्यय के बारे में भारी विरोध उत्पन्न हो गया है। अतः इस संबंध में शीघ्र चर्चा की आवश्यकता है। वर्ष 1972 और 1973 में गुजरात को अभूतपूर्व अभाव और बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा (**व्यवधान**) राज्य सरकार ने उसके लिये 96,86,00,000 रुपये खर्च किये। भारत सरकार ने 93,87,00,000 रुपये देने का वायदा किया था किन्तु उसने केवल 82,75,00,000 रुपये ही दिये। वर्ष 1974 में राज्य सरकार ने 123 करोड रुपये खर्च किये हैं किन्तू केन्द्रीय सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपये दिये हैं। यह धनराशी बहुत कम है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि उर्वरक निगम का 75 लाख रुपये का उर्वरक नष्ट हो गया है क्योंकि भावनगर डाकयार्ड में आग लग गई थीं। कृपया मंत्री महोदय उस बारे में वक्तव्य दें।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : The hon. Minister should be asked to make a statement on the proposed erection of a statue of Mahatma Gandhi at India Gate in Delhi. I think the Government have dropped the idea of erecting the said statue there.

Secondly, Government have unreasonably fixed the price of sugarcane at the rate of 8 rupees per quintal and the price of paddy at the rate of Rs. 6 per quintal while the fertilizer is sold to the farmers at the rate of Rs. 206 per quintal. Now, in Uttar Pradesh the exemption of the payment of land revenue for 10 Beeghas of land has been withdrawn. The rate of electricity has also been increased. I demand that some time should be fixed for the discussion of these matters. I would also like a statement from the hon. Minister on the reports coming from the various parts of the country regarding the starvation deaths.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : महोदय ! हमने पटसन के मूल्यों में भारी कमी तथा पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया यद्यपि दूसरे सदन में इस बारे में लगातार दो दिन तक चर्चा चली। इस उद्योग

में करोड़ों रुपये की लूट पाट की जा रही है (**व्यवधान**) संसदीय कार्य मंत्री कृपया इस मामले पर चर्चा के लिये अवश्य समय निर्धारित करें।

दूसरे आप ने यह आश्वासन दिया था कि वेतन समिति की रिपोर्ट पर विपक्षी दल के सदस्यों के साथ विचार–विमर्श किया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि उक्त रिपोर्ट को सदस्यों से परामर्शये किये बिना प्रकाशित नहीं किया जाये अन्यथा सभा में इस पर हल्ला–गुल्ला होगा।

महंगाई भत्ते की चार किस्तें देय हो गई है। सरकार को यह स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये कि वह महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी या भविष्य में महंगाई भत्ता नहीं देगी। उस स्थिति में कर्मचारी शान्त होकर नहीं बैठेंगे।

श्री के० रघुरामैया : माननीय सदस्यों ने बहुत उपयोगी अमूल्य और महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। सभी महत्वपूर्ण सुझावों को संबद्ध मन्त्रियो के पास भेज दिया जायेगा और सभी सदस्यों की सन्तुष्टि के लिए कार्यवाही की जायगी, जैसा कि सामान्यतः किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की चार किस्तों के भुगतान का प्रश्न मैं लगभग रोजाना ही उठा रहा हूँ। 28 लाख कर्मचारियो को सरकार धोखा देने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्रिकों इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : अन्यथा इस प्रश्न पर हमें स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ेगा, क्योंकि अन्य कोई चारा ही नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : वेतन आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया है और उसे क्रियान्वित करने के लिए वह बाध्य है। मंत्री महोदय को कम से कम यह तो कहना चाहिये कि वह वित्त मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहेंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैं वित्त मंत्री तक निश्चित रूप से आपकी बात पहुंचा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बनर्जी जी कृपया सहयोग करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रति सरकार के उदासीन दृष्टिकोण के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए हम सदन त्याग करते हैं। (**व्यवधान**)

तत्पश्चात् कुछ सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये
Some members then left the house

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सेंतालीसवां प्रतिवेदन

Shri Maharaj Singh (Mainpuri) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move :

"That this House do agree with the Forty-seventh Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 20th November 1974, subject to the modification thtat para (ii) may be omitted therefrom."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन से, जो 20 नवम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रुप भेद के साथ कि उससे पैरा 7 (दो) का लोप किया जाये सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (Amendment) BILL

(अनुच्छेद 269 और 280 का संशोधन)

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (Amendment) BILL

अनुच्छेद 270 का संशोधन और अनुच्छेद 271 का लोप किया जाना

श्री मुरासोली मारन : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रदान की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मुरासोली मारन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (Amendment) BILL

(सातवी अनुसुची का संशोधन)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संविधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

क्रीड़ा और खेलकुद परिसंघ और संगम (प्रबन्धग्रहण) विधेयक

Sports and Games Federations and Associations (Taking over of Management Bill)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "कि क्रीडाओं और खेलकूदों के संवर्धन और उससे संबंधित मामलों तथा आनुषंगिक बातो के हित में उनके प्रबंध ग्रहण के लिए बोर्ड की स्थापना के लिए क्रीडाओं तथा खेलकूद परिसंघों और एसोसिएशनों को राष्ट्रीकी महत्व के संस्थान घोषित करने वाले विधेयक को पूरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि क्रीडाओं और खेलकूद में के संवर्धन और उससे संबंधित मामलों तथा आनुसंगिक बातों के हित में उनके प्रबंध ग्रहण के लिए बोर्ड की स्थापना के लिए और क्रीडाओं तथा खेलकूद परिसंघों और एसोसिएशनों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

पेंशन (विनियमन) विधेयक

Pensions (Regulation) Bill

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को पेंशन विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को पेंशन विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (Amendment) BILL
(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move "that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (Amendment) BILL
(नये अनुच्छेद 83 क का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार सदन को स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि संविधान (संशोधन) विधेयक पर मतदान करते समय सदन में गणपूर्ति नहीं थी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : अनेक सदस्य इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं ले सके थे। अभी इस पर और चर्चा की जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। अब सब स्थितियों से हम आगे जा चुके हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) : सरकार के एक जिम्मेदार प्रवक्ता ने यह कहा है कि देश में चुनाव सुधार के बारे में सरकार पूरी तरह विचार करने जा रही है। इसलिए इस प्रश्न पर देश और सदन को विभाजीत करने की क्या आवश्यकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : हम उस स्थिति से आगे जा चुके हैं?

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	विपक्ष में Noes
22	89

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

पंचायत राज के माध्यम से आयोजन तथा विकास विधेयक

Plannnig and Development Through Panchayat Raj Bill

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : परिवर्तन ही सभी प्रकार की प्रगति का स्रोत है। जिसमें परिवर्तन होना बन्द हो जाता है, वह निर्जिवों की श्रेणी में आता है।

[**श्री नवल किशोर सिंह** पीठासीन हुए
Shri Nawal Kishore Sinha *in the Chair*]

संपन्न, शक्तिशाली और महन्तों ने अपने द्वारा दलित लोगों के विरूद्ध एक शक्तिशाली गुट का गठन कर लिया है। दूसरे ग्रुप के लिए परिवर्तन का अर्थ नई उषा का उदय है। ये भविष्य के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए विचार करते हैं, क्योंकि वर्तमान में उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं है।

इस प्रकार हमारी संस्कृति का विकास हुआ है और इसी प्रकार इसमें परिवर्तन होता रहता है। हमारी वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था इसी प्रकार के विकासशील प्रक्रिया का परिणाम है। जनता के इस वर्गने लोकतन्त्र के पवित्र संस्थान को युगों से अपने उपर लागू किया है। प्रजातन्त्र के माध्यम से सामान्य आदमी भी मानवता की स्वाधीनता के जीवन्त लक्ष्य के निकट अपने आप को पाता है। ग्रीस, रोम और लन्दन में यही हुआ है। वाशिंगटन में भी इसी परम्परा का अनुसरण हो रहा है और आश्चर्य की बात है कि मास्कों में भी अब यही हो रहा है। चौथे दशक के अन्तिम वर्षों में पूंजीवाद की आत्मा मुक्त व्यापार व्यवस्था को उदार बनाया गया, जिसकी लोकतन्त्र पर क्रान्तिकारी प्रभाव से तुलना की जा सकती है। यह भी एक रोचक बात है कि पूंजीवाद और साम्यवाद का एक दूसरे की ओर झुकाव हो रहा है। मेरे विचार में यह सौभाग्य की ही बात है कि स्वाधीनता के वातावरण से दोनों पक्षों की ओर सैन्य गठन हुआ है, परन्तु ऐतिहासिक रूप से दोनों पक्ष कभी बराबर नहीं रहे हैं।

पूंजीवाद और साम्यवाद समन्वित होकर एक नई विश्व-व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक समाज में अधिक से अधिक लोगों का सर्वाधिक कल्याण करने की शताब्दियों पुरानी विचारधारा अपने समग्र अर्थ को खो बैठी है। आज के विश्व में सभी का अधिकतम कल्याण की भावना ही अर्थपूर्ण हो सकती है। इस विधेयक का उद्देश इस सदन की सामुहिक बुद्धिमत्ता का इस बात के लिए आमंत्रण करना है कि हम इस बात की जांच करें कि अपनी लोक तांत्रिक प्रक्रियांओ को किस प्रकार आधुनिकतम रूप दे सकते हैं। ब्रिटेन से जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की थी, वह सचिवालयों के गलियारों में खो गई लगती है और देश हमारे ग्रामों में सो रहा है। आम राय के आधार पर पंचायती राज संस्थानों को अर्थपूर्ण अधिकार प्रदान करके राजनीति-व्यवस्था की त्रुटि को दूर किया जा सकता है। आधारभूत संस्थानों को वास्तविक अधिकार प्रदान करके सत्ता के दलालों को हटाया जा सकता है। पंचायती राज संस्थानों द्वारा अधिकार के उपयोग से सर्वाधिक कल्याण की नई विचारधारा को अपनाने से नहीं रोका जा सकता।

मैं इस सदन से और इस सदन के माध्यम से समग्र देश से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव पर सुविचारित निर्णय करें। पंचशील की नीति और शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट की तरह हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें हैं, जिसके अन्तर्गत अधिकाधिक व्यक्तियों के अधिकाधिक कल्याण की विचारधारा को सभी को अधिकतम कल्याण की विचारधारा से बदला जाय।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं, क्योंकि इस विधेयक के ही आधार पर गान्धीजी ने बल दिया था। इस विधेयक का ड्राफ्ट बनाने में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।

1942 में "भारत छोड़ो" आन्दोलन शुरू करने से पहले गान्धीजी ने कहा था कि अधिकार जनता के पास होता है और सत्ता प्राप्त होने पर वह सत्ता जनता को सौंप दी जायगी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस समय सत्ता का केन्द्र नई दिल्ली या कलकत्ता या बम्बई में है और उसे भारत के सात लाख गांवों में विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। 1942 के आन्दोलन के बाद मृत्युपर्यन्त 30 जनवरी, 1948 तक उन्होंने अपना सारा समय लोकतन्त्र के दृढ़ आधार का निर्माण करने के लिए लगाया। गान्धीजी का यह विचार था कि पंचायतों को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए कानून निर्माण संस्था का रूप दिया जाय।

बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, जो केवल गांधीजी का नाम लेते हैं, उनके सिद्धान्तों को भूल बैठे हैं। गांधीजी को भूलने के कारण ही देश आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है।

यह विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पंचायत राज को सामाजिक आयोजन और विकास का माध्यम बनाना चाहता है। योजनाओं प्रभावी बनाने के लिए उसे प्रभावी होना चाहिए। इस विधेयक में जिला विकास परिषदों के गठन की व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार भी जिला आयोजन निकायों के बारे में विचार कर रही है, ताकि पंचायत, ब्लाक और जिला स्तर पर योजना का निर्माण किया जा सके।

यह कहा गया है कि पंचायत को जनता के लोकतन्त्र और प्रभुसत्ता का दृढ़ आधार प्रस्तुत करना चाहिये। ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के लिए कृषि, कुक्कुट विकास और सभी प्रकार की ग्राम्य-गतिविधियों में सहकारिता को आधार बनाया जाना चाहिए।

पंचायतों के आर्थिक आधार के बारे में गांधीजी ने कहा था कि स्वदेशी की भावना को प्रमुखता दी जानी चाहिए। ग्रामों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्म निर्भर बनाया जाय। यही नहीं, बल्कि उन्हें शहर की आवश्यकताओं के लिए भी कुछ प्रतिशत उत्पादन करना चाहिए।

दस सूत्रीय, बारह सूत्रीय, तेरह, सूत्रीय या पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम बनाने से देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इन कार्यक्रमों के साथ साथ आत्म निर्भर ग्राम्य-समुदाय का भी निर्माण किया जाना चाहिए। वर्ष 1974-75 में कुल औद्योगिक उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। वर्ष 1975-76 में 0.2 प्रतिशत कमी होने की आशंका है।

इसलिए पंचायत को मूलभूत आयोजन की इकाई बनाया जाना चाहिए। अपने संसाधन स्वंय एकत्र करने की पंचायतों को छूट होनी चाहिए। आज पूंजी के लिए हम रूस और अमरीका के पीछे भागते हैं, परन्तु गान्धीजी की पुस्तकों में लिखित बातों पर ध्यान नहीं देते। पंचायतों को प्रभावी अधिकार दिये जाने चाहिए। आज अनेक जिला परिषदों और पंचायतों पर उन लोगों का कब्जा है, जो सामाजिक विकास का मार्ग अवरूद्ध करना चाहते हैं। पंचायतों को इस बारे में काफी सदृढ़ किया जाना चाहिए, जिससे जनता शोषण से बच सके।

जिस रूप में यह विधेयक है, सम्भव है सरकार इसे उस रूप में स्वीकार न करे। परन्तु श्री रण बहादुर सिंह ने यह ठीक ही कहा है कि जनता की शक्ति आधार बनाने के लिए पंचायतों को जीवन रूप दिया जाना चाहिए। आज चावल, गेहूं और खाद्य तेलों आदि की कमी हो जाती है, परन्तु पंचायतें फसलों के बारे में नीति निर्धारित कर सकती है।

सरकार को इस विधेयक को फिर से ड्राफ्ट करना चाहिए और फिर सदन में पेश करना चाहिए। गान्धीजी के आदर्शों के अनुरुप हम पंचायतों को नवजीवन दे सकते हैं।

***श्री एम० कतामुतु** (नागपट्टिनम) : हम दिन रात इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे देश में पंचायतों और पंचायत यूनियनों जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों की जड़े गहरी जम चुकी है। मुझसे पूर्ववर्ती वक्ता वर्तमान आयोजन प्रयासों के लिए आर्थिक विचार धारा को बदलने की आवश्यकता का उल्लेख कर चुके हैं। पंचायत जैसे लोकतान्त्रिक संस्थान राष्ट्रीय योजना के निर्माण में अपनी उचित भूमिका नहीं निभा रही हैं। बिजली विकास परियोजनाओं में 4700 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जा चुकी है, परन्तु अब तक देश के 5 लाख गावों में से केवल 1,22,000 गांवों में ही बिजली पहुंचाई जा सकी है।

यद्यपि 2270 करोड़ रुपया मध्यदर्जे की सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किया गया है, परन्तु इनसे केवल 15 प्रतिशत किसान ही पूरा लाभ उठा पाये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि देश का सुनियोजित विकास नहीं हुआ है। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सारी योजनायें प्रशासकों द्वारा बनाई जाती है जिन्हें निचले स्तर पर जीवन-यापन करने वाले लोगों की आवश्यकताओं का पता नहीं है। विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे पंचायत, पंचायत संघ सभा जिला विकास परिषदों के बीच प्रभावशाली तालमेल नहीं है। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रशासन करने वाले निगम विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं, अतः उच्चस्तरीय लोकतांत्रिक संस्थायें नीचे के स्तर के लोगोंको आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगा सकते। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी नौकरशाही को ही अधिक अधिकार प्राप्त हैं। अतः ये संस्थायें लोगों की इच्छाओं को कार्यरूप देने में असफल रहती हैं। अब विधियों नियमों के परिवर्तन करने का समय आ गया है जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक अधिकार दिये जा सके। जिला विकास परिषद् का अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि होना चाहिये कोई अधिकारी नहीं। सरकार विचाराधीन विधेयक से कुछ शिक्षा ले।

हमारे देश में, पंचायत, पंचायत संघ, जिला विकास परिषद्, राज्य विधान सभा तथा लोक सभा, पांचस्तरीय लोकतांत्रिक ढाँचा है। यह भी स्पष्ट है कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में आपस में कोई ताल मेल नहीं है। सिद्धान्त स्वरुप राज्य विधान सभा यह पूछ सकती है कि जिला विकास परिषद् द्वारा पारित संस्थाओं को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा रहा है। परन्तु वास्तव में इस प्रकार का कुछ नहीं किया जाता है। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिये अधिकारियों की स्वीकृति मांगी जाती है। यह बात समझ में नहीं आती है कि निर्वाचित लोकतांत्रिक संस्था के होते हुए किसी बात के क्रियान्वयन के लिये अधिकारियों की स्वीकृति क्यों आवश्यक है?

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता का कोई योगदान नहीं है। देश की जनता को यह कहने का भी अधिकार नहीं है कि कौनसी योजना उनके लिये लाभदायक होगी और किस की उन्हें तुरन्त आवश्यकता है। इससे यही पता चलता है कि विभिन्न विभागों में तालमेल नहीं है।

इन संस्थाओं को आवश्यक वैधानिक और कार्यकारी शक्तियां दी जानी चाहियें। इसमें बाधक सभी कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये। इस सब के बाद ही हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आ सकेगा।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version of the English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हम प्रगति करना चाहते है और वह भी तीव्र गति से परन्तु हमें देखना यह है कि क्या हम सही दिशा में तीव्रगति से बढ़ रहे हैं।

पंचायती राज के पीछे मूल विचारधारा यह है कि देश में लोकतंत्र निचलेस्तर की आवश्यकताओं को पूरा करके आगे बढ़े। जब तक हम बिल्कूल निचले स्तर से जनता का लोकतंत्र में सहयोग नहीं लेते हम अच्छे शक्तिशाली और ठोस लोकतांत्रिक नीति का निर्माण नहीं कर सकते।

कठिनाई यह है कि बहुत से मामलों में हम पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। काका साहब ने ठीक ही कहा है कि हम भारत में जितनी सच्चाई से पश्चिम का अनुकरण करते हैं उतना ही उसका स्वरूप बिगड़ता जाता है। हमारी स्थिति स्याहीसोख के समान है। स्याही सोख पर मूलके निशान आते हैं परन्तु वे सर्वथा उल्टे होते हैं।

पंचायती राज का अर्थ पंचमुख परमेश्वर है। यदि किसी गांव के कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कोई बात कहते हैं तो वह निश्चित ही अच्छी बात होगी। वें नीचे स्तर के लोग हैं। वे अपने चारों ओर की परिस्थितियों से परिचित हैं। यदि हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो हम सभी वर्गों की उपेक्षा करत हैं। आधार की उपेक्षा कर रहे हैं। बिना उचित आधार के क्या हम लोकतंत्र की आशा कर सकते हैं?

विधेयक का संबंध मूल बातों से है, इसमें कहा जाता है कि हमे लोकतंत्र के आधार पर कार्य करना चाहिये। हम एक कल्याणकारी राज्य के लिये योजना बना रहे हैं, विश्व के अनेक देश यह कार्य कर रहे है। एक विकासशील देश के लिये जहां गरीबी बहुत अधिक है, इस प्रकार का आयोजन बहुत आवश्यक है। कठिनाई यह है कि हम आयोजन को ठीक मानते हैं परन्तु उसके लिये केन्द्रीकरण आवश्यक है इस विचारधारा को हमे बदलना होगा हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। ठीक योजना वही होगी जो स्थानीय एकक पर आधारित होगी और ऊपर तक बनेगी। यह कार्य परस्पर विरोधी बातों से सम्पन्न नहीं हो सकता। हमारा दश एक बहुत बड़ा देश है यदि हम सभी निर्णय दिल्ली पर छोड़ दे तो बात नहीं बनेगी। इस प्रकार की प्रणाली से नौकरशाही को और बढ़ावा मिलेगा। यदि आयोजन को सार्थक बनाना है तो हमें मूल आधार से चलना पड़ेगा इससे अधिकतम लोग इसमें भाग ले सकेंगे और यह प्रक्रिया देश के लिये लाभदायक सिद्ध होगी।

आज के नवयुवकों ने महात्मागांधी को तो नहीं देखा है परन्तु उनके अमर संदेश को सुना है। उनका संदेश ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध ब्रिटिश आर्नाल्ड टामनबी ने कहा है कि आज विश्व के सभी दु:खों से छुटकारा पाने का मार्ग गांधीजी के विचारों के मार्ग में है। मैंने उनपर विस्तार से विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि छोटे एककों का विकेन्द्रीकरण किया जाये। अत: यदि गांवों में जाना चाहते हैं तो हम गांधीवादी ही हैं।

आज बीसवीं शताब्दी समाप्त होने वाली है। उन्नीसवीं शताब्दी राष्ट्रवाद का युग था बीसवीं शताब्दी को अन्तर्राष्ट्रीयवाद का युग समझा जाना चाहिये। इक्कीसवीं शताब्दी को स्थानीय महत्व का युग समझा जाना चाहिये। इसका अर्थ यह है कि जनता को अधिकतम रूप में योजनाओं में भाग लेना चाहिये। कठिनाई यह है कि आज व्यक्ति अपने को खोया हुआ पाता है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस पर पूरे ध्यान से विचार किया जायेगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : Reference has been made to the role of Panchayats but the position is that no elections have been held to Panchayats or Zila Parishads during the last ten years. Panchayats, are under the control of the Capitalist s or big landlords and they are exploiting these democratic institutions for their own ends.

One may agree that Panchayats should be powerful but it is possible only when the present system of electon is changed. Panchayats should be given adequate powers if peoples involvement in development process is required. The election system of Panchayats should be reformed with view to obtain the object of better functioning of Panchayats.

During the last twenty years rich have become richer and the poor have become poorer because Government have given no powers to Panchayats. the present position is that Panchayats have no sufficient means of resources. A peoples programme should be prepared seeking involvement of all classes of society under a Community development programme The plan should emerge from below the formulation and implementation of the plans should. be in the hands ofrural people. In order to make Community development Scheme successful, Panchayats should be given more powers and a new sense of awakening should be created amongst the people.

Today, power is getting Centralised because Panchayats and Zila Parishad have not been given adequate powers. Panchayats have no power todraw plans or prepare schemes. All plans or schemes have got to be approved from high ups. These Panchayats should be given more powers to be more effective.

श्री इराज्मुद सक्वैग (मारमा गोआ) : हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में व्यवस्था है कि राज ग्रामपंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठायेगा और इन्हें स्वायत्त शासी सरकार के एकक के रूप में कार्य करने हेतु समुचित अधिकार एवं शक्ति प्रदान करेगा। इन 27 वर्षों में सरकार इस प्रकार का कार्य करने में पूर्णतया असफल रही है। इसी कारणवश मेरे दल (भारतीय लोकदल) ने कहा है कि स्वायत्तशासन सरकार के संस्थानों को पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसे मूलभूत स्तर पर हमारे संविधान से ही मान्यता दो जानी चाहिये ताकि उन्हें राज्य विधानमंडलों और नौकरशाही की दशा पर छोड़ दिया जाये।

हमें यह अनुभव करना चाहिये कि राजस्व सीधा वहां भेजा जाये जहां इसकी आवश्यकता है। केन्द्र को ही नहीं दिया जाना चाहिये। योजना ऊपर से नीचे की ओर नहीं नीचे से उपर की ओर बनायी जानी चाहिये।

आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वर्ष पश्चात् भी जिलों में कलक्टरों का प्रशासन है निर्वाचित प्रतिनिधियों का नहीं और कलक्टरों के मुख्य कार्य वही है जो ब्रिटिश शासन काल में थे और ब्रिटिश लोग शासन करने में रुचि रखते थे।

हमें यह महसूस करना चाहिए कि शक्ती लोगों को दी जानी चाहिये। यह विचारधारा राष्ट्रपिता द्वारा दी गई थी। यद्यपि इसे बार बार दोहराया जाता है परन्तु इसका पालन नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में जबतक शक्ति उचित हाथों में नहीं आयेगी, जब तक बुनियादी स्तर पर लोगों का प्रतिमिधित्व नहीं होगा तब तक लोकतंत्र प्रभावी सिद्ध नहीं होगा।

गोआ में ग्राम समुदाय नाम से एक संस्था है। वहां हजारों वर्ष से ग्राम द्वारा सामूहिक रूप से भूमि ली गई है जिस पर सामूहिक रूप से कृषि की जाती है। ग्राम समुदाय डाक्टरों और मोचियों आदि जैसे व्यवसायों की व्यवस्था करता है। लेकिन गोआ सरकार ने इस संस्थान को और मजबूत बनाने के बजाय उसे लगभग नष्ट ही कर दिया है। सरकार द्वारा इसे पुनर्जीवन देने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

पचायतों को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिये, उनके कृत्य संविधान में उल्लिखित होने चाहिये, राजस्व मूल संस्थानों को प्राप्त होना चाहिये, निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय करने के संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने चाहियें। जब तक ऐसा न होगा, हम भले ही प्रगति की बात करें, इसका तात्पर्य यह होगा कि दिल्ली में सुन्दर फव्वारे लगाये जाते रहेंगे और गांवों में लोग भूखे मरते रहेंगे।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : गांधी जी जो कुछ चाहते थे वह आज समाप्त हो गया है। गांधी जी की इच्छा थी कि देश का विकास पंचायतों के माध्यम से हो। पंचायतों की स्थापना सामुदायिक विकास के माध्यम से देश का विकास करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत में लोगों में बड़ा उत्साह था और वे देश के विकास कार्यों में रुचि लेते थे। परन्तु अब परिस्थितियां बदल गई है। जो लोग खण्ड विकास अधिकारी पद पर नियुक्त हुये वे शहरों और नगरों के निवासी थे। आई० सी० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के पुत्र ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये। इन लोगों को ग्राम निवासियों की आवश्यकताओं का पता कैसे होता ? उन्होंने गांव देखे तक नहीं थे। अतः शनैः शनैः महात्मा गांधी की विचारधारा लुप्त होने लगी और ऊपर से आदेश आने लगे जिनमें ग्राम निवासियों को कार्य करने के आदेश दिये जाने लगे।

मैंने योजना आयोग की उस बैठक में भाग लिया जिसमें आदिवासियों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा था। मैंने बताया कि ऊंचे स्थानों पर बैठने वाले लोग गांवों की समस्याओं, आशाओं और आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते। अधिकारी वर्ग गांवों के बारे में हम से अधिक जानने का दावा करते है यह बड़े आश्चर्य की बात है। जो लोग आदिवासी विकास की बात करते हैं उन्हें आदिवासियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब प्रशासन में इस प्रकार के लोग लिये जायेंगे तब महात्मा गांधी की इच्छानुसार देश का विकास किस प्रकार संभव है।

इस समय हमारे यहां 504 आदिम जनतीय खण्ड है। इन खण्डों को बसाने के उद्देश का प्रश्न है, इन्हें बसाने का उद्देश्य यही था इनके माध्यम से उन खण्डों का विकास हो, जहां जा पाना कठिन है। मुझे विभिन्न अवसरों पर विभिन्न हैसियतों में अनेक आदिम जाति खण्डों का भ्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज से दस वर्ष पूर्व उड़ीसा तथा इसके राज्यों के पास वे कुछ आदिम जाति के लोगों के पास भूमि थी, परन्तु अब उन्हें भूमि विहिन बना दिया गया है। इससे क्या यही स्पष्ट नहीं होता कि समस्या को हल करने संबंधी हमारा रवैया नकारात्मक रहा है। आये दिन इस कार्य के लिए मंत्री नियुत किए जाते हैं परन्तु यह कभी भी समस्याओं की वास्तविक ढंग से समझने तथा उन्हें हल करने का प्रयास नहीं करते।

मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह मेरे निजी अनुभव पर आधारित है। मैंने अनेक आदिवासी गांवों का भ्रमण किया हुआ है, मैं एक ऐसे गांव का यात्री हूं जहां केवल हाथी की सवारी द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। पहले लोग स्वयं ऐसे क्षेत्रों का विकास किया करते थे। अतः अभी तक इस प्रकार के क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है। पहले लोग स्वयं इस प्रकार के कार्य करते थे परन्तु अब विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार के निदेश, राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त होते हैं जिस का परिणाम यह होता है कि विकास कार्य उस ढंग से नहीं हो पाता जिस ढंग से वहां के निवासी चाहते है। मेरा नये कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह विकास कार्य सही ढंग से करवाने का प्रयत्न करे।

वर्तमान विधेयक का एक उद्देश्य पंचायत राज के माध्यम से कृषि विकास करना है। कृषि विकास सिंचाई से ही संभव है परन्तु आसाम सरकार द्वारा सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सिंचाई योजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिये जिनसे कि प्रत्येक क्षेत्र और राज्य को बराबर हिस्सा मिल सके। परन्तु यहां स्थिति विपरित है। यहां पंजाब हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि को सिंचाई का भारी हिस्सा मिलता है जो दूसरी ओर उड़ीसा तथा आसाम आदि की उपेक्षा की जाती है। अतः मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पंचायत राज के माध्यम से कृषि विकास के तरीके में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे।

Shri Ramavatar Shashtri (Patana) : Mr. Chairman, Sir, it is a very important Bill and I am fully in agreement with tne spirit of the Bill. In case the Government is not prepared to accept it, let it come forward with a new comprehensive Bill for all round development of villages. Even after 27 years of independence the condition of the villagers of our Country deplorable. They are poor, backward and uneducated. In Bihar about 25 to 30 percent people are without land, without any drinking water, medicine or education facilities. In the present system of Panchayats, there have been no elections to Panchayats for years together. These are still under the influence of big landlords and rich capitalists. All sorts of feudal practices are still prevalent in rural areas of the Country. So under such circumstancs, it is essential to bring for the alegislation with which some radical changes may be brought in the existing set up. Such a legislation should be brought with which common man can enjoy more and more economic powers. Serious attention should be given towards the provision of water, housing, education and employ ment problems of the village and specially schedule castes and schedule tribes. An attempt should also be made to ehcck the use of police force for supressing the poor peasants or labourers. With these words, I fully support all the main points of the Bill.

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैं श्री रणबहादुरसिंह द्वारा पुनःस्थापित किये गये विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी योजना की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न स्तरों के लोग उस में शामिल हो, उसमें सक्रीय भाग ले। अतः हमारी सभी योजनायें राज्य स्तरों, जिला स्तरों तथा ग्राम स्तरों पर बनाई जानी चाहिये। हमारी केन्द्रीय योजना भी ग्राम्य योजना स्तर पर आधारित होनी चाहिये।

मेरे मित्र श्री मावंलकर न हमें गांव में कुआं लगवान के लिए दिल्ली तक या राज्य के मुख्यालय तक भागने को आवश्यकता नहीं होनी चाहिये और यह ठीक भी है।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखियेगा

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 दिसम्बर, 1974 / 11 अग्रहायण 1896 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 2nd December, 1974/11th Agrahayana 1896 (Saka).

GIPN—S3—40 LSS/74—10-3-75—200